राजस्थान विधान सभा

द्वितीय बैठक, मंगलवार, दिनाङ्क २५ सितम्बर, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ११-१० बजे प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष—प्रश्न, श्री हरिकृष्ण व्यास ।

प्रश्न संख्या १०

राष्ट्रीयकरण की गई पुस्तकों के मुद्रित कराने में अनियमितनायें एवं उस पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Education be pleased to state :—

(*a*) Is the Government aware that serious irregularities were committed in the matter of getting the nationalised text books printed by Private Press during 1954 ?

(*b*) Is the Government also aware that payment at a rate higher than the Government sanctioned rate have been made ?

(*c*) Has the Government conducted any enquiry into this matter ? If so, what are the findings of the enquiry ?

(*d*) What action has been taken against the Officers concerned and to recover the excess payments made to the Press concerned ?

श्रीमती कमलाकुमारी वेनीवाल (उप-मंत्राणी, शिक्षा)—(*a*) Complaints of some irregularities have come to the notice of the Government, a departmental investigation is being done.

(*b*) The matter is under enquiry.....

श्री एच० के० व्यास—अध्यक्ष महोदय, सुनाई नहीं देता, फिर में सप्लीमेंटरी कैसे करूंगा ?

श्री अध्यक्ष—कॉन्सेण्ट्रेट करिये ।

श्रीमती कमलाकुमारी वेनीवाल (उप-मंत्राणी)—(*a*) Complaints of some irregularities have come to the notice of the Government and a departmental investigation is being done.

[श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल]

(*b*) The matter is under enquiry.
(*c*) The matter is still under enquiry.
(*d*) The question does not arise at this stage.
(*e*) The question does not arise.

श्री एच० के० व्यास--ये इरेग्युलेरिटीज़ सरकार के ध्यान में किस समय आईं ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल--ये काफी अर्से पहले आ गई थीं ।

श्री एच० के० व्यास--डिपार्टमेण्टल इन्वेस्टीगेशन कब खत्म हो गया ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल--अभी इन्क्वायरी खत्म नहीं हुई है ।

श्री एच० के० व्यास--अभी उत्तर दिया था कि डिपार्टमेण्टल इन्वेस्टीगेशन किया गया, वह कब खत्म हुआ ?

श्रीमती बेनीवाल--किया नहीं गया है, इज बींग डन का मतलब है किया जा रहा है ।

श्री एच० के० व्यास--क्या इस जांच के संबंध में सरकारी आज्ञा प्रदान की गई है ? यदि हां, तो उसकी तारीख क्या है ?

श्रीमती बेनीवाल--सरकारी आज्ञा प्रदान की गई है, उसकी तारीख तो अभी मेरे पास नहीं है ।

श्री एच० के० व्यास--आज से कितने महीने पहले वह आज्ञा प्रदान की गई है ?

श्री अध्यक्ष--कहा न कि तारीख याद नहीं है ।

श्री एच० के० व्यास--तारीख नहीं अन्दाज बता दें कि अन्दाजन कितना समय हुआ है ?

श्रीमती बेनीवाल--इसका भी अन्दाज नहीं है ।

श्री एच० के० व्यास--क्या इस संबंध में सरकार के ध्यान में यह है कि सार्वजनिक लेखा समिति ने कोई सिफारिश की है ?

श्रीमती बेनीवाल--जी हां ।

श्री एच० के० व्यास--उस सिफारिश को अमल में लाने के सिलसिले में क्या कार्यवाही की है ?

श्रीमती बेनीवाल--इस जांच के साथ में सब तय हो जायगा ।

श्री एच० के० व्यास--जांच का अधिकारी किसको मुकर्रर किया गया है ?

Page No 3

श्रीमती बेनीवाल--यह अभी बताने की बात नहीं है।

श्री एच० के० व्यास--क्या यह सही है कि विशेष अधिकारी को नियुक्त करने की आज्ञा सरकार द्वारा अभी प्रदान नहीं की गई है ?

श्रीमती बेनीवाल--ऐसी बात नहीं है।

श्री एच० के० व्यास--तो क्या महरबानी करके यह बताया जायगा कि कौन से अधिकारी को इसके लिये नियुक्त किया गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)--एज्यूकेशन सेक्रेटरी इसके संबंध में जांच कर रहा है और शीघ्र ही इस संबंध में विशेष अधिकारी की नियुक्ति की कार्यवाही की जायगी।

श्री एच० के० व्यास--एज्यूकेशन सेक्रेटरी जांच कर रहे हैं तो एन्क्वायरी ओफीसर की तरह जांच कर रहे हैं या डिपार्टमेण्टल इन्क्वायरी के तौर पर कर रहे हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--डिपार्टमेण्टल इन्क्वायरी के तौर पर।

श्री एच० के० व्यास--क्या यह सही है कि डेढ़ वर्ष पहले डिप्टी सेक्रेटरी एज्यूकेशन ने इस संबंध में जांच कर ली थी ?

श्री सुखाड़िया--पहले जांच हुई थी उसके बाद कुछ चीजें और जानने की जरूरत थी उस संबन्ध में अब जांच की जा रही है।

श्री एच० के० व्यास--क्या यह सही है कि उस समय के डिप्टी सेक्रेटरी एज्यूकेशन ने जांच करके सिफारिश सरकार के पास भेजी उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ ?

श्री सुखाड़िया--मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, एक ही प्रश्न बार बार किया जा रहा है, जब कि यह कह दिया गया है कि कुछ बातें रह गई थीं इसलिये एज्यूकेशन सेक्रेटरी द्वारा जांच की जा रही है।

श्री एच० के० व्यास--क्या यह सही है कि मार्च, सन् १९५५ में मंत्री महोदय ने इस सदन में कहा है कि जांच चालू है और आज भी वही उत्तर दिया जा रहा है ?

श्री सुखाड़िया--हो सकता है।

श्री एच० के० व्यास--तो क्या मैं यह मानूं कि इस प्रश्न पर लगभग दो साल से जांच ही चल रही है ?

श्री अध्यक्ष--(घंटी) Any other supplementary ?

श्री एच० के० व्यास--माननीय अध्यक्ष, इसका जवाब मिलना चाहिये, लास्ट ईयर भी यही जवाब दिया गया था।

श्री अध्यक्ष--आप मानें या न मानें चल रहा है, वह चल रहा है।

श्री एच० के० व्यास--क्या यह दो साल से जो जांच चल रही है वह जांच एक ही अधिकारी कर रहा है या अलग अलग अधिकारी कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--आपके हने से दो अधिकारी कर रहे हैं।

श्री एच० के० व्यास--मेरे कहने के मुताबिक तो जांच भी शुरू नहीं हुई है ?

श्री अध्यक्ष--No arguments.

श्री सुखाड़िया--आपके प्रश्न से स्पष्ट है कि डिप्टी एज्यूकेशन सेक्रेटरी ने रिपोर्ट की थी अब एज्यूकेशन सेक्रेटरी जांच कर रहे हैं।

श्री एच० के० व्यास--क्या यह सही है कि डिप्टी सेक्रेटरी एज्यूकेशन ने जो रिपोर्ट की थी उसको देख कर आपने निर्णय दे दिया था ?

श्री सुखाड़िया--मुझे जहां तक याद पड़ता है कोई निर्णय नहीं दिया था।

श्री एच० के० व्यास--अध्यक्ष महोदय, मुझे स्पष्ट उत्तर मिलना चाहिये। डिप्टी एज्यूकेशन सेक्रेटरी की रिपोर्ट को मुलाहिजा करके आपने निर्णय दे दिया था, हां या ना का जवाब दीजिये।

श्री सुखाड़िया--यह जरूरी नहीं है कि आप कहें वैसा जवाब दे दूं। मुझे याद नहीं पड़ता कि इस पर फाइनल डिसिजन दे दिया गया हो।

श्री एच० के० व्यास--क्या यह सही है कि एज्यूकेशन सेक्रेटरी के निर्णय देने के बाद एज्यूकेशन मिनिस्टर के पास कागज पड़े रहे ?

श्री सुखाड़िया--एज्यूकेशन मिनिस्टर कागज पड़े रखने की आदत में नहीं है।

श्री एच० के० व्यास--क्या फरमाया मैंने सुना नहीं।

श्री अध्यक्ष--नहीं।

श्री एच० के० व्यास--मैं इस प्रश्न का उत्तर चाहता हूं कि एज्यूकेशन सेक्रेटरी के निर्णय देने के बाद में कागज एज्यूकेशन मिनिस्टर के पास पड़े रहे या नहीं ?

श्री सुखाड़िया--मैंने निवेदन किया है कि एज्यूकेशन मिनिस्टर कागज पटके रखने की आदत में नहीं है।

श्री एच० के० व्यास--उनमें आदत है या नहीं इसके बारे में नहीं पूछ रहा हूं, उन विशेष कागजों के बारे में पूछ रहा हूं।

Page No 5

श्री सुखाड़िया—जहां तक मेरा सवाल है मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं पड़ी रही।

श्री एच० के० व्यास—तो क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या हुक्म फरमाया गया ?

श्री अध्यक्ष—Files cannot be read out in the House.

(विराम)

श्री सरदारसिंह ।

प्रश्न संख्या ११

जनवरी, १९५५ के पश्चात् नई निर्मित तहसीलें एवं तहसील हैडक्वार्टर्स का स्थानान्तरण

श्री सरदारसिंह—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) १ जनवरी, सन् १९५५ के बाद राजस्थान में कितनी नई तहसीलें बनाई गई और कितनी तहसीलों के हैडक्वार्टर स्थानान्तरित किये गये ?

(ख) जिन तहसीलों के हैडक्वार्टर स्थानान्तरित किये गये उनके क्या क्या नाम हैं और उनके पहले हैडक्वार्टर कहां कहां थे ?

(ग) उनके पहले हैडक्वार्टर्स जहां थे उनको प्रारंभ में किन किन आधारों पर तहसील हैडक्वार्टर्स के उपयुक्त समझा गया था ?

(घ) पहले तहसील हैडक्वार्टर्स के स्थानों की जनसंख्या, स्थिति व अन्य सुविधायें क्या क्या उपलब्ध थीं ?

(ङ) नये स्थानों की जनसंख्या, स्थिति व अन्य क्या सुविधायें हैं ?

(च) किन किन तहसीलों की जनता ने तहसील हैडक्वार्टर्स स्थानान्तरित न करने के लिये आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये व कहां कहां कितने कितने दिनों तक हड़तालें व आन्दोलन हुए ?

(छ) कहां कहां तहसील हैड़क्वार्टर्स पुनः पूर्व स्थानों में ही वापिस रहने दिये गये और किन २ स्थानों का मामला अभी भी सरकार के विचाराधीन है ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—(क) १ जनवरी, १९५५ के बाद निम्न नई तहसीलें बनाई गई:—

(१) लक्ष्मणगढ़—जिला सीकर,

चौहटन—जिला बाड़मेर ।

(२) निम्न तहसीलों के मुख्यावास स्थानान्तरित किये गये हैं:—

उणियारा से अलीगढ़ (जिला टोंक);

खैराबाद से रामगंज मण्डी ।

Page No 6

[श्री दामोदरलाल व्यास]

(ख) जिन तहसीलों के मुख्यावास स्थानान्तरित किये गये हैं उनके नाम निम्नांकित हैं:--

तहसील उणियारा--मुख्यावास उणियारा का इसके पहले यह (जिला टोंक) अलीगढ़ तहसील थी और मुख्यावास अलीगढ़ था, परन्तु जागीर पुनर्ग्रहण के समय इसको समाप्त करके उणियारा तहसील उणियारा में मुख्यावास स्थापित करके निर्मित की गई थी, अतः मुख्यावास अलीगढ़ में है।

तहसील रामगंज मण्डी--पहले खैराबाद तहसील का मुख्यावास था अब मुख्यावास रामगंज मण्डी स्थानान्तर करने के आदेश हो चुके हैं।

(ग) तहसील उणियारा जागीर पुनर्ग्रहण के समय तहसील बनाई गई थी, उस समय उणियारा राव राजाजी ने माकूल मकानात देने का वायदा किया था और बड़ी जागीर का हैडक्वार्टर होने की वजह से उसे हैडक्वार्टर बनाना ठीक समझा गया।

तहसील खराबाद भूतपूर्व कोटा राज्य के समय से ही तहसील मुख्यावास था। द्वितीय रामगंज मण्डी में भवन आदि उपलब्ध नहीं हैं, मगर यह स्थान बीच में होने से उपयुक्त समझा गया।

(घ) तहसील उणियारा--उणियारा की जनसंख्या ४,५५८ है लेकिन उसकी स्थिति तहसील क्षेत्र के केन्द्र में नहीं है। सरकारी भवन आवागमन के साधन, डाक बंगला आदि सुविधायें भी नहीं हैं।

तहसील रामगंज मण्डी--खैराबाद की जनसंख्या १,६७५ है यह रेल्वे स्टेशन रामगंज मण्डी से १ मील दूर है बरसात में काफी असुविधायें रहती हैं।

(ङ) उणियारा तहसील के नये मुख्यावास अलीगढ़ में निम्न सुविधायें हैं:--

तहसील की इमारत, तहसीलदार, नायब तहसीलदार के क्वार्टर्स, डाक बंगला, आवागमन के साधन; इसकी जनसंख्या २,८१८ है।

तहसील रामगंज मण्डी के नये मुख्यावास में निम्न सुविधायें हैं:--

इसकी जनसंख्या ५,१११ है, यह रेल्वे स्टेशन है, यहां पर पुलिस स्टेशन, पोस्ट आफिस, डाक तार आदि की सुविधायें भी हैं।

(च) उणियारा की जनता ने तहसील स्थानान्तरित करने के लिये सरकार को आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये और हड़ताल की। इसी प्रकार अलीगढ़ में भी हड़ताल हुई और आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये।

(छ) यह विषय शासन द्वारा नियुक्त तहसील संगठन समिति के विचाराधीन है।

श्री सरदारसिंह--माननीय मंत्री महोदय ने फरमाया कि राव राजा ने मकान देने का वायदा किया था, क्या वे अब मकान देने से इनकार कर गये हैं ?

Page No 7

श्री दामोदरलाल व्यास--जिस समय हैडक्वार्टर तहसील उनियारा में था वहां पर नायब तहसीलदार, तहसीलदार ग्रादि के लिये व डाक बंगले के लिये मकानों का इन्तजाम नहीं था ।

श्री सरदारसिंह--वहां पर तहसील कितने ग्रर्से तक रही ?

श्री दामोदरलाल व्यास--कुछ दिनों रही । कुछ महीनों रही ।

श्री सरदारसिंह--कुछ महीनों रही या १।। साल रही ।

श्री दामोदरलाल व्यास--१।। साल सही ।

श्री सरदारसिंह--पहले कमिश्नर मकान देख कर गया था । शास्त्री के समय में ग्रौर ५ तहसील हैडक्वार्टरों में से उनियारा को भी एक तहसील हैडक्वार्टर मुकर्रर किया गया था.....

श्री दामोदारलाल व्यास--ग्रापका प्रश्न मेरी समझ में नहीं ग्राया ।

श्री सरदार सिंह--जब राव राजा ने उनियारा में मकान देने का वादा किया था तो फिर उनियारा से ग्रलीगढ़ हैडक्वार्टर हटाने की क्या जरूरत थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास--जिन कारणों से मुकर्रर किया गया ग्रौर जिन कारणों से हटाया गया वह मैंने पहले बता दिये हैं ।

श्री सरदारसिंह--ग्रापने मकानों का कारण बताया । क्या इसके लिये ग्राप जांच करने के लिये कमिश्नर मुकर्रर करने को तैयार हैं ?

श्री मानसिंह महार--रामगंज में मकान नहीं होते हुए भी तहसील हैडक्वार्टर रखा गया है ग्रौर उनियारा में मकान होते हुए भी मकानों की ग्राड़ में तहसील हैडक्वार्टर ग्रलीगढ़ में क्यों किया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास--इस तरह का ग्रादेश दे दिया गया लेकिन शिफ्ट नहीं किया गया है।

श्री भैरूं सिंह--क्या सरकार के पास राव राजा उनियारा की तरफ से कोई लिखित सूचना है कि वे मकान देने के लिये तैयार है ?

श्री दामोदरलाल व्यास--ग्रभी उन्होंने लिख कर भेजा है कि वे मकान देने को तैयार हैं।

श्री भैरूं सिंह--उनियारा तहसील थी तब उन्होंने कोई लिखित ग्राश्वासन नहीं दिया ।

श्री दामोदरलाल व्यास--लिखित ग्राश्वासन की जरूरत नहीं थी ।

श्री भैरूं सिंह--दोनों स्थानों में से सेण्टर में कौन सा स्थान पड़ता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास--दोनों में ज्यादा ग्रन्तर नहीं है । ३ मील ।

श्री सरदारसिंह--इनमें से सेण्टर प्लेस आप किसको मानते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास--अलीगढ़ को मानता हूं ।

श्री भैरू सिंह--क्या लिख कर सूचना दी गई थी मकान के लिये ?

श्री दामोदरलाल व्यास--यह तो प्रश्न वापिस दोहराया जा रहा है ।

श्री मानसिंह महार--आपने क्या उनको लिख कर दिया कि मकान दें ?

श्री दामोदरलाल व्यास--इसके लिये लिख कर देने की कोई जरूरत नहीं थी । इसके अलावा मैंने कहा कि तहसील की इमारत मौजूद है, डाक बंगला मौजूद है और इसके अलावा और भी यातायात की सुविधा वहां पर मौजूद है । इतने कारण थे जिस वजह से वहां पर तहसील लाई गई और उनियारा से हटाई गई ।

श्री मानसिंह महार--अगर यही बात है तो आमेर से चोमूं क्यों हटाया जा रहा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास--यह एक अलग से प्रश्न है ।

श्री जगतसिंह झाला--क्या इसका कोई राजनैतिक कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास--बिल्कुल नहीं ।

श्री मानसिंह महार--क्या सरकार किसी डेफिनेट प्रिन्सीपल पर काम करती है या बगैर किसी सिद्धान्त के ही काम करती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास--सरकार डेफिनेट प्रिन्सीपल्स पर काम करती है ।

श्री मानसिंह महार--यह कौनसा सिद्धान्त है कि एक जगह तो मकानों की सुविधा मिलते हुए भी तहसील हैडक्वार्टर नहीं रखा जाए और दूसरी जगह मकान किराये पर लेकर तहसील का हैडक्वार्टर रखा जा रहा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास--मैंने मकानों के अलावा और भी कई कारण बताये हैं जिसके कारण तहसील हैडक्वार्टर मुकर्रर किये जाते हैं । सेण्टर प्लेस, यातायात की सुविधा आदि भी हैं ।

श्री मानसिंह--तीन मील में सेण्टर में कोई फर्क नहीं पड़ता है ।

श्री दामोदरलाल व्यास--एक मील में भी आ सकता है ।

श्री हिम्मतसिंह--क्या यह सही है कि लाड़पुरा में तहसील बिल्डिंग बनी है फिर भी Collector के पास क्यों बनाया जा रहा है ?

श्री मानसिंह--इसके लिये मैं एक नक्शा रखूंगा । उनियारा बीच में है और अलीगढ़ बिल्कुल एक कौने में है ।

Page No 9

श्री सरदारसिंह--जोधपुर डिविजन में ओसियों में एक ठाकुर का मकान ३५,०००) रु० में खरीद कर तहसील रखी गई है।

श्री अध्यक्ष--आप अपना प्रश्न दोहरायें।

श्री सरदारसिंह--जोधपुर में ठिकाना ओसियां है वहां पर मकान नहीं है। वहां पर ठाकुर की हवेली लेकर तहसील कायम की गई है।

श्री दामोदरलाल व्यास--वहां पर खरीदी गई होगी। जरूरत के माफिक खरीदनी या लेनी पड़ती है।

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १२

सरकार द्वारा जिला चित्तौड़गढ की तहसीलों को दिया गया ऋण

श्री जगतसिंह झाला--क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:--

(क) जिला चित्तौड़गढ़ की कौन कौनसी नगरपालिकाओं को सरकार द्वारा अब तक कितना २ कर्ज किन किन कामों के लिये दिया जा चुका है?

(ख) क्या कपासन तथा निम्बाहेड़ा नगरपालिकाओं को कर्जे देने के सिलसिले में सरकार के पास नगरपालिका की ओर से कोई योजना पेश हुई है? यदि हां, तो कौन से कामों के लिये?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)--(क) राज्य सरकार ने चित्तौड़गढ़ जिले की निम्नलिखित नगरपालिकाओं के आगे अंकित राशि अंकित वर्ष एवं कार्य के लिये ऋण स्वरूप दी है:--

नाम म्यु० बोर्ड	धन राशि	वर्ष	कार्य
१. बेगूं	५००	५३-५४	कार्य प्रारंभ के लिये।
	६,०००	५४-५५	वेतन वितरण के लिये।
२. प्रतापगढ़	५,११,१६०	५५-५६	जल वितरण योजना हेतु।
३. कपासन	१८,०००	५३-५४	उन्नति कार्यो के लिये।

(ख) नगरपालिका निम्बाहेड़ा तथा कपासन ने विद्युत योजना संचालन हेतु कर्ज की मांग सरकार के समक्ष पेश की है। नगरपालिका निम्बाहेड़ा को २ लाख तथा कपासन को एक लाख रुपय की स्वीकृति प्रदान करदी गई है।

श्री जगतसिंह झाला--कौनसी तारीख को स्वीकृति प्रदान की गई है?

श्री दामोदरलाल व्यास--अभी कुछ दिन पहले ।

श्री जगतसिंह झाला--क्या यह सही है कि इसके लिये कागजों को चलते हुए एक साल से ज्यादा का अर्सा हुआ है ?

श्री दामोदरलाल व्यास--मैंने बताया कि मंजूरी हो गई है । फिर कागजों के चलने का प्रश्न ही क्या है ?

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १३

सन् १९५३-५४ में पुस्तकालयों हेतु शिक्षा विभाग द्वारा क्रय की गई पुस्तकों में अनियमितताओं सम्बन्धी जांच

श्री एच०के० व्यास--Will the Minister for Education be pleased to state :—

(a) Did the Education Department make any purchase of books for Libraries during the year 1953-54 ?

(b) Is it a fact that an enquiry into the irregularities committed in these purchases had been ordered ? If so, on what date ?

(c) Has the enquiry been completed ? If so, what are its findings ?

(d) What action has been taken against the Officers concerned ?

(e) What action has been taken to recover the excess amount paid in an unauthorised manner ?

(f) If no enquiry was held what steps have the Government taken to set the irregularities right ?

श्रीमती कमलाकुमारी (उप-मंत्राणी, शिक्षा)--(a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir, on 15-7-56.
(c) Not yet completed.
(d) The question does not arise at this stage.
(e) The question does not arise at this stage.
(f) The question does not arise.

श्री एच०के० व्यास--तारीख कौनसी फरमाई आपने ?

श्रीमती कमलाकुमारी (उप-शिक्षा मंत्राणी)--१५-७-५६ ।

श्री एच०के० व्यास--क्या यह सही है कि जिस रेट पर टण्डर मांगे गये उससे ज्यादा पेमेण्ट कर दिय हैं ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल--इसकी जांच कराई जा रही है ।

श्री एच० के० व्यास--इन्क्वायरी के लिये किसको मुकर्रर किया गया है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल--एज्यूकेशन सेक्रेटरी को ।

श्री एच०के० व्यास--डिपार्टमेण्टल इन्क्वायरी हो रही है या रेगुलर इन्क्वायरी ।

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल--डिपार्टमेण्टल इन्क्वायरी ।

श्री एच०के० व्यास--क्या संबंधित व्यक्ति को चार्ज शीट दे दिया गया है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल--यह इन्क्वायरी पूरी होने के बाद बताया जावेगा ।

श्री एच०के० व्यास--जब आपने इन्क्वायरी शुरू करदी है तो उसके बारे में यह पूछना चाहता हूं कि क्या आपने संबंधित अधिकारी को चार्ज शीट दे दिया हैं ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल--जब जांच हो रही है तो जांच के बीच में इसके बारे में कुछ बताना जरूरी नहीं है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--जांच किस बात की हो रही है ? इन्क्वायरी करनी या नहीं करनी इस बारे में जांच हो रही है या इन्क्वायरी के आर्डर हो चुके हैं, अगर हो चुके हैं तो फिर चार्जशीट दी गई है या नहीं, यह बताने में क्या कठिनाई पैदा होती हैं ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल--अभी जैसा कि मैंने बताया इर्रेगुलेरिटीज पायी गई इसलिये तो जांच की जा रही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--जैसा कि अभी आपने फरमाया जांच की जा रही है और जांच के सम्बन्ध में विशेष व्यक्ति को मुकर्रर करने की आज्ञा भी प्रदान कर दी गई, तो मेरा यह प्रश्न है कि उस जांच को पूरी करने के लिये शुरूआत की जो स्टेज होती है, चार्ज शीट देने की, वह दी गई है या नहीं ?

श्रीमती बेनीवाल--जांच करने के जितने भी प्रोसेस होते हैं वे पूरे किये जा रहे हैं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--तो क्या मैं यह मानकर चलू कि चार्ज शीट दे दी गई है ?

श्रीमती बेनीवाल--चार्ज शीट देने की अगर स्टेज आ चुकी है तो।

श्री हरिकृष्ण व्यास--तो इसके अलावा इन्क्वायरी का पहला स्टेज कौन सा होता है ?

श्रीमती बेनीवाल--आपको यह समझ लेना चाहिये कि चार्ज शीट दी जा चुकी है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--मेरे समझने से कोई मतलब नहीं रखता, मैं यह जानना चाहता हूं कि जब इन्क्वायरी सेट अप हो चुकी है तो वैसी हालत में चार्ज शीट देने के अलावा और दूसरा कौनसा स्टेप हो सकता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—प्रीलिमिनरी इन्क्वायरी की जा रही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--अध्यक्ष महोदय, या तो सरकार एक व्यक्ति को नियुक्त कर दे जो मंजकर उत्तर दे सके। मैंने जो प्रश्न किया उसके दो उत्तर दिये गये, उनमें बहुत बड़ी भिन्नता है; एक कहते हैं कि इन्क्वायरी के आर्डर कर दिये गये हैं और इन्क्वायरी करने वाले अधिकारी का नाम भी बता दिया है। दूसरी तरफ हमारे मुख्य मन्त्री जो इस विभाग के इन्चार्ज मन्त्री हैं कहते हैं कि प्रीलिमिनरी जांच की जा रही है। (Preliminary investigation is being done) तो इस प्रकार सदन में जो दो बातें कही गई हैं क्या इस बारे में भी आर्डर ऑफ प्रीसीडेन्स है, क्योंकि डिप्टी मिनिस्टर कहे वह कम विश्वसनीय माना जाय और मुख्य मन्त्री कहे उसे ज्यादा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--उन दोनों उत्तरों में कोई भिन्नता नहीं है। इन्क्वायरी के ऑर्डर्स दिये जा चुके हैं यह भी सही है और प्रीलिमिनरी इनवेस्टीगेशन भी हो सकता है यह दोनों सही हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास--अध्यक्ष महोदय, मैं स्टडी सर्कल की बातें सुनना नहीं चाहता, मैं डेफीनेट यह पूछना चाहता हूं कि जो उत्तर दिया गया है कि डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी हो रही है और दूसरा यह उत्तर दिया गया है कि प्रीलिमिनरी इनवेस्टीगेशन हो रहा है, इन दोनों उत्तरों में कौनसा उत्तर सही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--मैंने निवेदन किया कि डिपार्टमेन्टल जो इन्क्वायरी की जाती है उसमें प्रीलिमिनरी इन्क्वायरी भी हो सकती है। प्रीलिमिनरी इन्क्वायरी भी उसी में शरीक होती है, रहा अब सवाल चार्ज शीट देने का। इसकी सूचना अभी मेरे पास नहीं है आगे दी जा सकती है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--माननीय मुख्य मन्त्री को मालूम होना चाहिये कि राजस्थान सर्विस रूल्स के तहत डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी डिफाइन हो चुकी है, इसलिये मेरा निवेदन है कि वे फिर से इस प्रश्न पर एक बार सोचें और मुझे डेफीनेट उत्तर दें कि जो पहले यह उत्तर दिया गया कि इन्क्वायरी के ऑर्डर दिये जा चुके हैं यह सही है या आप जो कह रहे हैं वह सही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--यह तो आपको पहले ही बतला दिया गया है कि इन्क्वायरी के ऑर्डर्स दिये जा चुके हैं। अब सवाल चार्ज शीट देने का रहता है, इसके बारे में मैंने निवेदन किया कि इस बारे में जानकारी प्राप्त करके ही बताया जा सकता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--अध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रश्न था कि क्या डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी के ऑर्डर कर दिये गये हैं, तो उत्तर दिया गया हां······

श्री अध्यक्ष--No argument. The Hon'ble Member can only ask information. He cannot enter into discussions.

The replies are what they are.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I quite agree. But I do expect that in the strange situation where two members of the Government speak self-contradictory things and yet do not seem to realise or at least are trying to avoid the implications if one gives

Page No 13

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

one answer and the other gives another, what is going to be the final answer of the Government, that is what I am seeking clarification.

श्री अध्यक्ष--But in doing so the Hon'ble Member cannot enter into discussion.

श्री हरिकृष्ण व्यास--I am not entering into discussion. I am only asking the Chief Minister and the Minister in-charge of Education to state categorically as to whether the reply given two minutes back, that a departmental enquiry has been ordered, with all its implications. It is he who is to understand its implications whether that statement is correct or incorrect. He has to answer.

श्री अध्यक्ष--No. Any other question ?

श्री हरिकृष्ण व्यास--इसके उत्तर पर ही तो सारे प्रश्न का सम्बन्ध जुड़ा हुआ है। अगर यह उत्तर ठीक है कि डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी के आर्डर दिये जा चुके हैं तो और किस्म के सप्लीमेन्टरी पूछने पड़ेंगे। और यह उत्तर सही है कि प्रीलिमिनरी इन्क्वायरी की जा रही है तो दूसरी प्रकार के सप्लीमेन्टरी होंगे ?

श्री अध्यक्ष--यह जवाब तो दे दिया गया है कि डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी हो रही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या चार्जशीट सर्व कर दी गई है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--चार्ज शीट एक्चुवली सर्व कर दी गई या नहीं, यह मैं जानकारी कर कह सकता हूं। नोटिस देने पर बताया जा सकता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--इन्क्वायरी आफीसर किसको मुकर्रर किया गया है ?

श्री अध्यक्ष--इसका भी जवाब दे दिया गया है, एज्यूकेशन सेक्रेटरी को।

श्री हरिकृष्ण व्यास--इन्क्वायरी के लिये एज्यूकेशन सेक्रेटरी को मुकर्रर गिया गया है तो क्या इसके लिये गवर्नमेन्ट के रेगूलर ओर्डर्स हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--मेरा जहां तक खयाल है हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास--ख्याल नहीं आप डेफीनेट कहिये आर्डर्स हैं या नहीं ? अगर आप हाँ कहते हैं तो उसको सदन की टेबल पर रखना पड़ेगा। मैं कहता हूं इस प्रकार के आर्डर्स नहीं हैं। अगर माननीय मन्त्री अपने जवाब में सही हैं तो क्या उस आर्डर की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर प्रस्तुत करने को तैयार हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--मैंने निवेदन किया जहां तक मेरा खयाल है आर्डर हैं, फिर भी मैं इसकी जानकारी करके ही कह सकता हूं।

श्री हरिकृष्ण व्यास--अध्यक्ष महोदय, यह तो इस प्रश्न का खास मेटीरियल पोइन्ट है इसके लिये भी यह कहना कि जानकारी करके बता सकता हूं। जब मैंने पूछा चार्ज शीट दी गई या नहीं उस पर भी यह कहा गया मालूम करके बता सकता हूं, गवर्नमेन्ट आर्डर्स हैं या नहीं इसके लिये भी यह कहा गया कि जानकारी करके बता सकता हूं; जब कि यह केस तीन साल से चलता आ रहा है उस पर भी यह कहना जानकारी प्राप्त करके बता सकता हूं; जब इस प्रकार के उत्तर दिये जायं तो हमारे प्रश्न पूछने से कोई परपज हल होने वाला नहीं।

श्री अध्यक्ष--Take it that it is.

श्री हरिकृष्ण व्यास--अध्यक्ष महोदय, इसको पोस्टपोन कर दिया जाय तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष--Next.

प्रश्न संख्या १३

बड़ी सादड़ी (चित्तौड़गढ़) की नगरपालिका का चुनाव, आम चुनावों से पूर्व कराने सम्बन्धी

श्री जगतसिंह झाला--क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :--

(क) जिला चित्तौड़गढ़ की बड़ी सादड़ी नगरपालिका का चुनाव सरकार अब तक क्यों नहीं करा सकी ?

(ख) क्या सरकार को विदित है कि इस नगरपालिका का चुनाव करा देने के लिये तीन दफे सदन में आश्वासन दिया जा चुका है, फिर भी इन चार वर्षों में चुनाव नहीं कराया गया ?

(ग) क्या यह चुनाव आम चुनावों के पहले हो सकेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दामोदरलाल व्यास--(क) बड़ी सादड़ी में नगरपालिका स्थापनार्थ जिलाधीश की सिफारिश २३-२-५४ को प्राप्त हुई। तदनुसार राजस्थान टाउन म्युनिसिपैलिटीज एक्ट, १९५१ की धारा ७(१) का अनुसरण करते हुए उक्त स्थान में नगरपालिका स्थापनार्थ सीमा निर्धारण की उद्घोषणा राज-पत्र दिनांक २०-३-५४ में प्रकाशित की गई। इस पर ठिकाना बड़ी सादड़ी की ओर से आपत्ति प्राप्त हुई। इस विषय में निर्देशक, स्थानीय निकाय तथा जिलाधीश से राय मांगी गई। सब डिवीजनल आफिसर, निम्बाहेडा ने ठिकाने से बात करके जो सीमा जिलाधीश को भेजी वह २३-११-५४ को इस विभाग में प्राप्त हुई। इसकी स्वीकृति के पश्चात् उक्त एक्ट की धारा ५ (१) के अनुसार दिनांक ९-१२-५४ को नगरपालिका स्थापनार्थ सीमा निर्धारित करने संबंधी विज्ञप्ति जारी की गई। तत्पश्चात २३-२-५५ को जिलाधीश को निर्वाचन संबंधी आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश जारी किये गये। दिनांक २३-५-५५ को जिलाधीश ने निर्वाचन संबंधी व्यय हेतु १०० रुपये की स्वीकृति चाही और इस रकम का विवरण मांगने पर जिलाधीश से दिनांक ५-९-५५ को १५०० रुपये का विवरण प्राप्त हुआ। तत्पश्चात् इस विषय में अर्थ विभाग से उक्त रकम की स्वीकृति की लिखा पढी होती रही तथा निश्चित बजट हैड न होने के कारण वह रकम १९५५-५६ के अन्त तक प्राप्त नहीं हुई। अब अर्थ विभाग की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को जारी की जा रही है।

Page No 15

[श्री दामोदर लाल व्यास]

(ख) (क) में दिये गये उत्तर में देरी का कारण स्पष्ट कर दिया गया है।

(ग) जी हां, यदि हो सका तो करा दिया जावेगा।

श्री जगतसिंह झाला--मेरा तो यह निवेदन है कि तीन दफा सदन में आश्वासन देने के बाद भी इतनी देर क्यों हुई ?

श्री दामोदरलाल व्यास--मैंने आपके सामने सब बातें विस्तार से रखीं, यह इसलिये कि सप्लीमेन्टरी पूछने की आवश्यकता न पड़े। सारी स्टेजेज बता दी हैं किस स्टेज पर क्यों हुआ।

श्री जगतसिंह झाला--अब कब तक करा दिया जायगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास--बहुत जल्दी, अब अर्थ विभाग से स्वीकृति मिल चुकी है जितना जल्दी मुमकिन होगा करा दिया जायगा ?

श्री जगतसिंह झाला--केवल जल्दी कह देने से अवधि का पता नहीं लगता इसलिये आप निश्चित तारीख बता दीजिये ?

श्री दामोदरलाल व्यास--आपको यह तो पता है चुनाव के प्रोसीजर में कितनी कितनी बातें होती हैं, इलेक्टोरल रोल्स छपवाने पड़ते हैं और यदि जनरल इलेक्शन के साथ आजायें तो आगे भी सरकाना पड़ सकता है।

श्री जगतसिंह झाला--आप महीने बता दीजिये चार महीने लगेंगे छः महीने लगेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास--मैंने निवेदन किया प्रोसीजर में टाइम लग ही जाता है।

श्री भैरूं सिंह--एक म्युनिसिपेलिटी के चुनाव में इतना लम्बा समय लग सकता है तो जनरल इलेक्शन में तो बरसों लग जायेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास--प्रोसीजर में टाइम लग ही जाता है।

श्री भैरूं सिंह--ग्राम चुनाव तक नगरपालिकाओं के चुनाव न किये जायं, क्या इस प्रकार के निर्णय कर लिये गये हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास--मेरी जानकारी में यह बात नहीं है ?

श्री जगतसिंह झाला--फाइनेन्स डिपार्टमेंट में एक साल तक कागज पडा रहा बावजूद कोशिश के आप फरमा रहे हैं अब ओर्डर्स हुए हैं, तो इस देरी का क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास--मैंने अपने उत्तर में डिटेल वाईज् बताया कि कहां कहां कितना कितना समय लगा।

श्री जगतसिंह झाला--तो महीने कितने हुए यह स्पष्ट फरमाया जावे ?

श्री दामोदरलाल व्यास--तारीखें मैंने बतादी हैं अब यह जोड़ बाकी का सवाल हैं। आप खुद ही हल करलें इसे।

श्री चन्दनमल वैद--क्या ऐसा आदेश दे दिया गया है कि ग्राम निर्वाचन से पहले नगरपालिकाओं का चुनाव न हो।

श्री दामोदरलाल व्यास--यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री चन्दनमल वैद--आपकी जानकारी में नहीं है तो फिर किसकी जानकारी में होना चाहिये ?

श्री दामोदरलाल व्यास--मेरी जानकारी में नहीं है। आप सूचना देते हैं तो मैं जानकारी करके कुछ कह सकता हूं।

श्री भैंरू सिंह--नगरपालिका के एरिया के घोषित हो जाने के बाद कितना समय लगना चाहिये उसके चुनाव होने में ?

श्री अध्यक्ष--यह तो रूल्स में लिखा होगा। That is prescribed in the Act.

श्री भैंरू सिंह--उसमें नहीं लिखा है साहब।

तो क्या सरकार यह समझती है कि जो फाइनेन्स सेक्रेटरी और लोकल सैल्फ सेक्रेटरी ने जितना समय लिया वह उचित है ?

श्री अध्यक्ष--उचित अनुचित की बात नहीं है।

श्री जग० सिंह झाला--इसमें देर किये जाने का क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास--यहां पहले नगरपालिका नहीं बनी थी, अब घोषित हुई है इस लिये समय लग गया।

श्री जगतसिंह झाला--इसको और नगरपालिका की सीमा को निर्धारित हुए तो दो वर्ष हो गये, इसके बाद इतना समय लगने का क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास--दो वर्ष तो नहीं हुए।

श्री चन्दनमल वैद--नहीं साहब, २३ महीने हुए हैं।

श्री जगतसिंह झाला--यह तो स्पष्ट नहीं हुआ। इसमें जान बूझकर देरी की गई है।

श्री दामोदरलाल व्यास--मैंने तफसील में पूरा जवाब दिया है।

श्री अध्यक्ष--उसे दोहराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट।

Page No 17

प्रश्न संख्या १५

तहसील उनियारा, दूनी व टोंक में अस्पताल व सब-डिस्पेन्सरीज एवं महिलाओं की चिकित्सा हेतु व्यवस्था

राव राजा श्री सरदारसिंह—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) तहसील उनियारा, दूनी व टोंक में कहां कहां पर हास्पिटल व सब-डिस्पेन्सरीज़ हैं ?

(ख) टाउन उनियारा और कस्बा दूनी व अलीगढ़ में हास्पिटल में जनाने व मरदाने कितने कितने बेड्स हैं ?

(ग) उक्त अस्पतालों में वार्षिक, मासिक व दैनिक बीमारों का औसतन आवागमन कितना है ?

(घ) उक्त स्थानों के अस्पतालों व सब-डिस्पेन्सरीज़ में स्त्रियों के इलाज के लिये क्या व्यवस्था है ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) —

(क) तहसील उनियारा में	उनियारा डिस्पेन्सरी ।
तहसील दूनी में	कोई नहीं ।
तहसील टोंक में	सादत हास्पिटल, टोंक ।
	जनाना हास्पिटल, टोंक ।
	अमीरगंज डिस्पेन्सरी, टोंक ।
	पीपलू डिस्पेन्सरी ।

(ख) टाउन उनियारा व अलीगढ़ में केवल आउट डोर डिस्पेन्सरी है व दूनी में कोई डिस्पेन्सरी नहीं है । इसलिये बेड्स का प्रश्न नहीं पैदा होता ।

(ग) उक्त अस्पतालों के वार्षिक, मासिक व दैनिक बीमारों की औसत इस प्रकार है :—

नाम डिस्पेन्सरी		वार्षिक	मासिक	दैनिक
उनियारा डिस्पेन्सरी	..	३८६६०	३१८०	१०६
सादत हास्पिटल, टोंक	..	१२७०६३	१०४४६	३४८.२
जनाना हास्पिटल, टोंक	..	५६२१०	४६२०	१५४
अमीरगंज डिस्पेन्सरी, टोंक	..	३६०६८.५	२६६७	९८.६
पीपलू डिस्पेन्सरी	..	२०८०५	१७१०	५७
अलीगढ़ डिस्पेन्सरी	..	३७३०३	३०६६	१०२.२

(घ) टोंक में तो स्त्रियों की चिकित्सा के लिये अलग जनाना अस्पताल है। शेष उपरोक्त जगहों पर नर्स-दाइयों का प्रावधान करने के प्रश्न पर संचालक, स्वास्थ्य विभाग को लिखा गया है।

राव राजा श्री सरदारसिंह—आपने दूनी के लिये बताया कि वहां डिस्पेन्सरी नहीं है, वहां तहसील तो है फिर डिस्पेन्सरी क्यों नहीं हुई ?

Page No 18

श्री दामोदरलाल व्यास--यह नई तहसील हुई है। वहां दवाखाना, आयुर्वेद का जरूर है।

राव राजा श्री सरदारसिंह--मेरे प्रश्न ख का जवाब साफ़ नहीं हुआ।

श्री दामोदरलाल व्यास--मैंने जवाब दिया तो है और वह साफ़ है। आप उसे फिर देखें।

प्रश्न संख्या १६

राजस्थान में अनेक जिला बोर्डों के चुनाव अभी स्थगित कराने के कारण

श्री जगतसिंह झाला--क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(क) गजट में तारीखें प्रकाशित होजाने पर भी किन किन कारणों से राजस्थान में कई जिला बोर्डों के चुनाव एक अनिश्चित काल के लिये रोक दिये गये?

(ख) क्या यह सच है कि सरकार इन चुनावों को आने वाले ग्राम चुनावों के बाद कराने का विचार रखती है?

श्री दामोदरलाल व्यास--(क) जिला गंगानगर, चूरू और बीकानेर के अतिरिक्त दूसरे जिलों में बहुत से ग्राम ऐसे रह गये जो किसी भी पंचायत में नहीं हो सके। इस तरह उन्हें मतदान में भाग लेने का हक नहीं रहा। उन्हें मतदाताओं की सूची में लेने के लिये सरकार ने फिलहाल चुनाव रोक दिये हैं। इसके अतिरिक्त बारिश के अधिक होने से भी चुनाव नहीं हो सके।

(ख) ऐसे स्थानों में मतदाताओं की सूची तयार हो जाने पर चुनाव की कार्यवाही हो सकेगी।

श्री जगतसिंह झाला--क्या सरकार ने पहले नहीं सोचा कि चुनावों तक सूची कम्प्लीट हो जायगी या नहीं?

श्री दामोदरलाल व्यास--उस वक्त ध्यान में नहीं था कि कुछ या बहुत से गांव ऐसे रह गये हैं जो जिलों में पंचायतों शामिल नहीं किये गये हैं। जब चुनावों का कार्यक्रम बनाया गया तो जगह जगह से रिप्रज़ेन्टेशन आये और बहुत सी शिकायतें भी आईं कि बहुत से गांव इन जिलों के अन्तर्गत आने वाले किसी पंचायत म नहीं लिये गये हैं, वे छोड़ दिये गये हैं। मिसाल के तौर पर मैं अर्ज़ करूं कि जयपुर जिले म २०० से ज्यादा गांव एसे रह गये हैं जो जिले में किसी पंचायत में शामिल नहीं किये गये हैं जब कि उनको हक है कि व अपना मत द। इसलिये उनको उनके हक से महरूम नहीं रखने के लिये एसा किया गया है।

श्री जगतसिंह झाला--वहां तहसील पंचायतों के चुनाव हो चुके ह?

श्री दामोदरलाल व्यास--इसका इससे क्या सम्बन्ध है?

श्री जगतसिंह झाला--कई गांव रह गये थे इसलिये जिला में उनका प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता था, उस पर असर पड़ता था, इसलिये जिले के चुनाव आपने रोक दिये हैं तो क्या इस प्रकार का प्रभाव तहसील पंचायतों पर नहीं पड़ा, उनके चुनाव क्यों नहीं रोके गये?

श्री दामोदरलाल व्यास--हो सकता है उस वक्त यह बात ध्यान में नहीं आई हो।

श्री जगतसिंह झाला--चुनाव पोस्टपोन करने से पहले बीकानेर डिविजन से बहुत से लोगों ने रिप्रेजेन्टेशन किया था कि हमारे गांव पंचायतों में नहीं आये हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास--यह बात मेरे ध्यान में नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या यह सही है कि तहसील पंचायतों के भी चुनाव होने से पहले सरकार के सामने रिप्रेजेन्टेशन किया गया था कि हमारे गांव सूची में नहीं लिये गये हैं, इसलिये पहले उनको सूची में लिया जावे और इसके बाद तहसील पंचायतों का चुनाव कराया जावे और वे रिप्रेजेन्टेशन सरकार ने मन्जूर नहीं किये ?

श्री दामोदरलाल व्यास--यह अलग से प्रश्न है। अगर कोई किसी तहसील पंचायत के लिये सवाल पूछेंगे तो उत्तर देंगे ?

श्री जगतसिंह झाला--उदयपुर में कोई रिप्रेजेन्टेशन नहीं हुआ फिर भी वहां चुनाव पोस्टपोन किये गये यह कैसे ?

श्री दामोदरलाल व्यास--वहां तो फिर सरकार ने छानबीन की और तब पता लगा कि वहां उन जिलों में रह गये इसलिये पोस्टपोन कर देना पड़ा।

श्री मानसिंह महार--फिर बीकानेर में भी छानबीन कराई जानी चाहिये थी, वहां क्यों करा दिये गये ?

श्री दामोदरलाल व्यास--सरकार के पास इसकी जानकारी नहीं थी।

श्री जगतसिंह झाला--प्रश्न का भाग ख स्पष्ट नहीं हुआ है। आम चुनाव के पहले ये चुनाव करा दिये जावेंगे या बाद में कराये जावेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास--मैंने उत्तर दिया ऐसे स्थानों में मतदाताओं की सूची तैयार हो जाने पर चुनाव की कार्यवाही हो सकेगी।

श्री जगतसिंह झाला--इसमें समय कितना लगेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास--जितना चुनाव के सारे प्रोसेस में समय दरकार है।

श्री जगतसिंह झाला--यह आम चुनाव के बाद ही होगा फिर यह माना जावे ?

श्री दामोदरलाल व्यास--यह आपको अधिकार है जो सोचना हो आप सोच लें।

श्री मानसिंह महार--प्रश्न साफ और सीधा है। आप उसी तरह से साफ और सीधा उत्तर दीजिये न कि जनरल इलेक्शन के बाद ये चुनाव होंगे या पहले होंगे। गोलमाल उत्तर नहीं चाहते।

श्री दामोदरलाल व्यास— जितना इलेक्शन के सारे प्रोसीजर में समय लगता है उतना समय लगने के बाद चुनाव होंगे।

श्री मानसिंह महार—प्रोसीजर का मामला नहीं है। आप तो यह फरमावें आप उस प्रोसीजर को इलेक्शन के समय से पहले पहले पूरा कर लेंगे या बाद में करेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इसके लिये कुछ नहीं कहा जा सकता, जितना समय जरूरी होगा उतना लगेगा, अब इसमें जनरल इलेक्शन से पहले कार्यवाही पूरी हो जावेगी तो पहले और बाद में तो बाद में चुनाव होंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो वे कौनसे कारण हैं जिनकी वजह से सरकार ने गांव छूट जाने के बावजूद तहसील पंचायतों के चुनावों को तो रोके रखना ठीक नहीं समझा पर उसी कारण की बिना पर जिला बोर्डों के चुनावों को रुकवाना ठीक समझा ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैं अर्ज कर चुका हूं कि यह अलग से सवाल है। अलग से सवाल पूछें तो जवाब दे सकूंगा।

श्री अध्यक्ष—बगैर नोटिस के जवाब नहीं मिल सकेगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जो कारण अभी दिये गये वे ये हैं कि गांवों के नाम छूट गये थे, अतः ये चुनाव स्थगित किये गये तो मैं पूछता हूं कि गांवों के नाम छूटना जिला बोर्डों और तहसील पंचायतों दोनों के चुनावों के लिये एक कामन फैक्टर है। कामन फैक्टर होते हुए भी एक जगह तो चुनावों को स्थगित करना उचित नहीं समझा गया और दूसरी जगह उचित समझा गया, तो इस डिस्क्रिमिनेटरी डिसीजन के लिये ऐसा कौनसा कारण हुआ वह आप बताएं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने यह कभी मंजूर नहीं किया कि सरकार के नोटिस में तहसीलों के चुनाव के वक्त यह बात आ गई थी। उस वक्त यह बात नोटिस में नहीं होगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही नहीं है कि लोगों ने सरकार के ध्यान में यह बात ला दी थी तहसील पंचायतों के चुनाव के पहले सिर्फ लिखित रूप में ही नहीं कि सिर्फ गांवों के नाम ही छूट गये हैं बल्कि गांव वालों ने रिप्रेजेन्टेशन भी किया था और राजस्थान सरकार ने उनके रिप्रेजेन्टेशन को लिखित रूप में नामंजूर किया ? इसके बाद आपने जो उत्तर दिया है आप अपने उस उत्तर को देखिये।

श्री दामोदरलाल व्यास—मैं, जो मुझे अर्ज करना था वह अर्ज कर चुका।

श्री अध्यक्ष—नोटिस चाहिये।

श्री जगतसिंह झाला—क्या तहसील पंचायतों के और जिला बोर्डों के दोनों के मतदाता एक ही हैं ? दोनों के लिये एक ही कारण होने के बावजूद जिला बोर्डों ही के चुनाव किस कारण से रोके गये ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने, जिन कारणों से रोके, वे बता दिये हैं।

श्री जगतसिंह झाला--क्या ऐसी कोई पंचायतें हैं कि जिनका कोई चुनाव नहीं हुआ है ? मैंने पहले ही आपसे अर्ज किया कि वहां ऐसी कोई पंचायतें नहीं हैं कि जिनका चुनाव बाकी हो ।

श्री दामोदरलाल व्यास--जिनकी शिकायतें आई हैं वहां की जानकारी प्राप्त की गई है और यह पाया गया है कि बहुत से जिलों में गांव के गांव छूट गये हैं, तो चुनाव स्थगित कर दिया गया है। दूसरा कारण बारिश की ज्यादती की वजह का है। उदयपुर जिले में कौनसे गांव शामिल हुए हैं या नहीं इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिये नोटिस की जरूरत है ।

श्री झाला--मैं यह निवेदन करता हूं कि उदयपुर जिले में चुनाव बहुत देर से रखे हैं, नवम्बर तक इसलिये बारिश का वहां सवाल ही नहीं आता था ।

श्री दामोदरलाल व्यास--मैंने दूसरे का कारण भी बताया था निश्चित रूप से इन्कार नहीं किया है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या यह सही है कि जयपुर जिले में गांव छूट गये थे इस कारण से उदयपुर जिले में भी चुनाव स्थगित करवा दिये गये ?

श्री दामोदरलाल व्यास--जी नहीं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--तो उदयपुर जिले के लिये कौनसा कारण था वह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष--बतला दिया ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--जब कि दोनों कारणों में से एक भी लागू नहीं होता है कि न तो वहां गांव छूटे हैं और न वहां बरसात का ही कारण था तो इन्हें, माननीय अध्यक्ष, तीसरा कारण ढूंढने दें ।

श्री अध्यक्ष-- दोनों लागू होते हैं ।

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)--क्या चुनाव स्थगित करवाने से पहले गांवों की निश्चित सूची, कि अमुक अमुक जिले में अमुक अमुक गांव नहीं आ सके हैं बना ली गई थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास--इसकी जानकारी कर ली गई थी ।

श्री मानसिंह महार--जानकारी में बीकानेर का हवाला नहीं दिया गया है क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास--यह मैंने जवाब दे दिया है ।

श्री भैरूंसिंह--जवाब साफ नहीं बता रहे हैं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या आप ऐफिडेविट देने को तैयार हैं कि यही कारण थे ?

श्री अध्यक्ष--राव राजा श्री सरदारसिंह हैं ?

श्री मानसिंह महार--क्या बीकानेर के एम. एल. एज. चाहते थे, और जगहों के एम.एल.एज. नहीं चाहते थे इसलिये चुनाव स्थगित किये गये ?

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या वहां पर कांग्रेस के आदमियों के हारने का अंदेशा था इसलिये चुनाव स्थगित करवा दिये ? (घंटी)

श्री दामोदरलाल व्यास--यह आप ज्यादा जानते हैं कि कांग्रेस नहीं हारने वाली है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या आपसी झगड़ों के कारण ऐसा किया गया है ? (घंटी)

श्री जगतसिंह झाला--क्या उदयपुर डिवीजन में दरअसल ऐसी स्थिति थी कि कांग्रेस हार जाती ?

श्री अध्यक्ष--Order Please ! Rao Raja Shri Sardar Singh.

प्रश्न संख्या १७

जिला बोर्ड, टोंक द्वारा स्थापित १७ जुलाई, १९५४ से अब तक स्थापित अस्पताल एवं पाठशालाएं

राव राजा श्री सरदारसिंह--क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(क) टोंक जिला बोर्ड का हैडक्वार्टर कहां पर है ?

(ख) १७ जुलाई, सन् १९५४ से अब तक जिला बोर्ड, टोंक ने कहां कहां पर दवाखाने व स्कूल्स आदि स्थापित किये हैं ?

(ग) अब तक उपरोक्त स्कूल्स आदि की क्या आय व खर्च है ?

(घ) क्या जिला बोर्ड का सन् १९५५ तक का ऑडिट हो चुका है ?

श्री दामोदरलाल व्यास--(श्री स्वायत्त शासन मंत्री की अनुपस्थिति में)--(क) मालपुरा।

(ख) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

(ग) खर्च इस प्रकार है :--

१९५४-५५	स्कूल ३१९९३-६ आ० ३ पा०	औषधालय	४४७०७-९-९।
१९५५-५६	स्कूल ६०२४९-११-०	औषधालय	५७५२२-१२-९

स्कूलों से कोई आमद नहीं होती है क्योंकि वहां कोई फीस चार्ज नहीं की जाती है।

श्री सरदारसिंह--टोंक डिस्ट्रिक्ट का हैडक्वार्टर मालपुरा में क्यों है ?

श्री दामोदरलाल व्यास--इसका कारण यह है कि यह फॉमर जयपुर स्टेट का डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है और उस समय यह मालपुरा डिस्ट्रिक्ट का हैडक्वार्टर था। इसलिये इसका हैडक्वार्टर भी वहां था।

[श्री दामोदरलाल व्यास]

चूंकि मौजूदा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में मौजूदा वही यूनिट्स हैं उसमें तहसील टोंक या टोंक शामिल नहीं है इसलिये हैडक्वार्टर तब्दील नहीं किया गया है।

श्री मानसिंह महार--ऑडिट के बारे में क्या जवाब है? पांचवां भाग तो ऑडिट का है।

श्री दामोदरलाल व्यास--ऑडिट हो चुका है।

श्री भैरूंसिंह (वि०सं० १६)--उसमें क्या क्या इर्रेग्युलेरिटीज पाई गई हैं? (हंसी)

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १८

हमीरगढ़ (जिला भीलवाड़ा) को पंचायत का चुनाव परिणाम एवं पंचों के नामों का राज-पत्र में प्रकाशन

श्री जगतसिंह झाला--क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:--

(क) हमीरगढ़, जिला भीलवाड़ा, ग्राम पंचायत का चुनाव कौनसी तारीख को हुआ व गजट में पंचों के नाम कब प्रकाशित हुए?

(ख) क्या यह सच है कि ११ महीने तक बावजूद कोशिश के इन पंचों को कार्य प्रारंभ करने से रोका गया?

(ग) क्या यह भी सच है कि स्वायत्त शासन विभाग व चीफ पंचायत आफीसर के आदेशों को भी जानबूझ कर अवहेलना की गई?

(घ) क्या सरकार इसकी जांच करने का विचार करेगी कि इन पंचों को इतने लम्बे समय तक कार्य क्यों नहीं करने दिया गया?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)--(स्वायत्त शासन मंत्री की अनुपस्थिति में)--(क) निर्वाचन १-१०-५५ को हुआ। निर्वाचन परिणाम ६-६-५६ के राज-पत्र में प्रकाशित हुआ।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) इस पंचायत के चुनाव के विरुद्ध कलेक्टर के यहां चुनाव याचिका प्रस्तुत की गई थी, जिसका निर्णय होकर चुनाव रद्द हो चुका। फलस्वरूप नया चुनाव करवाने का आदेश किया गया जो हाई कोर्ट के समक्ष रिट आवेदन प्रस्तुत होने से रुका हुआ है। इन परिस्थितियों में इस विषय पर अधिक टिप्पणी करना उचित नहीं है।

श्री जगतसिंह झाला--इतने दिनों के बाद प्रकाशित होने का क्या कारण था ?

श्री दामोदरलाल व्यास--मैंने अर्ज कर दिया कि चुनाव याचिका पेश हुई थी और कई नामों के अन्दर देरी हुई थी इसलिये टाइम लग गया ।

श्री जगतसिंह झाला-चुनाव याचिका तो बाद में पेश की गई है। उसके पहले नाम प्रकाशित होगये थे लेकिन उसमें भी ११ महीनों तक रुकने का क्या कारण था ?

श्री दामोदरलाल व्यास--यह मने बताया कि कलेक्टर के यहां हमारी चुनाव याकचिा चल रही थी और कुछ नोमिनेटेड मेम्बर्स के नाम नहीं आये थे और कुछ गजट में शाया होने में देरी होगई।

श्री हरिकृष्ण व्यास-क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि चुनाव याचिका पब्लिकेशन के बाद होती है ? इस बात को ध्यान में रख कर मंत्री महोदय महरबानी करके बतायेंगे कि पब्लिकेशन से पहले चुनाव याचिका का क्या सवाल आया ?

श्री दामोदरलाल व्यास--मैंने अर्ज किया कि पंचायतों के विरुद्ध आपत्तियां प्रस्तुत हुई थीं और चुनाव नहीं होने के आधार पर आपत्तियां की गई हैं। इस तरह के एलिगेशन्स लगाये गये तो वहां शपथ उस समय तक रुकी रही ।

श्री भैरूंसिंह--शपथ ग्रहण करवाने के बाद पंचायतों को काम करने की इजाजत नहीं देने का क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास--जो कुछ शिकायतें हो गई थीं और शिकायतें बहुत गम्भीर थीं इसलिये जांच करवाई गई और उसके बाद चुनाव परिणाम को राज-पत्र में प्रकाशित करने का और शपथ दिलाने का आदेश दे दिया गया जब कि जांच मुकम्मल हो गई।

श्री भैरूंसिंह--स्थगन का आदेश पंचायत को काम करने के मुताल्लिक था या सारे चुनाव के विषय को स्थगित करने का था ?

श्री मानसिंह महार--शपथ ग्रहण करवाने के बाद काम नहीं करने के लिए सरकार ने इजाजत क्यों नहीं दी ?

श्री दामोदरलाल व्यास--उसकी जांच करना बहुत जरूरी था ।

श्री जगतसिंह झाला--(ग) का स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया है ।

श्री मानसिंह महार--स्वायत्त शासन विभाग ने और चीफ पंचायत आफीसर ने आज्ञा दे दी और फिर भी काम नहीं करने दिया गया तो इसका क्या कारण था ?

श्री दामोदरलाल व्यास--मैंने (ग) का जवाब दे दिया 'जी नहीं' ।

श्री भैरूंसिंह--क्या यह सही है कि पंचायतों के पचों को शपथ ग्रहण करवाने का आदेश हो चुका था ?

श्री जगतसिंह झाला--मैं (ग) का जो जवाब दिया गया है 'जी नहीं' उसको चेलेन्ज करता हूं। ऐसे ऑर्डर्स वहां पर पहुंचे हैं तो मैं चेलेन्ज करने को तैयार हूं।

श्री मानसिंह महार--इसको क्यों न कल के लिये पोस्टपोन कर दिया जाय ताकि वह मंत्री जी जिनके आधीन यह विभाग है वह ठीक से जवाब दे सकें······

श्री दामोदरलाल व्यास--मैं जवाब देने को बिल्कुल तैयार हूं।

श्री मानसिंह महार--आप क्या जवाब दे रहे हैं ? आप बिल्कुल प्रश्न को इवेड किये जा रहे हैं। इसका सही जवाब नहीं आ रहा है, इसलिये या तो इसको पोस्टपोन कर दिया जाय या, अध्यक्ष महोदय, इसका सही जवाब दिलाने की कार्यवाही की जाय ?

श्री हरिकृष्ण व्यास--इस प्रश्न को और समय दे दिया जाय ताकि जो कि कलेक्टर साहब ने रोक दिया है उसके लिये स्पष्ट मंत्री महोदय को हो जाय कि किस के आदेश से वे चुनाव रोके गये थे।

श्री दामोदरलाल व्यास--मैंने ठीक जवाब दिया है कि यह मामला हाई कोर्ट के सामने रिट के जरिये से पेश हुआ है। इस पर ज्यादा रोशनी डालना मुमकिन नहीं है क्योंकि यह मामला सबजूडिस है।

श्री मानसिंह महार--यह तो अब हुआ है। हम तो पहले का पूछ रहे हैं।

श्री भैरूंसिंह--क्या यह सही है कि यहां पर सरकार नोमीनेटेड ग्राम पंचायत की स्थापना करना चाहती है इसलिये डिले हुई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास--इस तरह की कोई बात नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि चुनाव अधिकारी ने परिणाम घोषित करने के बाद चुनावों के सिलसिल में गड़बड़ी की जांच सरकार ने कौन से कानून अथवा रूल्स के अन्तर्गत की है ?

श्री दामोदरलाल व्यास--यह आप कानून में देखिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास--There is no provision. रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद इलेक्शन पिटीशन हाई कोर्ट में कर सकते हैं। वे (सरकार) जांच करने वाले कौन होते हैं ? जांच करने का कौनसे कानून के अन्तर्गत उनको अधिकार है ?

श्री अध्यक्ष--जवाब तो दे दिया। आप बहस कर रहे हैं कानून के प्रोवीजन्स पर।

श्री हरिकृष्ण व्यास--There is no question of discussion on the provisions of the law, but I want to know from where they got the power to make an enquiry.

श्री अध्यक्ष--This is inherent in the Government.

श्री दामोदरलाल व्यास--There were allegations that elections were not at all held. Therefore, it was necessary for the Government to make enquiries whether those allegations were correct.

श्री हरिकृष्ण व्यास--Under what law and rule ?

श्री दामोदरलाल व्यास--Law you must read in the Law books.

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या यह सही है कि चुनावों के संबन्ध में किसी प्रकार की जांच का करने का कोई अख्त्यार सरकार को नहीं है ? (घंटी)

श्री जगतसिंह झाला--क्या चुनाव याचिका सिर्फ सरपंच के खिलाफ पेश हुई है या सारी पंचायत के खिलाफ पेश हुई है ? सब को काम रोकने का क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास--(ग) के उत्तर में I have refused. फिर यह सवाल ही पैदा नहीं होता है।

श्री मानसिंह महार--अध्यक्ष महोदय, ज्यादा जानकारी विभागीय मंत्री महोदय को है उनको बुलाया जाय।

श्री जगतसिंह झाला--उनको क्यों नहीं चार्ज दिया गया और काम करने से क्यों रोका गया ?

श्री मानसिंह महार--अध्यक्ष महोदय, अगर मंत्रीजी को मालूम नहीं है तो मंत्री महोदय इन्चार्ज आफ दी डिपार्टमेंट मौजूद हैं उनको क्यों नहीं बुला लिया जाय ?

श्री दामोदरलाल व्यास--जब मैंने (ग) का उत्तर 'जी नहीं' में दे दिया है तो कोई सवाल नहीं पैदा होता है।

श्री भैरूंसिंह--क्या सरकार ने ऐसा कोई आदेश दिया है कि जिसके द्वारा पंचों को शपथ नहीं ग्रहण कराई जाय ?

श्री मानसिंह महार--क्या सदन के सामने इस मामले को इवेड करने के लिये ही माननीय स्वायत शासन मंत्री बाहर खड़े हुए हैं ? (हंसी)

श्री हरिकृष्ण व्यास--मंत्री महोदय जो लॉबी में ठहरे हुए हैं उनको आप बुला सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--Order please ! Next.

प्रश्न संख्या १६

राजस्थान में कुछ पंचायतों के विरुद्ध हाई कोर्ट में रिटें

राव राजा श्री सरदारसिंह--क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:--

(क) राजस्थान में कितनी पंचायतें हैं और उनमें से किन २ का चुनाव हो चुका है व किन २ का बाकी है और क्यों ?

Page No 27

[श्री सरदारसिंह]

(ख) क्या यह सत्य है कि जिन २ में चुनाव हो चुके हैं उनके विरुद्ध हाई कोर्ट में रिटें हो रही हैं ?

(ग) यदि हां, तो वे किस स्टेज पर हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—(क) कुल ग्राम पंचायतों की संख्या ३२६० है। उनमें से २२ ग्राम पंचायतों के अलावा सब पंचायतों के निर्वाचन हो चुके हैं।

पंचायत

१. जिला सिरोही ..	सिन्दरथ	ग्रामवासियों के सहयोग न मिलने से।
२. ज़िला सवाईमाधोपुर	बरगवां	ग्रामवासियों के सहयोग न मिलने से।
३. ज़िला गंगानगर	किशनासर अनूपगढ़ कोडी बन्दर सरजासर कालीकेरी छतरगढ़	अब ये गैर आबाद गांव हैं इनको १९४१ की जनगणना के आधार पर सम्मिलित किया गया था।
४. जिला अलवर ..	तिजारा कस्बा राजगढ़ सोखरगंज खेड़ली	यहां इस समय टाउन बोर्ड काम कर रहे हैं।
५. बूंदी ..	पीपलियां	पटवार सर्किल न बनने से।
६. ज़िला पाली ..	झंठा गिरी बराटा कलां निम्बेड़ा बलून्दा लाटोती बाजाकूडी निम्बलि मोराई	रिट पिटीशन दायर हो जाने से।

(ख) जी नहीं। ३२६८ पंचायतों के चुनाव कराये गये जिनमें से केवल ३४ पंचायतों के चुनावों के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय में रिट दायर है।

(विराम)

श्री अध्यक्ष—Finished.

[श्री अध्यक्ष]

राजस्थान से गौनिकासी के सम्बन्ध में स्थगन-प्रस्ताव

Shri Jagat Singh Jhala has tabled an adjournment motion "Gau Nikasi". I don't think it is a matter of urgent public importance I do not accord my sanction to this.

श्री जगतसिंह झाला—दो मिनिट बोलने के लिए हुक्म फ़रमाया जायगा क्योंकि मैं वीरजी के अनशन पर, बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—डिमान्ड के वक्त कोई कट मोशन दे दें।

श्री जगतसिंह झाला—इसको पढ़ देने की ही आज्ञा हो जाय।

श्री अध्यक्ष—कट मोशन दे दीजियेगा।

श्री भैरूं सिंह—वह डिमान्ड तो आवेगी ही नहीं। उस पर गलोटिन एप्लाई होगा।

श्री अध्यक्ष-There are certain questions which are coming to-morrow or day after to-morrow. I will give time to the Members to ventilate their grievances.

श्री भैरूं सिंह—अनशन के बारे में है। उनकी हालत खराब हो रही है।

श्री अध्यक्ष—I will allow the members to ventilate their grievances.

Yes. Shri Ramnivas Mirdha.

राजस्थान मोटर विहिकल्स रूल्स, १६५१ में संशोधन करने वाली, सदन की मेज पर रखी गई ४ विज्ञप्तियां

श्री रामनिवास मिर्धा (यातायात मंत्री)—म, अध्यक्ष महोदय, मोटर विहिकल्स एक्ट, १६३६ की धारा १३३ के अन्तर्गत निम्नलिखित गृह विभाग (२) विज्ञप्तियों की प्रतिलिपियां जिनके द्वारा राजस्थान मोटर विहिकल्स रूल्स, १६५१ में संशोधन किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

(अ) सं० डी. ३६८०।एफ़. १६(७)गृह. २।५६, दिनांक १५ मई, १६५६।

(आ) स० डी. ३५६१ (एफ़)१०(२)१४।एच. २।५४, दिनांक १६ मई, १६५६।

(इ) सं० डी. ११८३।गृह (ख)।एफ़. १०(५)८।गृह. २।५४, दिनांक २६ मई, १६५६।

(ई) सं० डी. १०६२।एफ़. १०(२)१३।होम बी.।५४, दिनांक ६ जून, १६५६।

(विराम)

श्री अध्यक्ष—श्री बृजसुन्दर शर्मा।

अधिक (१९५२-५३) व अनुपरक (१९५६-५७) अनुदानों के मांगों की प्रस्तुति

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री)--अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित अनुदान मांगों को प्रस्तुत करता हूं :--

१. अधिक अनुदानों की मांग १९५२-५३, तथा

२. अनुपूरक अनुदानों की मांगें १९५६-५७, प्रथम खंड।

अधिक अनुदान की मांग संख्या ६०-भू-राजस्व

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अधिक अनुदान की मांग संख्या ६०, शीर्षक ७-भू-राजस्व के सम्बन्ध में संचित निधि में से ३१ मार्च, १९५३ को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को रुपये २००,९५७ तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष--Yes. Shri Bhairon Singh.

श्री भैरूं सिंह--Mr. Speaker, Sir, I beg to move that Demand No. LX-7 Land Revenue--be reduced by Re. 1/- (to discuss the failure of the Government to implement the order for non-realisation of the expenditure incurred on settlement operations in time).

श्री दामोदरलाल व्यास--Is it 'non-realisation' or 'realisation', Sir ?

श्री भैरूं सिंह--माननीय अध्यक्ष, मैंने जो ओरिजिनल कट मोशन की लिस्ट दी है उसमें "नोन-रियेलाइजेशन" है आप उसमें देख सकते हैं।

(विराम)

श्री अध्यक्ष--"Not realising........".

श्री भैरूं सिंह--मैं निवेदन करता हूं कि गवर्नमेन्ट ने ऐसे आदेश दिये थे कि जागीरदारों से सेटलमेन्ट का खर्चा वसूल नहीं किया जाय, लेकिन उन आदेशों की तामील नहीं की गई। इसका मतलब यह लगाया गया है कि गवर्नमेन्ट ने इस प्रकार के ड्यूज (Dues) वसूल नहीं किये हैं।

श्री अध्यक्ष--अब आप क्लियर करिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास--I rise on a point of order, Sir, रूल्स में ऐसा है कि हाइएस्ट अमाउन्ट के कट मोशन को प्रायोरिटी दी जाय। अब यहां जो कार्यवाही चल रही उसमें लोएस्ट अमाउन्ट ओफ़ कट मोशन को प्रायोरिटी दी गई है। अध्यक्ष महोदय के ध्यान में लाने के लिये यह पोइन्ट ओफ़ ओर्डर रेज किया है और इसको चेन्ज करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—भैरोंसिंहजी के ही हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ऐसी बात तो नहीं है।

श्री अध्यक्ष—These are token cut-motions. If there would have been open motions the priority would have been given. (श्री भैरोंसिंह से) Yes continue.

श्री भैरू ंसिंह (१६)—अध्यक्ष महोदय, जिस समय राजस्थान में जागीर रिज़म्प्शन एक्ट की हवा चली उस वक्त से लेकर आज तक निरन्तर यह प्रयास होता रहा है कि जागीरदारों और सरकार के बीच में कई खास मुद्दों को लेकर कोई समझौता हो जाय। उन खास मुद्दों में यह चीज़ भी शामिल की गई थी कि जिस जमीन का जिस जागीर इलाके में रिज़म्प्शन हो रहा है उस इलाके का यदि सेटलमेन्ट हुआ है, सरकार ने अपने खर्चे से सेटलमेन्ट कराया है तो वह खर्चा जागीरदार को भुगताना चाहिये या सरकार को? कई एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेने के बाद सरकार इस नतीजे पर पहुंची के सारा का सारा सेटलमेन्ट का खर्चा जागीरदारों से न लेकर सरकार खुद बरदाश्त करे।

लेकिन अध्यक्ष महोदय, जिस समय सरकार इस नतीजे पर पहुंची उसके बाद जो जो सरकार ने स्टेप्स लिये उनसे जिन लोगों को सरकार खर्चे से मुक्त करना चाहती थी वे लोग भी मुक्त नहीं हुए बल्कि उनसे डिक्री और कुड़की के द्वारा तहसीलों के ज़रिये वसूली की गई। इस बात से राजस्व मन्त्रीजी अनभिज्ञ नहीं होंगे लेकिन मैं उनकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि जिस समय सन् ५२ से पहले चर्चा हो रही थी कि सेटलमेन्ट ओपरेशन्स में जितना खर्चा हुआ है वह सब गवर्नमेन्ट को भुगतना चाहिये और जागीरदारों से नहीं लेना चाहिये और इसलिये बाद में आदेश निकाला जाता है कि यह स्थगित कर दिया जाय। कई दिनों तक तो यह आदेश दूसरे हुक्म की इन्तज़ारी में पड़ा रहा। जो अधिकारी लोग थे उन्होंने यह रवैया अख्त्यार किया कि जिस किसी भी जागीरदार को तहसील से रकम लेनी होती या उसको तहसील से और कोई काम निकालना होता तो सबसे पहले उनके सामने यह बात रखी जाती थी कि तुम्हारे जिम्मे सेटलमेन्ट ड्यूज़ के इतने रुपये हैं इसलिये या तो ये रुपये जमा करवाओ वरना डिक्री और कुड़की के ज़रिये वसूली की जायगी। सन् ५३ तक इसी प्रकार की स्थिति रही। सन् ५३ में जागीरदारों और सरकार के बीच समझौता होने की सूरत हो रही थी। तब यह तय हुआ कि सेटलमेन्ट का खर्चा जागीरदारों से वसूल नहीं होना चाहिये था, लेकिन इसको इम्प्लीमेन्ट करने के लिये सरकार ने कोई क्लियर कट ओर्डर नहीं दिया कि यह खर्चा जागीरदारों से वसूल नहीं किया जाय। यह भी तय नहीं किया कि इसके पीछे प्रिन्सिपल क्या था, किस जागीरदार से वसूल किया जाय और किससे वसूल नहीं किया जाय और कब तक का वसूल नहीं किया जाय? सन् ५२ से सेटलमेन्ट चल रहा था। जब गवर्नमेन्ट ने ओर्डर दिया उस समय से यदि जागीरदारों से वसूल नहीं किया जाय तो भी बात समझ में आ सकती है। जागीर रिज़म्प्शन के समझौते के बाद जो खर्चा हुआ उसको वसूल नहीं करना चाहिये इसका भी कोई क्लियर ओर्डर नहीं थी। इसके बाद अलग अलग कलक्टर्स ने और तहसीलदारों ने अपने अपने डिस्क्रीशन काम में लिये। कइयों ने यह कहा कि इस आदेश के बाद खर्चा गवर्नमेन्ट बर्दाश्त करेगी और जागीरदारों से वसूल नहीं होगा लेकिन पहले का जागीरदारों को देना पड़ेगा। कइयों ने कहा

[श्री भैरूंसिंह]

कि सेटलमेन्ट ग्रोपरेशन्स में जितना भी खर्चा जागीरदारों में बाकी है वह सब माफ़ कर दिया जाय। इसका मतलब यह हुआ कि एक तहसील में जागीरदारों को प्रोटेक्शन मिलता है और दूसरी में उस आदेश की तारीख को मानकर पिछला बकाया वसूल होता है। राजस्व मन्त्रीजी यदि उदाहरण चाहें तो मैं उनको सीकर जिले की तहसीलों का उदाहरण दे सकता हूं। सीकर जिले की एक तहसील में इस ढंग से किया गया कि सेटलमेन्ट के सब ड्यूज माफ़ कर दिये जायं और उसी सीकर जिले की दूसरी तहसील दांता रामगढ़ में इस ग्रोर्डर का इन्टरप्रिटेशन इस ढंग से किया गया कि ग्रोर्डर देने की तारीख के बाद से माफ हो और बाकी खर्चा जागीरदारों को देना पड़ेगा।

इसके अलावा दूसरी बात यह हो रही है कि बड़े बड़े जितने भी जागीरदार थे उनके सामने यह चित्र था कि हम समझौता कराने वाले हैं और उसके फलस्वरूप मुमकिन है कि सेटलमेन्ट के सारे ड्यूज़ माफ़ हो जावें। लेकिन बदकिस्मती से इस किस्म के आदेश की जानकारी अधिकांश जागीरदारों को नहीं थी और उनमें पेट्टी लैण्ड होल्डर्स की संख्या अधिक थी। उनको यह मालूम नहीं था कि सेटलमेन्ट के ड्यूज माफ होने वाले हैं या नहीं, जब उनको जानकारी नहीं तो तहसीलदारों द्वारा उनको तंग किया गया और वे लोग रकम जमा कराते गये। मैं चाहूंगा कि मन्त्रीजी जो आदेश दें वे स्पष्ट होने चाहियें। यह साफ़ बता देना चाहिये कि ड्यूज़ किस तरह से माफ़ करने हैं, किस तरीके से लागू होगा और किस तारीख से ड्यूज़ समझे जायेंगे। यदि गलत ढंग से वसूली करली गई है और सेटलमेन्ट के नाम से पैसा वसूल कर लिया गया है तो एक सभ्य सरकार के नाते यह सरकार के लिये यह आवश्यक है कि तहसीलों के अधिकारियों द्वारा जो गलत ढंग से किसी का ऊंट नीलाम करके और किसी की भैंस नीलाम करके या कुड़क करके जो पैसा वसूल किया गया है वह सारा पैसा उनको वापिस दिलाया जाय। यदि ऐसा नहीं होगा तो एक आदमी को इस ग्रोर्डर से राहत मिलेगी और दूसरे को नुकसान होगा। तो यह बताना जरूरी है कि कौनसी तारीख से लागू थे और कौनसी सेटलमेन्ट के लिये लागू थे और ग्रोर्डर का अमल पूरी तरह से हुआ है या नहीं? यदि लोगों से वसूली करली गई है तो उनको रकम वापिस दिलवाई जाय।

कई बन्धु यह कहेंगे कि यह खर्चा जागीरदारों से क्यों नहीं वसूल किया जाय? उनको मैं यह बतलाना चाहूंगा कि जब जागीर में उनका इन्ट्रेस्ट रहा ही नहीं और पुनर्ग्रहण के कारण जब जागीर उन्होंने हस्तान्तरित करदी है और यदि उस जागीर का सेटलमेन्ट होता है और उसका खर्चा जागीरदारों से वसूल करते हैं तो यह जागीरदारों के खिलाफ ज्यादती है। इसलिये सरकार को साफ़ तौर से आदेश देना चाहिये कि इम्प्लीमेन्टेशन किस तरह से हुआ है और यदि आदेश के खिलाफ हुआ है तो उनको रकम मिलनी चाहिये। मैं अपने कटौती प्रस्ताव के द्वारा चाहता हूं कि मन्त्री महोदय स्पष्ट करें कि वास्तविक बात क्या है? इस बात को स्पष्ट करने के लिये ही मैंने यह कटौती प्रस्ताव रखा है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या ६० में १००० रु० की कटौती करदी जाय, इसलिये कि बंदोबस्त के खर्चे की वसूली न करने में गलत रियायत बरती गई है।

अभी जो माननीय मित्र बोल रहे थे और जो कटौती प्रस्ताव उन्होंने इस संबंध में रखा है उसकी सदन के सदस्यों के पास जो कोपी आई उसमें ईमानदारी की राय थी लेकिन जो राय उन्होंने व्यक्त की

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

उसके बारे में मैं समझता हूं एक ऐतिहासिक तौर पर लोप हो जाने वाले वर्ग को बेजा रियायत दिलाने के लिये दलील देने के लिये उन्होंने सारी बातें प्रस्तुत की हैं। हकीकत यह है अध्यक्ष महोदय, कि यह खर्चा जो वसूल करना स्थगित करने के कारण जो अतिरिक्त मांग सरकार को पेश करनी पड़ी वह आजकल का खर्चा नहीं है, यह जागीर रिज़ेम्प्शन के बाद का खर्चा नहीं है। यह दलील देकर मुख्तलिफ बात कही गई है। यह खर्चा तो आज से वर्षों पहले का है और मैं यह निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि आज से ३ वर्ष पहले से यह खर्चा रिकवर होना बंद हो गया। पहले बगैर आज्ञा के रिकवर होना बंद हुआ और बाद में सरकार ने कुछ व्यक्तियों के दबाव में आकर ऐसी बेमतलब की आज्ञा दे दी और आज्ञा दे तो दी लेकिन एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिसके बारे में यदि गंभीरता से सोचा जाय, और राजस्व मंत्रीजी को न केवल गंभीरता से सोचना पड़ेगा बल्कि मन्त्रीजी को दबाव देना पड़ेगा। मैं यह कहूंगा कि संविधान का रोज रोज हवाला देने वाले और यह कहने वाले कि हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे और सब को बराबरी का दर्जा देकर चलेंगे या हमारी नजरों में सब बराबर हैं ऐसा कहने वाले मेरे मित्र और मौका आवे तो समाजवादी पेटर्न की पूंछ पकड़ कर चलने की आड़ में कुछ करने वाले लोगों की वाक्य चातुरी मात्र से काम नहीं चलेगा। जब मौका आता है तो अमल कैसे करते हैं इस नजर से देखिये। सेटलमेन्ट के लिये दो रूप के हुक्म चलते हैं। एक हुक्म यह चलता है कि कुछ खर्चा जागीरदारों से वसूल किया जायगा कुछ किसानों से वसूल किया जायगा।

(श्री जवानसिंह, सभापति, पदासीन)

एक तो यह अंग था उसका कि जो खर्चा था किसानों से वसूल किया जाता था और उस हुक्म का दूसरा अंग था कि बाकी का खर्चा जागीरदारों से वसूल किया जाता था। मेरे माननीय मित्र तेज जवाब देने के आदी हैं पर तेज जवाब देने में हर बार सही उत्तर निकलता है, यह बात नहीं है; इसलिये उनकी सूचना के लिये बता दूं सेटलमेन्ट मेन्युअल बनाने में बहुत देर लगी है पर पुराने रूल्स के माफिक अमीन लोग जब पैमाइश करने के लिये गांवों में जाते थे तो उस एक अमीन के पीछे दो चैनमेन गांव वालों को देने पड़ते थे, या तो बेगार के रूप में या चैनमेन को लगातार ड्यूटी देनी पड़ती थी, और यह एक टेक्निकल किस्म का काम है इसलिये यदि गांव वाले दो चैनमेन न दे सकें तो गांव वालों को दो आदमियों की तन्ख्वाह चंदा जमा कर के देनी पड़ती थी। इसके साथ ही य दो चैनमेन तो उस एक अमीन के साथ रहते ही थे उनके अलावा ४ दूसरे बेगारी सामान इधर से उधर उठाने के लिये बारी बारी से गांव वालों को बेगारी में देने पड़ते थे। गांव वालों के पास आदमी नहीं होते तो, ३०-४० रु० माहवार करके देना पड़ता था। और इसके आधार पर एक एक गांव से सात सात हजार रुपया वसूल किया गया है। पीपाड़, सलावास से १३०० रुपया वसूल हुआ है। ४०० से ७०० तक रुपया तो बीसियों गांवों से वसूल हुआ है। कूद कूद कर सवाल पूछने वालों का और राजस्व मन्त्रीजी का कहना हो पुरानी बातों को ख्याल में नहीं लेना चाहते तो आज के दिन बाड़मेर जिले में जिन तहसीलों में सेटलमेन्ट चल रहा है वहां पर आज भी जब कि हम यहां सदन में बात कर रहे हैं Right at this moment वसूल किया जा रहा है, वहां पर बेगारियों का खर्चा चैनमेनों का खर्चा गांव वालों से वसूल किया जा रहा है। ऐसी स्थिति तो आज भी है। जहां तक किसानों से

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

खर्चा वसूल करने का सवाल है वहां पर न्याय के पुतले, बराबरी का दर्जा देने की बात करने वाले मित्र जो ट्रेजरी बेंचेज पर बैठे हुए हैं, इस खर्चे से किसानों को छुटकारा दिलाने के लिये कुछ नहीं करते लेकिन जब जागीरदारों के लिये जागीरदारों ने या उनके हिमायती लोगों ने आ कर कहा कि सेटलमेन्ट का खर्चा जागीरदारों से क्यों वसूल करते हैं, इनको कहने के पहले सेटलमेन्ट कमिश्नर को कहा और वह रेकर्ड में मौजूद है और सवा साल पहले बिना अधिकार के जागीरदारों से खर्चा वसूल करना बन्द कर दिया और जो राजस्व मन्त्रीजी आज कुर्सी पर विराजमान हैं इनसे पहले के राजस्व मन्त्रीजी, आज जो मुख्य मन्त्री हैं, उन्होंने आज्ञा भी प्रदान करदी चुपके से कि सेटलमेन्ट का खर्चा ता फैसले वसूल न किया जाय। यह तो राजस्व मन्त्रीजी बतायेंगे कि ता फैसले के आगे यह बात गई कि नहीं, इन्टेरिम स्टे तय किया गया था उसको मन्जूरी दी कि नहीं दी, यह तो राजस्व मन्त्री बतायें, सन् १९५४ में इस प्रकार का इन्टेरिम ओर्डर रेवेन्यू सेक्रेटरी के नाम से जारी हुआ।

यदि सेटलमेन्ट का खर्चा वसूल करना इसको सरकार अन्याय मानती है। जिसके पास जागीरें हैं उसके पास के वसूल करना तो कोई अन्याय नहीं होता, पर अगर रियायती दृष्टि से सोचने वाली सरकार मानती है कि यह अन्याय है तो वह जवाब दे कि जागीरदारों से वसूल करना अन्याय है और किसानों से वसूल करना अन्याय नहीं है, यह कहां का न्याय है? यह कहां की परम्परा है? यह कहां की समाजवादी विचार धारा का दृष्टिकोण है? यह तो जागीरदारों का समर्थन करने वालों, उनके समर्थन के लिये सौदे करने वालों की बातें हैं, ले दे कर समर्थन प्राप्त करने की बातें हैं यह अक्षम्य अपराध है और निर्लज्ज परम्परा का दृष्टिकोण है। यदि इस दृष्टिकोण के मुताबिक यदि उस खर्चे की वसूली न की जाय और विधान सभा के सत्र में आ कर कहा जाय कि हमने वह पैसे वसूल नहीं किये और इस वजह से जो आमदनी होने वाली थी वह नहीं हो पाई, उसके लिये मंजूरी लेने के लिये अतिरिक्त मांग स्वीकार करें, और इस तरह ऐसा लांछनपूर्ण कार्य आपने किया वह तो किया ही अब इस पर और लोगों से, हम लोगों से, मोहर लगवाना चाहते हैं, यह कभी गवारा नहीं किया जा सकता।

जब कि सरकार आज तक किसानों से सेटलमेन्ट का खर्चा वसूल करती आई और आज की तारीख तक कर रही है, तो जागीरदारों से उनके हिस्से का खर्चा वसूल न करना यह गैरवाजिब चीज़ है और इसकी मंजूरी सरकार को नहीं दी जानी चाहिये। और मैंने कटौती के प्रस्ताव के जरिये सदन के सामने यह बात पेश की है, मुझे पूरी आशा है कि यदि पैसे भर भी ईमानदारी बाकी होगी, अगर किसानों के नाम पर काम करने वाले लोगों के दिमाग में किसानों के लिये अंश मात्र भी सहानुभूति होगी, तो इस गलती को स्वीकार करते हुए कहेंगे और इस हुक्म को तामील नहीं करने के बारे में जो राग अलापा गया, जो उस हुक्म की तामील नहीं करने का राग अलापने के सिलसिले में किसानों से ३०-३०,४०-४० रुपये लिये हैं, उनको वापिस करने का ऐलान करेंगे और कहेंगे कि हमने गरीबों को तो पहले रियायत दे दी तो शायद कोई सोचे कि तराजू में कानूनी रूपों में तो बराबर तोलते हैं, मैं तो ऐसा नहीं कहूंगा।

पर यहां तो यह है कि कानूनी तराजू में बराबर तोलना तो दूर जागीरदारों को तो माफ़ किया जाता है और किसानों से वसूल किया जाता है, यह कभी गवारा नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूं

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

कि इस गलती को स्वीकार करके राजस्व मन्त्री यह एहसान करेंगे कि किसानों से भी सेटलमेन्ट का खर्चा वसूल न किया जाय। अगर वे इस गलती को मन्जूर नहीं करेंगे और ऐसा अहसान नहीं करेंगे तो राजस्थान के डेढ़ करोड़ किसान उनको कोसेंगे और कहेंगे कि ये अच्छे आये कि रियायत भी करेंगे तो उनके साथ जिनके साथ सख्ती करें तो भी बुरा नहीं।

इन्हीं शब्दों के साथ में अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री मानसिंह महार--माननीय चेअरमेन महोदय, जोधपुर से आये हुए माननीय मित्र का कटौती का प्रस्ताव है उसका विरोध करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। माननीय चेअरमेन कटौती के प्रस्ताव की भाषा देखी जाय तो उसमें शब्द तो यह हैं कि वसूली न करना यह गलती की गई और दिखावे के लिये यह कहा गया है कि रिफंड किया जाय तो इसको भी किया जाय।

चेअरमेन महोदय, असलियत यह है कि कुछ जगह गलतियां हो सकती हैं और हुई हैं, मैं मान सकता हूं।

कुछ तो ऐसे लोगों से वसूल कर लिये गये जिनसे सरकार की नाराजगी थी। माननीय चेअरमेन मैं ये कहूंगा कि यह चीज कोई अनइन्टेन्शनल नहीं की गई। यह सब इन्टेंशनल की गई। कुछ लोग जो वर्तमान सरकार के विरोधी हैं उनको कुचलने के लिये यह किया गया। वे लोग चाहे जागीरदार हों, चाहे काश्तकार हों, उनसे यह रकम वसूल की गई। अब मेरे मित्र यह कहते हैं कि जिनसे नहीं किया गया है उनसे भी वसूल किया जाना चाहिये, उनकी इस परम्परा को मैं बिल्कुल गलत मानता हूं। मैं यह मानता हूं कि बन्दोबस्त का जितना भी खर्चा है, चाहे वह कितना ही क्यों न हो और किसी के लिये भी क्यों न किया गया हो, वह उससे वसूल नहीं होना चाहिये। मेरे जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने पोकार में काश्तकारों से सेटलमेन्ट के खर्चे को वसूल करने की बात कही और जानकारी दी कि वहां पर काश्तकारों से किस हिसाब से वसूल किया गया, यह तो मैं नहीं जानता लेकिन मैं यह कह सकता हूं हूं कि जयपुर डिविजन में तो इस प्रकार की कोई बात नहीं है। अगर कहीं पर किसी ने किसी प्रकार की बदमाशी की हो तो उसको सजा दी जानी चाहिये। ऐसी ही बात मेरे दांता रामगढ़ से आने वाले सदस्य ने कही कि कुछ व्यक्ति विशेषों को छोड़ कर यह लागू की गई। मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि इस प्रकार की कन्ट्राडिक्टरी बातें नहीं होनी चाहिये कि कुछ किसानों और कुछ जागीरदारों को देना पड़े और कुछ को बिल्कुल भी नहीं देना पड़े। इसलिये माननीय चेअरमेन मैं माननीय राजस्व मन्त्री से निवेदन करूंगा कि सेटलमेन्ट के खर्चे की बात है वह बिल्कुल निरर्थक सी चीज है। इसलिये मेरे साम्यवादी मित्र ने तरीका दिया है वह कोई तरीका तरीके में तरीका नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह उनका तरीका एक मुगालता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन जागीरदारों ने अपनी जागीरें दे दी हैं तो फिर उनसे सेटलमेन्ट का खर्चा लेने का क्या हक है? जब वे लोग अपनी जागीरें दे चुके हैं तो जो कुछ भी उस पर इम्प्रूवमेन्ट आदि किया जाए उसकी जिम्मेदारी सब सरकार की है और अगर किसी प्रकार का लाभ पहुंचे तो वह भी सरकार को ही पहुंचेगा। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जो कुछ भी खर्चा सेटलमेन्ट पर हो वह सब सरकार ही दे।

[श्री मानसिंह महार]

दूसरी बात यह है कि हमने जहां तक सुना है कि सरकार ने इसके लिये आश्वासन दिये हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार के आश्वासनों में हमको विश्वास कम करना चाहिये, क्योंकि मौजूदा सरकार के आश्वासन सुबह क्या होते हैं और शाम को क्या होजाते हैं। लेकिन फिर भी मैं यह कहूंगा गवर्नमेन्ट किस चिड़िया को कहते हैं। मैं उसको मानता हूं कि अपनी जबान की पाबन्दी हो। यह नहीं होना चाहिए कि एक इलाके में कुछ दिया जावे और दूसरे इलाके में उसका क्या ही इन्टरप्रटेशन कर दिया जावे। मैं आशा करता हूं कि हमारे माननीय राजस्व मन्त्री अपनी विलअर कट पोलीसी हमारे सामने इस सम्बन्ध में रखेंगे, क्योंकि हम लोग भी अभी इस मामले में विलअर नहीं हैं। हो सकता है १० या ५ व्यक्ति, ऊंचे आदमी जो सरकार के हमेशा अन्दुरूनी मामलों में बातें करते रहते हैं उनको मालूम हो मगर मैं यह कह सकता हूं कि जागीर वर्ग में इस बात की मालूम नहीं कि आपस में क्या समझौता इस बारे में हुआ है। मैं मानता हूं कि सरकार ने आश्वासन दिया है कि सेटलमेन्ट का खर्चा वसूल नहीं किया जावेगा, लेकिन फिर भी वह वसूल किया जा रहा है। वह बड़ों से नहीं किया जा रहा है लेकिन छोटों से वसूल किया जा रहा है। बड़ों के पास तो ज्यादा पैसा है इसलिये वे १० प्रतिशत या २० प्रतिशत नजराने के रूप में बड़े अफसरों को दे देते हैं और बच जाते हैं। कोई लकड़ियों की गाड़ियें पहुंचा देते हैं, जैसा कि आमेर में हो रहा है और अब तो और भी ज्यादा हो रहा है। क्योंकि हमारे यहां ग्यारसीलाल जी पधार गये हैं। कौल साहब का बंगला लकड़ियों से भर जाएगा। अगर इस बात की तरफ ध्यान नहीं किया गया तो मुझे एन्टी करप्शन डिपार्टमेन्ट को मूव करना पड़ेगा।

इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि सेटलमेंट का खर्चा जो भी हो उसकी तरफ ध्यान देना चाहिये, सरकार को चाहिये कि सरकार इसके संबंध में एलान करे कि फलां २ से खर्चा नहीं लेंगे। इस प्रकार की गुप्त वार्ता क्षत्रीय महासभा के चन्द व्यक्तियों से करके लोगों को मुगालता दिया और मैं समझता हूं कि एक तबके को सहायता देना और दूसरे तबके को परेशान करना है और मैं समझता हूं कि यह कोई सरकार के लिये शोभा की बात नहीं है। ऐसी सूरत में मेरे मित्र ने बड़े जोरदार शब्दों में यह कहा है कि जागीरदारों से वसूल होना चाहिये इसका विरोध करता हूं। यहां पर तो ये यह कहते हैं कि जागीरदारों से ली जानी चाहिये और बाहर जाकर ये कहेंगे कि इससे जागीरदारों को नुकसान होता है और खास कर छोटे जागीरदारों को। जब हमने जागीरें दे दीं तो फिर यह क्या और कैसा खर्चा? इस सरकार को हमें उखेड़ फेंकना चाहिये। इन लोगों के बहकावे में सरकार को नहीं आना चाहिये। हम तो उन लोगों में से हैं जो यह चाहते हैं कि किसान और जागीरदार सरकार के नजदीक रहें। ये लोग आज यहां पर यह बात कह कर कल पीपाड़ में जाकर हंगामा मचाएंगे और लोगों से कहेंगे कि हमको इसके लिये सत्याग्रह करना चाहिये। हम सरकार पर बाहर के पैसे से षडयंत्र करना चाहते हैं। हमको इस प्रकार के लोगों की बातों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिये। लेकिन दुर्भाग्य की चीज यह है कि यह सारी बातें होते हुए भी इस प्रकार की चीज सामने आती है और मंत्री गण भी इसकी ओर झांकते हैं, तो मुझे यह दुःख होता है कि शायद मंत्री गण भी इनसे दब जाते हैं। उनको यह नहीं चाहिये कि किसी एक से वसूल करें और दूसरों को माफ करें। यहां तक तो मैं भी मेरे साम्यवादी सदस्य से सहमत हूं। और जो खर्चा किसानों से वसूल किया गया है वह उनको वापिस दिया जाना चाहिये और सरकार को साफ २ शब्दों में ऐलान करना चाहिये कि पीपाड़ में जहां पर किसानों से खर्चा वसूल

Page No 36

[श्री मानसिंह महार]

किया गया है वापिस देना चाहिये । हमारी सरकार का क्या यह तो एक देवालिया सरकार है, करोड़, दो करोड़ का घाटा और सही, जहां पर इतना अधिक खर्चा हो रहा है । जो लोग यहां पहुंचते हैं पैसा लेकर भाग जाते हैं । जहां पर लाख रुपयों की मंजूरी हो वहां पर ५० हजार का काम बनावें और बाकी हजम । ऐसी सूरत में किसानों के हित के लिये ५० हजार या लाख दो लाख की एक्स्ट्रा डिमान्ड मांग ली जावेगी तो हम उसको सहर्ष मंजूर कर देंगे । जब कि हमारी सरकार पैसों के मामलों में इतनी कमजोर है कि कोई भी कृपापात्र खा जाता है । इसलिये में इस कटौती के प्रस्ताव का विरोध करते हुए मैं राजस्व मंत्री से निवेदन करूंगा कि जागीरदारों और किसानों के बारे में स्पष्ट नीति की घोषणा करें ।

श्री दामोदरलाल व्यास--माननीय अध्यक्ष, दो कट मोशन्स पेश किये गये हैं । एक कट मोशन में माननीय सदस्य का कहना यह है कि सेटलमेंट के जो चार्जेज हैं वे जागीरदार से वसूल जरूर होने चाहियें और उनके साथ रियायत नहीं होनी चाहिये ।

दूसरा जो कटौती प्रस्ताव है उसमें कहा गया है कि जो उनके साथ रियायत की गई है उनको ठीक तरह से इम्प्लीमेन्ट नहीं किया गया है ।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जागीरदारों के साथ में समझौते का कोई प्रश्न नहीं है । उन्होंने यह सरकार को रिप्रेजेन्ट किया कि सेटलमेंट उनके साथ फायदे के लिये नहीं है, इस पर सरकार ने गौर किया, कमेटी मुकर्रर की गई । बहुत सारी बातें थीं उन पर विचार किया गया । सेटलमेंट के वाजज पर भी विचार किया गया और सरकार ने महसूस किया कि अब जागीर रिजम्पशन हो रहा है । उनको इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है । इसलिये उनसे इस संबंध में कोई चार्ज वसूल करना लाभप्रद नहीं होगा और न उचित ही होगा । इस वजह से माफ कर दिया । इसलिये कोई डिपार्टमेंट की पोलिसी का प्रश्न पैदा नहीं होता । आर्डर साफ है । जितने रुपये बाकी हैं माफ कर दिये गये । १० तारीख का आर्डर हुआ । अगर इसमें किसी तरह कि किसी को गलत फहमी हो और wrong interpretation किया हो तो अलग बात है, लेकिन इसमें रोंग इन्टरप्रिटेशन की कोई जरूरत नहीं है । आपने कहा कि तहसीलदार दांता रामगढ़ ने इसको गलत तरीके से इन्टर्प्रट किया, और रकम वसूल की. अगर कहीं गलत इन्टरप्रिटेशन हुआ है तो वे मेरे ध्यान में लाते ताकि मैं उसको साफ कर देता । अब तक तो उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि इस आर्डर का रोंग इन्टरप्रिटेशन हुआ है आज वे यहां कह रहे हैं । जो आर्डर दिया था वह साफ है कि उस तारीख तक की बकाया जो जागीरदारों में बाकी थी उसकी छूट है . .

श्री मानसिंह महार--वह आर्डर किस तारीख का है, बता दीजिये ? किस तारीख को आर्डर दिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास–फरवरी, १९५५ है, जब कि इस बारे में फाईनल डिसीजन लिया गया उसमें गलत इन्टरप्रिटेन्शन का सवाल ही नहीं था । जैसा कि माननीय सदस्य ने फरमाया कि स्टे आर्डर होने के बाद तहसीलदारों ने ज्यादती की, यदि वे स्पेसिफिक मिसाल देते तो अलग तरीके से डील किया

[श्री दामोदरलाल व्यास]

जा सकता है। आज तक माननीय सदस्य ने मेरे पास, अन्य कई शिकायतें लेकर तो आये, लेकिन सेटलमेंट रेट्स के मुतल्लिक या जागीरदारों के खुदकाश्त के मुतल्लिक एक भी शिकायत नहीं लेकर आये, आज मैं उनसे यह नयी बात सुन रहा हूं। हो सकता है किसी को शिकायत हो अगर वे मेरे पास कम्पलेन्ट करते या मेरे ध्यान में लाते कि फलां तहसीलदार ने उस आर्डर का गलत इन्टरप्रिटेशन किया है तो उस केस को इनडिवीज्युअल केस की तौर पर देखा जा सकता था और आज भी देखा जा सकता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या फरवरी १९५५ तक की वसूली····

श्री दामोदरलाल व्यास—सन् १९५५ के पहले स्टे आर्डर दिये जा चुके थे और जिस तरीके से आर्डर दिये गये जितना बकाया जागीरदारों के ऊपर सेटलमेंट के चार्जेज का था उसके बारे में है ··

श्री हरिकृष्ण व्यास—Is that the position ?

श्री दामोदरलाल व्यास—That has been remitted altogether. On the date when the order comes into force whatever the amounts outstanding, was that has been remitted. There is no question of any date. Whatever was outstanding, that has been remitted. It is for you to interpret it in any way you like. I am giving you information whatever I have got.

इसके अलावा भी और बातें उन्होंने कहीं। जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने तो यह भी कह डाला कि सेटिलमेंट के सारे चार्जेज जागीरदारों से वसूल किये जायं। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों से भी चार्जेज वसूल किये जाते रहे हैं; It is news to me as a matter of fact.

श्री हरिकृष्ण व्यास—अब तक भी किये जा रहे हैं, फिर भी माननीय मंत्री महोदय को पता नहीं। It is a news to you then it is a shame to you.

श्री दामोदरलाल व्यास—(जारी रखते हुए) मगर मैं इतना अवश्य कह देना चाहता हूं कि किसानों से सेटलमेंट के चार्जेज वसूल करने का सवाल है चेयरमेन महोदय, मेरे ध्यान में यह बात बिल्कुल नहीं है और न वे कभी मेरे ध्यान में ऐसी बात लाये भी। वे चार्जेज जो बतलाते हैं मेरा ख्याल है जोधपुर यूनिट में पहले इस प्रकार के चार्जेज लिये गये हों तो पता नहीं, किन्तु इस जमाने में किसी प्रकार किसानों से सेटलमेंट के नाम पर कोई वसूली नहीं की गई, जहां तक चेनमेन और लेबरर्स से काम लेने का सवाल है उसके लिये बजट में अलग से प्रोवीजन किया हुआ है। चेनमेन के लिये बजट में प्रोवीजन रखा गया है उसी में से उसको दिया जाता है। उस पर भी यह कहना कि उनके लिये उनसे बेगार में काम लिया जाता है। मैं आपसे यह कह देना चाहता हूं कि किसी भी गांव में किसी से बगैर पैसे दिये हुए मुफ्त में काम नहीं लिया जाता। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस पर भी आप इस प्रकार की कोई बात मेरे ध्यान में लायेंगे कि सेटलमेंट डिपार्टमेंट के जरिये बिना पैसे दिये किसी चेनमेन से या लेबरर्स से काम लिया जाता हो तो मैं उस पर सख्त कार्यवाही करूंगा।

Page No 38

श्री हरिकृष्ण व्यास--सेटलमेंट डिपार्टमेंट के अब भी आर्डर्स हैं उन्हें आप देख लें।

श्री सभापति--No discussions, please.

श्री दामोदरलाल व्यास--Then he will be dealt with accordingly. I don't believe what you say unless you produce the order because my information is quite different.

श्री हरिकृष्ण व्यास--You are wrong.

श्री दामोदरलाल व्यास--May be. It is a question of opinion.

श्री सभापति--You continue.

श्री दामोदरलाल व्यास-इस प्रकार दोनों जो कट मोशन्स रखे हैं उन पर मैंने निवेदन कर दिया उसमें समय के अनुसार जो तब्दीलियां हुई वह उचित थीं और उसमें यह भी सोचा गया कि सेटलमेंट के चार्जेज़ जागीरदारों से वसूल नहीं किये जाने चाहिये, यह भी एक प्रकार से उचित ही था। इन शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये दोनों कटौती के प्रस्ताव हैं वे दोनों नामन्जूर होने के लायक हैं। ।

(श्री भैरूंसिंह के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री सभापति--अब तो काफी सफाई हो गई है ?

श्री भैरूंसिंह--सभापति महोदय, अभी तो काफी गंदगी मौजूद है।

माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय राजस्व मंत्री ने फरमाया जब जागीरदारों की ओर से इस सम्बन्ध में रिप्रेजेन्टेशन हुआ कि जिन जागीरों के पास पैसा नहीं अगर उन जागीरों का सेटलमेंट होता है तो उस सेटलमेन्ट का खर्चा गवर्नमेंट बरदाश्त करे, इस प्रकार का रिप्रेज़ेन्टेशन आने के बाद गवर्नमेन्ट की ओर से स्टे आर्डर इश्यू किया गया। मैंने इस बात का पहले उल्लेख किया था कि जब जागीरदारों और सरकार के बीच में समझौते की पहली सीढ़ी बनी तो पहली सीढ़ी के ऊपर से ही प्रलोभन देने की दृष्टि से ही शायद ऐसा समझोता हुआ इससे जागीरदारों में एक प्रकार से प्रलोभन होगा और वे सरकार से कम्प्रोमाइज़ करने के लिये तैयार हो जांय, इसके बाद ऐसी स्थिति आयी कि एक के बाद एक को इनडिवीज्युअल को प्रलोभन दिया जाय एक २ व्यक्ति को परेशान किया जाय और पोलिटीकली यील्ड के तहत, इस आदेश के तहत राहत पहुंचाई जाय। यह दृष्टिकोण था उस समय जब कि स्टे आर्डर दिया गया।

इस प्रकार स्टे ऑर्डर देने के बाद भी वह ऑर्डर केवल कलेक्टर के आफिस तक ही पहुंचा। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि सीकर जिले में वह आज्ञा, जो स्टे आर्डर से सम्बन्धित थी, वह आज्ञा उस समय तक तहसीलदार के पास नहीं पहुंची जिस समय तक की गवर्नमेन्ट ने फाइनल डिसीज़न नहीं ले लिया। वैसी सूरत में स्टे ऑर्डर करने के बाद फरवरी, १९५५ तक जितना खर्चा वसूल हो गया उस

[श्री भैरूंसिंह]

ऑर्डर के मातहत सन् ५५ तक जागीरदारों के खिलाफ किसी प्रकार का इयू नहीं था। और जब इयू नहीं था तो सारा का सारा वसूल होने योग्य नहीं था। आर्डर तो यह होना चाहिये था कि जिस दिन स्टे आर्डर दिया गया जिस आदमी में जितनी जितनी बकाया थी सेटलमेन्ट के नाम पर वह सारी की सारी बकाया गवर्नमेन्ट माफ करना चहती है। उसकी तहत जो कुछ भी बकाया हुई है वह गलत हुई, अनुचित हुई है। लेकिन हुआ क्या कि वसूली कर ली गई और उसके ढ़ाई वर्ष के बाद स्टे आर्डर दिया और वह भी तहसीलदारों को जब बताया गया जब कि गवर्नमेंट ने फाईनल डिसीजन ले लिया। तीन वर्ष के बाद यह कहना कि हमने आर्डर को फाइनेलाइज कर दिया है कि अब वसूली नहीं की जाय। उन तीन सालों में भी माननीय मंत्रीजी के अलावा जिन जागीरदारों का रेवेन्यू अधिकारियों से अच्छा संपर्क था, जिनका पोलिटीकलो स्टेंडिग था, जिनके कारण सरकारो अधिकारी डरते थे, उन लोगों से वसूली नहीं की गई; उन जागीरदारों से जो बहुत गरीब थे, जिनके पास खाने के पूरे साधन नहीं थे उनसे पांच पांच सौ और सात सात सौ रुपया एक साथ वसूल किया गया और वह भी उनकी जमीन को कुर्की कर सारी रकम जमा की गई, अगर माननीय मंत्री महोदय जैसा कि वे कहते हैं उनको यदि जागीरदारों को राहत पहुंचाने की यदि हार्दिक इच्छा है तो उनको यहां आज स्पष्ट घोषणा करनी चाहिये कि जिस दिन से स्ट आर्डर दिया उस दिन के बाद में किसी भी प्रकार की खर्चे की वसूली हुई उसको रिफंड कर देगी।

दूसरा प्रश्न यह कि उनके सामने रिप्रेजेन्टेशन नहीं आये और मैं भी उनके सामने इस प्रकार की कोई बात नहीं रखी। मैं समझता था कि सेटलमेन्ट के खर्चे के बारे में माननीय राजस्व मंत्री से डाइरेक्ट बात न की जाकर जागीर एडवाइजरी कमेटी की मार्फत बात की जाती थी। मैं समझता था कि उसकी मार्फत बात की जाय। इसी कारण मैंने इस पर्टिक्यूलर मामले में उनसे किसी प्रकार का जिक्र नहीं किया।

इस सम्बन्ध की शिकायतें अगर सेटलमेन्ट कमिश्नर के आफिस में तलाश करेंगे तो वहां एक नहीं, मेरे खुद के दस्तखतों की बीसों दरख्वास्तें आपको मिलेंगी। मैं ऐसा नहीं समझता कि केवल मन्त्री महोदय के ही कहने पर कार्यवाही होती है। कलेक्टर या कमिश्नर के यहां दरख्वास्त देने से कुछ नहीं होता, वे मौन ही रहते हैं।

अब प्रश्न आता है कि ऐसे मौन रहने की वृत्ति को अपनाने के बाद भी यदि राहत उनको नहीं मिली और अब यह कह कर कि जागीरदारों को राहत देते हैं, उनसे कोई वसूली नहीं होगी और इस बारे में कोई कम्प्लैन्ट अब आवेगी तो उस पर मन्त्री महोदय गौर करेंगे ऐसा कहा जाता है तो मैं राजस्व मन्त्रीजी से कहूंगा कि आप इस तरह का क्लियर कट आर्डर इश्यू करें कि स्टे आर्डर की तारीख के बाद आफ़िस की गलती से या हुक्म नहीं पहुंचने से या और किसी कारण से अगर जागीरदारों से कोई वसूली कर ली गई है तो सेटलमेन्ट के खर्चे की वह वसूली रिफन्डेबल है। सरकार के पास इस तरह का आवेदन आने पर वह सारी की सारी रकम रिफन्ड कर दी जावेगी। अगर ऐसा आप करते हैं तो यह बात आपकी समझ में आ सकती है।

अब माननीय मन्त्री महोदय ने कहा था, अच्छे अच्छे शब्दों में, अलंकारिक भाषा में, शायद किसानों के नाम मात्र के वकील होने के नाते, कट मोशन की भाषा कुछ है और कट मोशन के भाषण में

[श्री भैरोंसिंह]

भाव दूसरे व्यक्त करना चाहते हैं। एक तरफ़ कहते हैं सेटलमेन्ट के खर्चे की रकम किसानों से नहीं वसूल होनी चाहिये, पर उनकी मंशा है कि जागीरदारों से वसूल की जानी चाहिये। मैं कहता हूं कि केवल किसानों के प्रतिनिधि होने के नाते, केवल यह कह कर कि भारत में केवल किसान नामक व्यक्ति ही जिन्दा रहने का हक रखता है बाकी के सारे लोग घृणा और नफरत के लायक हैं, तो मैं कहता हूं कि यह सोचने का तरीका और इस विचार पर आधारित सरकार की नीति घातक है। इस सदन में जिस समय टीनेन्सी बिल और रेवेन्यू के बारे में चर्चा हो रही थी तो उस वक्त मैंने भी मांग की थी कि सेटलमेन्ट का खर्चा न जागीरदारों से वसूल किया जावे न किसानों से लिया जावे। तो उन्होंने कहा था बड़े जागीरदारों से वसूल किया जावे छोटों से नहीं लिया जावे। जागीरदारों की संख्या में छोटे जागीरदारों की संख्या बहुत ज्यादा है, जो जागीरें रहने के कारण से स्वयं दुःखी थे, उनको इससे किसी प्रकार का आर्थिक लाभ होता हो या उनके रहने का ढंग अच्छा हो ऐसी बात नहीं थी बल्कि कई लोगों के लिये तो जागीरदारी और उनकी जागीरें उन पर लाइबिलिटी हो रही थीं। ऐसे उन लोगों को सारों को परेशान किया जावे यह कह कर कि काश्तकारों को लाभ नहीं मिल रहा है यह कोई न्यायपूर्ण बात नहीं है। मैं भी कहने वाला हूं कि बड़े जागीरदारों से खर्चा वसूल किया जावे। पर इनकी आड़ में उन छोटे जागीरदारों को हैरान और परेशान न किया जावे जिनकी स्थिति एक साधारण किसान से किसी प्रकार अच्छी नहीं है। पर जागीरदारों का नाम लेकर इन छोटे जागीरदारों को हैरान किया जाता है, और जागीरदारों के नाम पर जिन बड़े जागीरदारों के साथ सख्ती की जानी चाहिये उनको तो रियायत मिलती है और जो किसान हैं, जागीरदार तो नाम मात्र हो हैं, उनको सताया जाता है, उनके साथ सख्ती की जा रही है। तो मैं समझता हूं कि यह सरकार के लिये भी शोभा की चीज नहीं है। बड़े जागीरदारों के नाम पर भी लोगों को भड़काया जावे, आन्दोलन चलाया जावे, प्रचार और प्रकाशन किया जावे तो यह बात फिर भी मानने की हो सकती है, पर केवल एक नारा लगा कर उन जागीरदारों को तो माफ कर दिया जावे और किसानों पर सख्ती हो यह उचित नहीं है। यह इस प्रकार का विभेद का दृष्टिकोण आज के भारत में कोई मानने वाला नहीं है।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

काश्तकारों के बीच में प्लेटफार्म से भाषण देते समय ऐसी बातें आप कह दें तो भले ही कह दें, आप इस तरह की बातें वहां पब्लिक प्लेटफार्म से कह कर लोगों को भले ही अपनी ओर आकर्षित करलें, पर जहां विधान सभा के सदस्य बैठे हों, सुनने वाले और सुनकर विचार करने वाले और मनन करने वाले बैठे हों वहां इस प्रकार के भाषण से काम नहीं चलेगा। मैं यह कहूंगा कि आप संतुलित दिमाग से सोच कर देखें इस मामले को कि गरीब जागीरदार और काश्तकार में क्या अन्तर है? वह भी उस तरह का किसान ही है। पर यह जरूर है कि वह किसान सभा या उनके कांग्रेस दल का सदस्य नहीं है। इसलिये वह किसान नहीं हो सकता और उसका लाभ उसको नहीं मिल सकता तो यह दृष्टिकोण गलत है। यह न किसान के लिये हितकर है, न उस गरीब जागीरदार के लिये हितकर होगा, न किसी दल या पार्टी के लिये अच्छी बात है और न देश के लिये यह अच्छा है।

[श्री भैरूंसिंह]

इतना कह कर मैं अर्ज करूंगा कि माफ की गई रकम को एडजस्ट करने का मामला है उसको साफ करदें। मेरी बात को मानकर अगर रिफन्ड करने की बात आप स्वीकार कर लेते हैं तो मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापिस लेने की मांग करूंगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास--उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो बात प्रस्तुत की उससे बड़ी अशान्ति फैल जावेगी और खलबली मच जावेगी और अनारकी हो जावेगी इस तरह की बातें कही गई। मैं निवेदन करदूं कि अपने इस क्षेत्र में तो अशान्ति नहीं फैलेगी पर कुछ लोगों के दिमाग में अशान्ति जरूर फैल गई है, क्योंकि चोट लगती उधर ही है और अगर उनके दिमाग में अशान्ति फैल गई तो इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं, उपाध्यक्ष महोदय। क्योंकि इतिहास में जो वर्ग, व्यक्ति नहीं, अपना कार्य पूरा कर चुके हो और अब उसे अपने देश की आर्थिक व्यवस्था में किसी रूप से कायम नहीं रक्खा जा सकता हो तो ऐसे कुछ लोग जरूर होते हैं कि जो दिन को भी सपने लिया करते हैं और जो कि जाकर अपने मिलने वालों को यह भी कहते हैं कि थोड़ा सा जोर लगा लेंगे तो जागीरदारी कुछ दिन और रह जावेगी। ढेबर भाई के पास जाकर या और कहीं जाकर। मैं कहूं ढेबर भाई के पास जाकर कहो या नेहरू के पास जाकर कहो आज दुनियां की कोई शक्ति नहीं कि जो दुनियां में इस जागीरदारी प्रथा को रख सके। यह तय शुदा बात है। यह भी सही है कि यह छोटों का नहीं बड़े जागीरदारों का मसला है पर नाम तो रोज रोज छोटों का ही आता है और छोटों के नाम पर दुहाई भी बहुत दी जाती है, लेकिन मसला जो प्रस्तुत किया जाता है उसका छोटों से कोई लम्बा चौड़ा सम्बन्ध नहीं है और मैं यह भी जानता हूं कि ये लम्बी चौड़ी दलीलें सीकर जिले के छोटे मोटों के लिये नहीं है अलबत्ता खाचरयावास के लिये हो सकती है और वे छोटे के अन्दर शुमार नहीं हैं।

श्री भैरूंसिंह (१६)--सीकर में २२ हजार ऐसे छोटे जागीरदार हैं जिनकी एक हजार से कम की आमदनी है और १०३ ऐसे हैं जिनकी एक हजार से ऊपर की आमदनी है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--मैंने जागीरदारों की सैंशस नहीं मांगी है। मैंने तो वकालत का सोर्स मांगा है, यह जानना चाहा है कि इसका श्रोत कहां है और इसका श्रोत जो है वह बड़े ही लोगों के ऊपर है और बड़े ही लोगों की रकम पर है।

आठ लाख का जो तखमीना निकाला है तो राजस्व मन्त्री का और मेरे माननीय मित्र का भी कहना है कि रिकवर न करने का कारण ये बड़े ही हैं। छोटों की तो दुहाई ही दुहाई दी जाती है। यह तो बड़े ही लोगों के मामले में रियायत बरती जा रही है। ऐसी स्थिति में अगर यह बात सही है तो फिर वसूली के सिलसिले में जो रियायत बरती जाने की बात कही जाती है वह रियायत नहीं बरती जानी चाहिये, रियायत बरती जाने का मैं विरोध करता हूं। विरोध किन से है? मेरे कटौती के प्रस्ताव की आलोचना हुई वह नहीं समझ सकने के कारण हुई और इसमें अलबत्ता यह जरूर हुआ कि मैंने अपना कटौती का प्रस्ताव हिन्दी भाषा में दिया। कुछ लोगों को हिन्दी भाषा नहीं समझ में आई होगी तो उनके प्रति तो मैं केवल सहानुभूति ही दिखला सकता हूं और क्या कर सकता हूं ? चूंकि जो मांग है वह मांग ही है कि जागीरदारों से ८ लाख की वसूली होने की आशा थी, होने की आशा थी, लेकिन

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

आशा कहीं अधिक होने के कारण वसूली न हो सकी और बाद में उस लेखे में कोई वसूली न करने का निश्चय किया गया और इस वजह से यह कमी पड़ गई और इसको पूरा करने के लिये अतिरिक्त मांग की आवश्यकता हुई। मैंने यह कहा कि यह जो बन्दोबस्त का खर्चा वसूल नहीं किया गया तो इसमें वसूल न करने का निश्चय बाद में किया गया और पहले बगैर निर्णय के ही वसूली नहीं की गई यह गलत रियायत उनके साथ बरती गई। अब यह समझ में नहीं आया कि यह कटौती का प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया इसमें कांटा कहां लगा या कहां नहीं लगा, यह तो खुद वे ही जान सकते हैं। पर मैं ज्यादा समय तक उनके बने बनाये इस दलीलों के आडम्बर को कुछ कम ज्यादा करने की कोशिश करूं यह आवश्यक नहीं, इसलिये कि यह बिल्कुल निश्चित बात कि आज यह जोर जोर से भले ही कह दें कि भारत में तो सभी बराबर हैं, चाहे किसान हो, चाहे जागीरदार हों बराबर का दर्जा सबको देना चाहिये। ठीक है।

दूसरी बराबर है। बराबर केवल इस मायने में हैं कि शायद वोट दोनों से एक एक ही मिलता होगा, लेकिन उसकी क्या बराबरी आप तोलने चले गये। तो सेटलमेन्ट का खर्चा वसूल नहीं किया जा रहा है इसकी रियायत, कर्जा लिया वह कर्जा माफ कर दिया उसकी रियायत, साल्ट निकल गया उसका मुआवजा दिया, उसका पानी बरस गया उसका मुआवजा दे दिया उसकी रियायत, लेकिन गंगानगर में किसान हैं जिन्होंने कहा कि मुझ से ६ रु० के बजाय १६ रुपये पानी की वसूली मत करो, पानी की रेट मत बढ़ाओ, तो सैंकड़ों लोग जेल में गये। यह भी उनके साथ बराबरी का दर्जा है? किसको वे पाठ पढ़ा रहे हैं? किसको वे यह झांसा पट्टी कर रहे हैं? बराबरी का यह दर्जा है। घोर अन्धेर की हालत है। यहां पर जोर से बोलने वाले राजस्व मन्त्री द्वारा जहां तक मेरी जानकारी है यह अजीब बात है कि यू. एन. ओ. की भाषा का यहां विधान सभा में प्रचलन होता जा रहा है। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है उसके बारे में आप यह सुन लीजिये कान खोलकर कि आपकी जानकारी न सिर्फ अधूरी है बल्कि गलत है। जानकारी अगर है तो बेबुनियाद है। इतना सब होने के बावजूद भी समझ में नहीं आता है, शायद समझ ही खत्म होने का अन्देशा आज प्रतीत होने लगा है।

जोधपुर सरकार के सेटलमेन्ट द्वारा एक छपी छपाई पुस्तिका है जिसका अगर आप नम्बर और डेट भी चाहें तो मुझसे ले लें जिस पुस्तिका को आज तक राजस्थान सरकार ने विड्रा नहीं किया है। आपके विभाग के रेवन्यू इन्सपेक्टर्स और ए.एस.ओज. उस पुस्तिका को बान्ध कर लिये लिये घूमते हैं। आपको अगर देखना है तो सेटलमेन्ट कमिश्नर से एक कापी मंगा लें। उसके अन्दर यह कानूनन बन्धन है कि गांव को एक अमीन के साथ काम करने के लिए दो चैनमेन देने पड़ेंगे। अगर वे दो चैनमेन बेगार के रूप में नहीं देते हैं तो ४० रु० माहवार प्रति चैनमेन के हिसाब से उनको देना पड़ेगा। एक एक अमीन के साथ दूसरा काम करने के लिये उनको ४ बेगारी देना पड़ेंगे। अगर ४ बेगारी नहीं देते हैं तो उनका खर्चा देना पड़ेगा। और मुझसे आप यह कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है। मैं तो आपको यह बताऊं कि ऐसा केस रेकार्ड में मौजूद है कि जहां ७ महीने सेटलमेन्ट नहीं चला केवल ४ महीने ही सेटलमेन्ट चला क्योंकि रिवीज़न था [illegible] कुछ ही थोड़ी सी पैमाइश का काम था और इस वजह से गांव में ६५० रु० वसूल हुए। वहां के [illegible]रियों ने, सेटिलमेन्ट के अमीन और रेवेन्यू इन्सपेक्टर ने जो हिसाब पेश किया वह हिसाब गलत पाया [illegible] उसकी जांच जोधपुर के एस. डी. ओ. ने की और चूंकि वह हिसाब गलत

Page No 43

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

पाया गया इसलिये उन १३०० रु० में से ४५० रु० काश्तकारों को वापिस दिये जायं, ऐसा आर्डर कलेक्टर जोधपुर ने किया। वह पैसा वापिस दिया गया। यह आर्डर्स रेकार्ड के अन्दर मौजूद हैं और आप यहां खड़े होकर कहना चाहते हैं कि जानकारी नहीं है, तो किस बुनियाद के मुताबिक आपने देने का आर्डर दिया? किस बुनियाद के मुताबिक आपके कलेक्टर ने एस. डी. ओ. को तफतीश करने का आर्डर दिया कि खर्चा बेशी वसूल हुआ है यह ठीक नहीं है? आपकी जानकारी नहीं है तो आप चलिये। बिल्कुल आंख मूंदकर जोधपुर डिविजन के एक एक गांव में आप चले जाइये और किसी काश्तकार से आप पूछिये कि कोई यहां पर पैमाइश हुई तो खर्चा लिया गया या नहीं। एक एक किसान यह कहेगा कि लिया गया है। किसान से पूछने में यदि जोर आता है तो सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों से पूछ लीजिये। और इस पर यह कहा जाता है कि वसूली नहीं की जाय। आज के दिन तक, टू डे, बाड़मेर में जहां कि सेटलमेन्ट के आपरेशन अन्डर प्रोग्रेस हैं वहां चलिये या पोकरण के अन्दर जहां १-२ गांव के अन्दर पूरा नहीं हुआ है वहां चलिये, या जहां पैमाइश हो रही है जोधपुर डिविज़न में वहां चलिये और मैं तो तब मानूंगा कि यहां पर जोर जोर से धौंस देने वाले मन्त्री यह कहें कि ईमानदारी से सेटलमेन्ट कमिश्नर के खिलाफ कार्यवाही की जायगी, और करके बता दें एक बार भी तो मैं कहूंगा कि वे काबिल आदमी हैं। लेकिन आप एक के भी खिलाफ कार्यवाही नहीं करेंगे। यह मैं जानता हूं और इसीलिये कहूंगा कि आप ढोंगी हैं, और ढोंगी इसलिये हैं कि कहने को तो तैयार हैं लेकिन करने के लिये तैयार नहीं हैं। मैं आप से एक गांव की बात नहीं कहता हूं। मेरा यह कहना है कि आप कोई भी गांव चूज़ करलें। मेरे पर मत छोड़िये। मैं आपकी चॉइस पर छोड़ देता हूं। यू चूज़ युअर विलेज। आप चूज़ करें जहां कि सेटलमेन्ट हो चुका है जोधपुर डिविजन में या वह चूज़ कर लें जहां कि वह अब हो रहा है वह चूज़ करलें टिल यस्टरडे ईवनिंग, कल शाम तक, और अगर जो गांव वह चुनलें उसके अन्दर मैं जो बात कह रहा हूं वह तथ्य नहीं मालूम पड़े तो मैं न सिर्फ इस कटौती के प्रस्ताव के सिलसिले में उनसे माफी पाने का हकदार हूंगा बल्कि इसके अलावा इस बात का भी कि मैं बहुत गैरजिम्मेवारी से बात करता हूं। अगर इतनी ज्यादा छानबीन करने की आदत नहीं है, इतनी ज्यादा छानबीन करने को तैयार नहीं है तो नागौर और डीडवाना से आये हुए मेरे माननीय मित्र जो कि खड़े हुए हैं और जो कि आज कांग्रेस असेम्बली पार्टी के सेक्रेटरी हैं जरा उनसे एक मिनिट में दरयाफ्त तो कर लें कि उनको एक अमीन के साथ दो चनमैनों की बेगार का खर्चा देना पड़ता है और इसके बाद में फिर यह ऐलान कीजिये। मैं जानता हूं कि आपके ऐलान में कोई तथ्य नहीं है। मैं जानता हूं कि जब वह चीज़ सामने आयेगी तो यह कहा जायगा कि अच्छा फार्मर जोधपुर स्टेट में ऐसे रेग्यूलेशन्स थे उनको कान्टीन्यू किया गया है। अब इसकी मेन्यूअल बनार अब यह आगे करने वाले हैं। आगे करने वाली बात पर मैं यकीन मानकर नहीं चलता हूं। आज तक जो हुआ है उसके बारे में जवाब दें। यह मौका है श्री राजस्व मन्त्री अभी भी जवाब देने के लिए तैयार हैं तो मैं श्री नाथूरामजी से सलाह करने के लिये तीन मिनिट और देता हूं। तो मेरा यह चेलेन्ज है उस चेलेन्ज को एक्सेप्ट करें। जोधपुर डिविजन में जहां सेटलमेन्ट हुआ है वहां एक भी गांव ऐसा नहीं है कि जहां पैसा वसूल नहीं हुआ हो या आज जहां हो रहा है वहां वसूल नहीं हो रहा हो। जोधपुर में जब यह हो रहा है। अपने हाथ के नीचे यह हो रहा है और यहां ऐलान करते हैं। इस सदन में गैरजिम्मेदारी से डींगें मारते हैं और यह डींगें मारने वाले हैं माननीय राजस्व मन्त्रीजी।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

यह हैं हमारे राजस्थान सरकार के कारनामें। इधर नहीं लेने पर भी हमारे एक माननीय मित्र कहते हैं कि वे दबोचे जा रहे हैं मुझे गुस्सा जरूर आता है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, गुस्से से ज्यादा सहानुभूति आती है। इतना अन्धा काम करते हैं, इतनी रियायतें दी हैं लेकिन फिर भी जागीरदारों की वकालत या हिमायत करने वाले मित्र कहते हैं कि घोर अन्याय हो रहा है। लाखों करोड़ों रुपये का फायदा मुआवजे के रूप में ले लिया और कहते हैं कि घोर अन्याय हो रहा है। अलबत्ता घोर अन्याय होने की नौबत आती यदि कई लाखों का कर्जा माफ नहीं किया जाता और करोड़ों और लाखों रुपये मुआवजे के नहीं दिये जाते। क्या वे किसी नहीं जानने वाले आदमी से बात कहते हैं? यह तो कोई किसी से बात छिपी हुई नहीं है। घोर अन्याय हो सकता था लेकिन अभी तक वह स्थिति पैदा नहीं हुई है। वह होगी जरूर और थोड़ा बहुत जो बकाया रह जायगा और एक जमाना आयेगा कि या तो खुद हाथ से हल उनको चलाना पड़ेगा या दूसरा कोई धन्धा करना पड़ेगा। वग़ैर काम किये हुए काम चलने वाला नहीं है। मुफ्तखोरी से खाने का काम नहीं होगा मैं आपसे अर्ज करता हूं कि यह जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है तो आखिर वह घोर अन्याय किस बात का है इसकी पैरोकारी में जो कुछ कहा गया है, उपाध्यक्ष महोदय, उस समय जैसे किसी आदमी के बात कहते कहते बीच में पल्पीटेशन होता है वैसी हालत रेवेन्यू मन्त्री महोदय की है।

फरवरी, १९५५ में हुक्म शाया किया गया कि वसूली नहीं की जाय। खर्चा बकाया वसूल नहीं किया जाय। बहुत खूब जनाब। बकाया कौनसी तारीख तक का वसूल नहीं किया जाय? यह उस हुक्म में दर्ज नहीं है। अभी कह रहे थे कि जिस तारीख को हुक्म निकला उस तारीख से। जरा राजस्व मन्त्री महोदय अपनी जानकारी फिर पूरी करलें। तीन तीन साल पहले से लोगों ने देना बन्द कर रखा था। सेटलमेन्ट कमिश्नर को रिश्वत खिला खिला कर देना बन्द कर रखा था। आपके इस स्टे आर्डर के पहले से देना बन्द कर रखा था। हुक्म कर दिया यह यहां आपने ऐलान कर दिया १९५४ में रेवेन्यू सेक्रेटरी ने जो स्टे आर्डर दिया। उसकी तारीख से पहले से ही (समय समाप्ति सूचक घंटी) खर्चा वसूल नहीं हुआ है।

आपके हुक्म में जो बकाया है.......

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष—Reply.

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह खास पोइन्ट है उपाध्यक्ष महोदय, बुरा लगे जैसा नहीं है। तो मैं अर्ज कर रहा था उपाध्यक्ष महोदय, कि ओर्डर सरकार को दिखाये कि जितना बकाया हो वह माफ कर दिया जाय। यह कोई ओर्डर है? फलां तारीख तक, चूंकि जहां जहां सेटलमेन्ट हो गये हैं दो साल पहले सेटलमेन्ट हो गया है या तीन साल पहले सेटलमेन्ट हो गया है, माफ कर दिया जाय, ऐसा वेग ओर्डर है, बेबुनियाद ओर्डर है, अनजस्ट ओर्डर है। पहले वसूल क्यों नहीं किया, उसका कौन जिम्मेदार है, क्यों नहीं सेटलमेन्ट कमिश्नर की तनख्वाह से वसूल कर लिया जाय? तो यह सब गोलमाल है। और इन सब बातों को छुपा कर यह कहा जाय कि अतिरिक्त मांगों की रियायत दे दी जाय, यदि यह रियायत लेना

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

हो तो ऐसा क्यों नहीं कहते, दुनिया को ऐलान करके कहें कि विशेष कारणों से हमें किसानों के नुमाइन्दे न समझा जाय लेकिन जागीरदारों के नुमाइन्दे समझा जाय। कम से कम इस पर हम वोट तो दे देंगे। किसानों के प्रतिनिधि होने की डींग हांक कर वे इस प्रकार मनवाना चाहें यह नहीं हो सकता। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो बातें कहीं हैं उनमें से अगर एक का भी जवाब दे दें तो मैं समझूंगा कि उनमें दम है, पानी है वरना केवल हां पक्ष जीता की आवाज पर जीत लें वरना यह एक बड़ी बुरी बात राजस्थान में हो रही है। एक मौका और आप राजस्व मन्त्री को दें, उनकी बात सुनने के लिये मैं बड़ा उत्सुक हूं, नहीं तो सदन की राय ले लें ताकि यह पता चल जाय कि किसानों के हित की बातें करने वालों में से कितने लोग हैं जो वोट देकर इसको चरितार्थ करने के लिये तैयार हैं।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव श्री भैरूंसिंहजी ने रखा है वे उसको वापिस लेना चाहते हैं, क्या सदन की अनुमति है।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री भैरूंसिंह--मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव श्री एच. के. व्यास ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(मतदान के पश्चात्)

ना पक्ष जीता।

श्री हरिकृष्ण व्यास--हां पक्ष जीता।

श्री उपाध्यक्ष--ना पक्ष जीता।

श्री हरिकृष्ण व्यास--हां पक्ष जीता। यह तो रेकॉर्ड होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--तो आप इस पर काउन्ट कराना चाहते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास--इस पर तो डिविजन होना ही चाहिये।

श्री भैरूंसिंह--एक ही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--रेकार्ड होना चाहिये। एक होने से बात गलत होती है क्या?

श्री उपाध्यक्ष--क्या डिविजन चाहेंगे?

श्री हरिकृष्ण व्यास--हां, डिविजन चाहता हूं। रेकर्ड होने का मामला है। दुनियां को तो मालूम हो कि किसने किसको वोट दिया।

(मत विभाजन घंटी के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव श्री एच. के. व्यास ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(मत दान के पश्चात्)

ना पक्ष जीता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—हां पक्ष जीता।

एक माननीय सदस्य—Noes have it, Sir.

श्री उपाध्यक्ष—Show of hands ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—चाहे किसी रूप में करें। वोटिंग का रिकार्ड होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—हां पक्ष वाले हाथ ऊंचा करके अपना मत प्रकट करें।

(श्री हरिकृष्ण व्यास एवं श्री ईश्वरीसिंह द्वारा हाथ ऊंचा करना और कुछ क्षण पश्चात वापिस रख लेना)

(हंसी एवं शोरगुल)

दुबारा करा लीजिये।

(हंसी)

(श्री एच. के. व्यास और श्री ईश्वरीसिंह द्वारा हाथ ऊंचा करना)

एक माननीय सदस्य—अच्छी मात है।

श्री उपाध्यक्ष—कट मोशन गिर गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जो इसके विपक्ष में हैं उनसे हाथ ऊंचा कराइये; otherwise two will be counted majority.

(राज्य पक्ष से अनेक सदस्यों द्वारा हाथ ऊंचा करना)

श्री उपाध्यक्ष—ना पक्ष जीता। मोशन गिर गया।

(विराम)

जो मांग श्री दामोदरलाल व्यास ने प्रस्तुत की है कि "अधिक अनुदान की मांग संख्या ६०, लेखे का शीर्षक ७–भू-राजस्व के सम्बन्ध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९५३ को समाप्त हुए वर्ष में किये

[श्री उपाध्यक्ष]

गये व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को रुपये २,००,६५७ तक की राशि प्रदान की जावे" वह स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

श्री रामचन्द्र चौधरी।

अधिक अनुदान के लिये मांग संख्या ६६–राजस्व लेखे से बाहर राज्य के अन्य निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा

श्री रामचन्द्र चौधरी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अधिक अनुदान की मांग संख्या ६६, शीर्षक ८१ राजस्व लेखे से बाहर राज्य के अन्य निर्माण लेखा के सम्बन्ध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९५३ को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को रुपये १८,६६,१३३ तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री उपाध्यक्ष--Motion moved.

श्री भैरूंसिंह--उपाध्यक्ष महोदय, यह मांग तो रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेन्ट से सम्बन्धित थी। मैं समझता हूं कि यादव साहब यहीं हैं और उन्हीं को यह प्रस्तुत करना चाहिये, ताकि अधिक स्पष्टीकरण हो सके।

श्री उपाध्यक्ष--कोई भी मन्त्री प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास--यादव साहब अस्वस्थ हैं क्या?

श्री उपाध्यक्ष--श्री एच. के. व्यास।

श्री हरिकृष्ण व्यास--उपाध्यक्ष महोदय, जो मांग प्रस्तुत की गई है उस सिलसिले में मेरा यह प्रस्ताव है कि इसमें १०० रु० की कटौती करदी जाय और उसका कारण यह है कि जिन कार्यों का उल्लेख इस एक्सप्लेनेटरी मेमोरेन्डम में किया गया है और जिनका सम्बन्ध पुनर्वास विभाग से है उन कार्यों में बड़ी अनियमितता बरती गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान जो एक्सप्लेनटरी मेमोरेन्डम पेश किया गया है उस ओर दिलाना चाहूंगा और उसमें इस मांग के सिलसिले में जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है वह इस प्रकार है:--

"सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा, विस्थापित व्यक्तियों के लाभार्थ कुछ कार्यों, उदाहरणार्थ, दुकानों, मकानों के निर्माण इत्यादि के लिये ११.४४ लाख रुपये की व्यवस्था थी। निर्माण कार्यों के समाप्त होने के पश्चात् ये विस्थापित व्यक्तियों को दे दिये जाने थे और लागत उनके ऊपर ऋण समझी

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

जानी थी। अतएव ११.४४ लाख रुपये की रकम मद और लोन्स एन्ड एडवान्सेज़ बाई दी स्टेट गवर्नमेन्ट्स में स्थानान्तर की जाकर वसूल शुदा दिखाई गई और क्योंकि सन् १९५२-५३ तक वसूली आदि की रकम घटाकर शुद्ध रकम का ही अनुदान प्राप्त किया जाता था इसलिये शुद्ध शेष के तौर पर कोई राशि नहीं बताई गई। हिसाब में समायोजन, दुकानों तथा मकानों का अलाटमेन्ट करने के पश्चात् ही किया जाता है और चूंकि उस वर्ष के दरम्यान ऐसा नहीं किया जा सकता और निर्माण अनुमानित रफ्तार की अपेक्षा अधिक तेजी से निष्पादित किया गया इसलिये कुल १८.६६ का अधिक खर्चा हो गया।"

यह जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है उसके बारे में पहली बात मुझे यह कहनी है कि यह एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नाकाफी है और थोड़ा बहुत भुलावे में डालने का एक्सप्लेनेशन है। वस्तु स्थिति जो है उसको बढ़ोती की आड़ में डाल कर चलने की प्रवृत्ति इसमें जरूर है कि जितनी मांग थी उस मांग से कहीं ज्यादा खर्चा इस मद में हो गया। पहली बात तो यह। और जब खर्चा हो गया इस मद में तो इसके अलावा एक और कठिनाई हो गई। वह यह कि इस विभाग का जो हिसाब किताब है वह समय समय पर बना नहीं और वह अकाउन्टेंट जनरल के दफ्तर में भेजा नहीं गया, इसलिये कुछ खर्चा जिस मद में डेबिट होना चाहिये था उसमें डेबिट नहीं हो पाया। अब इन दोनों चीजों का कारण क्या है? वे कारण हैं निश्चित तौर पर पूरी जिम्मेदारी नहीं निभाना समझ लीजिये या पूरा ध्यान न देना समझ लीजिये या इससे ज्यादा मैं यह कहूंगा कि नेगलीजेन्स है। वह चीज सदन के सामने नहीं लाई गई। ऐसा दिखाया गया कि जैसे कोई फोरमल एडजस्टमेंट की बात है और ऐसी बात यदि आसानी से पार लग जावे तो आयन्दा भी राज्य में ऐसी अनियमितता होने की स्थिति का निर्माण होता जायगा। इसलिये मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये सदन का ध्यान राजस्थान की सार्वजनिक लेखा समिति की रिपोर्ट के कुछ अंश की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें इसी विषय पर और इसी सिलसिले में कुछ शब्द कहे गये हैं। इस रिपोर्ट के पेज ६० पर कहा गया है उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर डिविजन का हवाला देते हुए कहा गया है कि वहां पहले लकड़ी के स्टाल बने और उसके बाद में पक्के मकानात बनाने की ओर कदम उठाया गया और न ये स्टाल ठीक ढंग से दिये गये और न ही किराया वसूल किया गया और उसके बाद इसी तरीके से जो डिटेल्स में अनियमिततायें हुई उनका उल्लेख करते हुए यहां तक किया गया है कि जो किराये नामे लिखे गये उन पर किसी अफसर के दस्तखत मौजूद नहीं हैं। जो कन्सट्रक्शन करवाया गया उसका पहले से कोई डिटेल्ड एस्टीमेट मौजूद नहीं है। ताकि पता लग सके कि कम खर्चा लगा या एस्टीमेट से ज्यादा खर्चा लगा। इसका कोई हिसाब नहीं है और किराया वसूली का कोई रजिस्टर नहीं है और कोई रसीद नहीं है। ऐसी स्थिति थी, यह जो कन्सट्रक्शन का काम हुआ उसके बारे में कोई रजिस्टर नहीं रखा गया। अब जब कि ऐसी स्थिति है कि जहां काम करने से पहले उसके डिटेल्ड एस्टीमेट नहीं हैं, जो कुछ काम हुआ उस के बारे में जांच पड़ताल नहीं है, मकान बने और दुकानें बनी उनके खर्चे का कोई एस्टीमेट नहीं। मकानों और दुकानों के एलोटमेंट का कोई हिसाब नहीं, किराये का रेगूलर आर्डर नहीं, किरायानामा जो लिखा गया उस पर किसी आफिसर के दस्तखत नहीं, सैंकड़ों आदमियों से किरायानामा लिखाया गया नहीं, किराया वसूली की रसीद नहीं और यदि रसीद है तो रजिस्टर में उसका उल्लेख नहीं, और यदि रजिस्टर में उल्लेख है तो उस रजिस्टर को बाकायदा बनाया

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

नहीं गया और उसको अच्छी तरह से मेन्टेन नहीं किया गया। यदि कोई अनियमितताओं की गिनती लगाना चाहे तो एक कौने से दूसरे कौने तक लगाता ही जाय। ऐसी स्थिति में न तो डिपार्टमेंट को मालूम था कि कितना खर्चा था और कितनी मांग की जा रही है और कौनसा खर्चा किस हेड में डेबिट करना चाहिये। इस स्थिति को जिसका कोई ढंग नहीं उसको छिपाने के लिये मांग पेश की जा रही है और ताज्जुब यह हो रहा है कि स्वयं मंत्रीजी, न मालूम क्यों स्वयं जवाब न देकर लास्ट स्टेज पर प्रोम्पटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। यह बेकार है। वस्तुस्थिति से इन्कारी करने से काम चलने वाला नहीं है। यदि यह स्थिति नहीं है तो सदन में यह कहते कि उस जमाने की हालत ऐसी ही होगी। मैंने तो पूरी मांग नामंजूर करने के बजाय केवल १००) रु. की कटौती करने का प्रस्ताव रखा है। एक एक रुपया जिम्मेवार अफसरों और अहलकारों की तनख्वाह में से कट करलें तो पूरा हो जायगा या किसी बड़े अफसर की तनख्वाह में से ज्यादा कट करलें। यदि ऐसा नहीं करना चाहते तो मिनिस्टर इन्चार्ज स्वयं अपनी तनख्वाह में से कट करलें। यदि ऐसा करेंगे तो भी मैं समझूंगा कि बहुत कुछ एक्शन ले लिया। ऐसा न करके जिस मामले को एडजस्टमेंट कराने की कोशिश की जा रही है वह गलत है। इसको मंजूर कर लेना न्याय संगत नहीं है। इस ओर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिये मैंने यह कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। केवल १०० रुपये की कटौती करने का मामला है। मुझे उम्मेद है कि मंत्रीजी के हृदय में कुछ उथल-पुथल हो रहा है। उसको देखते हुए वे स्वयं जवाब न देते हुए भी अपने साथी से कहेंगे कि इस कटौती प्रस्ताव को मंजूर करलो। बहुत कम का मामला है। केवल १०० रुपया का ही मामला है। ये १०० रुपये मुझ से ले लो। दूसरे लोगों से १०० रुपये लेंगे तो यह शर्मिन्दगी की बात होगी। इसलिये मैं आशा करता हूं कि वे इस प्रस्ताव को मंजूर कर लेंगे। इतना कहता हुआ मैं अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the Demand No. LXIX-82—Capital Account of other State works outside Revenue Account be reduced by Re. 1/- (to discuss the failure of the Government to see that the money spent for rehabilitation of displaced persons was properly utilized.)

माननीय उपाध्यक्ष, राजस्थान के लिये यह दो ही बदकिस्मत विभाग होंगे जिनके द्वारा बदकिस्मतों का फैसला हुआ है, लेकिन फैसला करने के साथ साथ उन बदकिस्मत विभागों का असर राजस्थान की बदकिस्मत जनता के ऊपर भी पड़ा है।

माननीय उपाध्यक्ष, राजस्थान में ऐसा पहला विभाग है सिविल सप्लाईज़ का जिसका जिक्र अभी कुछ देर बाद में होने वाला है। इसके बाद में यदि कोई दूसरा विभाग आ सकता है तो यह है रीहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट का जिसकी एक्सेस डिमान्ड के बारे में सदन में यह मांग प्रस्तुत की गई है। मांग में इस बात का उल्लेख किया गया है कि "सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा विस्थापित व्यक्तियों के लाभार्थ कुछ कार्य उदाहरणार्थ दुकानें, मकानों का निर्माण इत्यादि के लिये।"

प्रश्न अब यह आता है कि सरकार ने जो अतिरिक्त कार्य किये हैं, इस सदन की बिना मंजूरी लिये सरकार को ये अतिरिक्त कार्य करने को मजबूर होना पड़ा है, बाध्य होना पड़ा वह खर्चा ईमानदारी से

[श्री भैरूंसिंह]

हुआ है कि नहीं या जिन व्यक्तियों के लिये खर्च किया गया है उनको इस रुपये से पूरा लाभ मिला है कि नहीं? इस संबंध में मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करूंगा। यह खर्चा कहां कहां हुआ है यदि इसका जिक्र नहीं करूंगा तो मंत्री महोदय जैसी कि हमेशा से उनकी परिपाटी रही है कि विरोधी दल के सदस्य कोई बात कहें तो यह कह कर पिंड छुड़ाते हैं कि इसमें कोई तथ्य नहीं है, पर मैं इस दलील के संबंध में पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट की दो ही लाइनें पढ़ कर सुनाऊंगा कि इस विभाग का काम राजस्थान में किस तरह का हुआ है।

Third Report, Pages 88, Para 120.

"This is another peculiar department which has either been neglected or attended to very little by the Government and matters have not improved in spite of the irregularities being pointed out by the Audit Department in the Audit Reports as also strong criticism made by the Public Accounts Committee."

तो यह एक वह पेरेग्राफ है जिसको गवर्नमेंट ने स्वीकार किया है। जहां इस प्रकार की स्थिति को गवर्नमेंट ने स्वीकार कर लिया है वहां हमें उस स्थिति के डिटेल्स में जाने की आवश्यकता नहीं, परन्तु आवश्यकता इसलिये होती है कि पी.ए.सी. की रिपोर्ट आने के बाद भी, पी.ए.सी. द्वारा सिफारिशें करने के बावजूद भी, पर्टीक्यूलर इररयूलैरिटी को पोइन्ट आउट कर आफिसर्स के ऊपर रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स करने को कहते हैं, इसके बावजूद भी जो रुपया दुरुपयोग हुआ है उसको बचाने के लिये घटना की जांच के लिये आज तक कोई कार्यवाही सरकार की ओर से नहीं की जाती है। इसके लिये मैं यहां परतापनगर वाली घटना का उल्लेख नहीं करूंगा, इसके लिये मैं यहां भोपाल कोओपरेटिव सोसायटी से जिन घटनाओं का संबंध है उनका उल्लेख नहीं करूंगा पर मैं उन घटनाओं का जिक्र करूंगा जिनका इस मांग से संबंध है। और वह घटनाएं हैं छोटी छोटी दुकानें बनाने के संबंध की, स्टाल्स बनाने की लोगों को रुपया उधार देने की और सरकार की दुकानों को लोगों को किराये पर देने की।

मैं मानता हूं कि मंत्री महोदय इस बात को आज कहने की स्थिति में नहीं हैं ऐसी बात नहीं है, किसी समय में इस स्थिति में नहीं थे और न अब इस स्थिति में होंगे कि माननीय मंत्री जी यह जवाब दे सकें कि इस विभाग का काम संतोषजनक रहा है।

बीकानेर में स्टाल्स का काम किया गया है, बिना इस बात का पता लगाये कि इन स्टाल्स को कौन कौन लोग लेंगे, इन पर कितना खर्चा पड़ेगा इसका कोई एस्टीमेट नहीं, किनको किराये पर दी जायेंगी, इसका कोई उल्लेख नहीं। बिना इन सब चीजों के उल्लेख के रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट ने कह दिया कि ३०० स्टाल्स की आवश्यकता है, कौन उपयोग में लायेगा, कैसे बनेंगे, किनको वितरण किये जायेंगे, बिना इन सब बातों पर विचार किये ही एक के दिमाग में आया कि ३००स्टाल्स बनाये जायं और इसलिये दिमाग में आया कि जिनसे बनाना है उनको कम्पेन्सेट करना है, २४४ इस प्रकार के स्टाल्स का निर्माण होता है। इसके बाद सरकार के आदेश होते हैं कि इनको वितरित किया जाय, तो रतनगढ़ सरदारशहर और गंगानगर में इन स्टाल्स को लेने वाला कोई नहीं तैयार हुआ, २४४ स्टाल्स में से एक को भी लेने के लिये कोई तैयार नहीं हुआ। फिर सरकार की ओर से कहा जाता है कि बना तो लिये, पर इनको लेने वाला कोई नहीं

[श्री भैरूंसिंह]

और इस तरह लाखों की संपत्ति बेकार खर्च होती है। इस विभाग का अधिकारी जो सरकार के इस विभाग की जिम्मेदारी निभाने का उत्तरदायित्व लेता है तो उनके खिलाफ एक्शन लें और उन अधिकारियों को सजा देकर उनकी तनख्वाह में से यह सारा रुपया वसूल किया जाय या सरकार और तरीकों से उनसे यह रुपया वसूल करे। पर सरकार ने इस बारे में कुछ नहीं किया, सरकार चुप रही। कहा गया कि गलती हो गई है, गलती से इतने स्टाल्स बना दिये, अब इनको नीलाम करने के लिये कहा गया। रतनगढ़ में इस प्रकार के स्टाल्स को नीलाम करें तो कौन लेने वाला है ? इसी तरह सरदारशहर और गंगानगर में भी नीलाम कौन ले ? नीलाम में पूरी कीमत नहीं आने लगी तो सरकार ने सोचा कि इस काम को अभी बन्द रखा जाय और डेढ़ साल तक वे स्टाल्स बरसात और धूप के शिकार होते रहे और उनकी कीमत भी घटती रही। इसके बावजूद भी हमारी लोकप्रिय सरकार ने स्टाल्स बनाने वालों को कम्पेन्सेट करने के लिये यह स्टाल्स बनाये।

इस प्रकार की परिस्थिति बीकानेर में ही नहीं, जहां पर दुकानें बनाई गईं वहां पर भी इसी प्रकार की परिस्थिति हुई। कोटा में भी इसी प्रकार की स्थिति हुई दुकानें किनको देनी हैं, कितना किराया होगा, किस वक्त दी जायेंगी, जिसको किराये पर दी जायं उससे क्या शर्तनामा लिखाया जाय, क्या किराया लिया जाय, अगर कोई किराया नहीं देता है तो क्या किया जायगा, इसका बगैर कहीं भी उल्लेख किये, इन बातों पर विचार किये बिना ही अपने मित्रों को दुकानें बनाने का ठेका दे दिया गया। अच्छा चूना लग रहा है कि नहीं, यह नहीं देखा गया। लोग यह देखते कि हमें विस्थापितों को सहायता देना है, छोटी मोटी इर्रेग्यूलेरिटी हो जाय तो कोई बात नहीं। नतीजा इसका यह हुआ कि सरकार को इस बात का पता नहीं कि जिन दुकानों को सरकार ने बनाया वे किस तारीख से किस आदमी के पास हैं और किन किन में कितना कितना किराया बाकी है ? एक दुकान 'ए' को किराये पर दी गई, किराये की रकम 'ए' के नाम निकल रही है, पर 'ए' तीन साल से बम्बई में बैठा हुआ है और उस दुकान में रह रहा है "ज़ेड"। वह किराये के पैसे नहीं देता और कहता है कि मेरे क्लेम्स वैरीफाई हो चुके हैं, मेरे क्लेम्स के पैसे दो और मेरे नाम कितना पैसा निकलता है हिसाब बना कर दो। सरकार के पास इसका न कोई एग्रीमेंट है, न किराये पर देने की शर्तें हैं, न किराया नामा है बावजूद इसके कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने अपनी तीन रिपोर्टों में इसका उल्लेख किया है और सरकार अपने कानों में तेल डाले पड़ी है।

यह नहीं कि विस्थापितों को इससे कोई फायदा हुआ हो, जो लोग बाहर से आये उनके रहने को मकान मिले हों, जो पीड़ित थे उनको फायदा मिला हो ऐसी बात नहीं है। फायदा हुआ है सरकारी अधिकारियों को जिन्होंने सरकार की आंखों में धूल झोंक कर रुपया हड़पने की कार्यवाही की।

और इस प्रकार निडरता से रुपया सरकार की आंखों में तेल डाल कर हड़प करने वालों के खिलाफ कार्यवाही से वंचित रखने के लिये इस प्रकार की मांग करके विधान सभा से मोहर लगाने की चेष्टा करते हैं। मैं समझता हूं कि आप कोई भी कार्य करेंगे उस पर मोहर लगवावेंगे मगर मैं यह कहूंगा कि यदि आपने इसमें कोई गड़बड़ नहीं की है, यदि आपके निजी व्यक्तियों और रिश्तेदारों ने किसी प्रकार का फायदा नहीं उठाया है और नये नये व्यक्ति ही आते हैं और इस प्रकार का आपकी आंखों में तेल डाल कर फायदा उठाते हैं तो आपको चाहिये कि उन लोगों को सजा दें। अगर आप समझते हैं कि आप उसमें इन्वोल्वड

[श्री भैरूंसिंह]

हैं या आपके रिश्तेदार या मित्र इन्वोल्वड हैं तो वह अलग बात है और हम चाहेंगे कि उन पर रोक लगाई जावे। इसके अलावा यहां पर रिश्तेदारों और गैर रिश्तेदारों को सजा देने या न देने या इन्क्वायरी करने या न करने का प्रश्न नहीं आता है। यहां पर तो मुख्य प्रश्न आता है टैक्स देने का। किसी न किसी तरह से पैसा इकट्ठा किया जावे। कहा यह जाता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, बजट डेफिसिट है। हमको द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये पैसा चाहिये। मैं यह कहूंगा कि अगर आप यह पैसा निकालना चाहें तो यह सारा का सारा पैसा इस रिहेबिलिटेशन में कहीं न कहीं निकल सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, इतना ही नहीं, लोगों को जमीनें दी गई। उन लोगों ने उन दी हुई जमीनों पर मकान बना लिये, कुओं के लिये उनको तकाबी दी गई, उन लोगों ने कुए बनवा लिये। अब उन लोगों से बाद में कहा जाता है कि तुम जमीनों को छोड़ो क्योंकि पाकिस्तान से इन जमीनों के असली हकदार आ गये हैं। असली हकदारों का मतलब यही कि जो १९४७ से पहले जो पाकिस्तान के प्रति अपनी वफादारी दिखा रहे थे और अपनी हमदर्दी दिखा कर पाकिस्तान चले गये थे। वे लोग जो १९४७ में पाकिस्तान के वफादार होकर पाकिस्तान चले गये थे, वही लोग १९५२ में वोट देने के लिये पाकिस्तान से वापिस काफलों के काफलों के रूप में आते हैं और कहते हैं कि हम भारत के वफादार हैं। उनको आज कहा जाता है कि जमीनें उनकी हैं उनको दे दी जावें। जो लोग उस समय हिन्दुस्तान के ति अपना प्रेम प्रदर्शित करते थे और अपनी जायदादें छोड़ कर वहां से चले आये और जिनको जमीनें दी गई, जिनको सरकार की तरफ से तकाबी दी गई, जिन्होंने कुए जमीनों में खुदवाये, मकान बनाए उन लोगों को कहा जाता है कि आप जमीनें छोड़ दीजिए। इन जमीनों के असली हकदार पहुंच गये हैं। जिन लोगों ने मेहनत मजदूरी करके उन जमीनों को काश्तकारी के काबिल बना दी है। इसके विपरीत हम देखते हैं कि यदि किसी काश्तकार ने जमीन पर एक फसल के लिये भी काश्तकारी कर दी और लगान जागीरदार को मिल गया तो हम यह कहते हैं कि काश्तकारों की जमीन है और उनको जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता है। उनका खातेदारी का हक हो गया और उनसे जमीन नहीं छड़ाई जाती है। लेकिन आज हम देखते हैं कि अलवर, भरतपुर में उन लोगों को (शरणार्थियों को) जिनको जमीनें दी गई थीं उनको निकाला जा रहा है। जिनके मकान हैं उनको वहां से निकालने की कोशिश की जा रही है। यदि किसी ने मन्दिर बना लिये तो यह चेष्टा की जारही है कि हिन्दुओं को वह मन्दिर मुसलमानों को देने पड़ेंगे। मैं यह कहूंगा कि आप इस प्रकार पैसे को बरबाद कर रहे हैं।

आप यह कहते हैं कि २० हजार से नीचे के क्लेम्स हैं उनको कोई अधिकार नहीं है। जब हम २० हजार से ऊपर क्लेम का अधिकार देते हैं और कहते हैं कि वह अपना क्लेम वेरीफाई करके सबमिट कर सकता है और २० हजार वालों को कहते हैं कि वह अपना क्लेम वेरीफाई करा कर सबमिट नहीं कर सकता उसको इसका अधिकार नहीं है। यह है हमारा सोशियलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी। गरीबों को अमीर और अमीरों को समान स्तर पर लाने का तरीका। मैं यह समझता हूं कि यह राजस्थान सरकार की पोलिसी नहीं है, यह भारत सरकार की नीति है और इससे भारत सरकार का संबंध है। लेकिन राजस्थान सरकार को यह कहना चाहिये कि अब इनका कोई हक नहीं है। हमने इन लोगों को (शरणार्थियों को) पाकिस्तान से निकाले हुए मान कर हजारों रुपये इन पर खर्च कर दिये हैं। इनके लिये मकान बना

[श्री भरूंसिह]

दिये हैं, कुए खुदवा दिये हैं और तकाबी आदि भी काफी दे दी है। यदि ऐसे लोगों को हटा कर दूसरी जगह से ले जाया जायगा तो क्या हाल होगा ? इन लोगों को दूसरी जगह ले जाना संभव नहीं। मगर उनको इस बात का यह भय है कि अगर ऐसा किया गया तो उन लोगों से उनको वोट नहीं मिलेगा और जब वोट नहीं मिलेंगे तो जिन कुर्सियों को वे आज सुशोभित कर रहे हैं नहीं कर पाएंगे। यह दाने पानी का सवाल है इसको पहले सोचना चाहिये।

इसके अलावा जिन लोगों को लोन दिया गया है उनको वसूली करने के लिये कभी कभी तकाजा किया जाता है। लेकिन गवर्नमेन्ट उन मामलों में स्पष्ट आज्ञा नहीं देती है कि ऐसे लोगों से वसूल होना चाहिये और ऐसे लोगों से यह वसूल नहीं होना चाहिये। लेकिन अगर किसी कलेक्टर की किसी से हमदर्दी है तो वह कलेक्टर के पास जाता है और कलेक्टर इस प्रकार का आदेश दे देता है कि इस प्रकार की वसूली को पोस्टपोन करना चाहिये। मगर कोई पोस्टपोन नहीं होती और उल्टी उससे उन लोगों को परेशानी होती है। उन लोगों को परेशान किया जाता है और इसका नतीजा क्या होता है कि बेचारे डर के मारे दूसरी जगह चले जाते हैं। वे अपने इन्ट्रेस्ट को छोड़ कर दूसरी जगह पर चले जाते हैं। अब हमारी सरकार उन लोगों के लिये जो पहले सन् १९४७ में हिन्दुस्तान छोड़ कर पाकिस्तान के हमदर्द हो कर और हिन्दुस्तान को गद्दार समझ कर चले गये थे वे ही लोग आज वापिस आये हैं और सरकार उनको उनके मकान और जमीनें वापिस शरणार्थियों से दिलाना चाहती है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की कार्यवाही के लिये किसी प्रकार का खर्चा करके उसको इम्पलीमेन्ट करने की मंजूरी कराने की चेष्टा करेगा तो वह खर्च किस प्रकार से उचित खर्च हो सकता है, इस बात को मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं।

माननीय उपाध्यक्ष, मैं जिक्र कर रहा हूं उन स्टाल्स, दुकानें और मकानों के लिये जिनके लिये कहा गया है कि बनाये गये, दुकानें बनाई गई। जयपुर में शरणार्थियों के लिये बाजार बनाया गया जिसको कभी तो सब्जी मारकेट के नाम से कभी पुरुषार्थियों के नाम से पुकारते। लेकिन न तो वहां सब्जी मारकेट है, न वहां पर पुरुषार्थी ही नजर आते हैं। अगर आप उस बाजार में जाकर देखें तो आपको उसकी क्या हालत नजर आती है ? आप देखेंगे कि वहां न तो पुरुषार्थी हैं और न सब्जी मारकेट। बाजार उनके नाम का है मगर वहां पर पुरुषार्थी नहीं। जब वहां पर पुरुषार्थी नहीं तो फिर वह बाजार किसके लिये बनाया गया ? यदि उनसे पूछा जावे कि आप लोग वहां पर क्यों नहीं रहते तो आपको पता लगेगा कि सरकार की ओर से उनको जो सुविधायें मिलनी चाहिये थीं या जिन सुविधाओं के कारण हम उन जगह रह सकते थे वे नहीं मिलती हैं। उन सब सुविधाओं का अभाव है। जिस प्रकार के मकान उनको मिलने चाहिये नहीं मिलते हैं। वे कहते हैं कि हमारे क्लेम्स के वेरिफिकेशन नहीं हुए और लोन्स कटने लगे और दुकानों का किराया वसूल होने लगा। लोन्स का इन्स्टॉलमेन्ट में वसूल करना और क्लेम्स के वेरिफिकेशन नहीं होना दोनों बातें एक दूसरे से विरोध में हैं। यदि यह तय हो जाय कि इनका कोई क्लेम्स नहीं तो हम उन लोगों के लिये व्यवस्था कर दें कि यदि वे दुकानों में रहते हैं तो उनको किराया देना होगा। आजकल हो यह रहा है कि दुकानें दूसरे लोगों को दे दी जाती हैं और जो मकसद सरकार का है वह पूरा नहीं होता।

[श्री भैरूंसिंह]

माननीय उपाध्यक्ष, मैं इसके लिये आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करूंगा कुछ कोआपरेटिव सोसाइटीज़ को लोन के बारे में अर्ज करूंगा। यदि हमारी सरकार ने किसी व्यक्ति विशेष को फायदा देने की चेष्टा की है, यदि वे चाहते हैं कि किसी व्यक्ति को अधिक लाभ पहुंचे तो उसके लिये हमारी सरकार ने एक तरीका निकाला है कि कोई व्यक्ति कोआपरेटिव सोसाइटी बनाले जिसके २०-२५ सदस्य हों, दस्तखत करके अपनी कोआपरेटिव सोसाइटी बनालें। आप देखेंगे कि यह सोसाइटी ऐसे आदमियों की बनी है कलकत्ते और बम्बई में व्यापार करते हैं। मगर दस्तखत करते हैं और कहते हैं कि हमने कोआपरेटिव सोसाइटी बनाई है। उनको लोन दे दिया जाता है। कहीं कहीं तो कागज एक ही दिन में सब जगह चले जाते हैं और सैंक्शन उनके पास एक ही दिन में पहुंच जाती है। वह मंजूर तो नीचे से हो जाती है और सेक्रेटेरियेट में इत्तिला टेलीफोन से दे दी जाती है कि रकम मंजूर कर दी गई है। अगर कोई उनसे पूछे कि आपने इसके लिये रजिस्ट्रेशन कराया या नहीं या आपने इसकी पहले जांच की या नहीं कि जिन लोगों ने दस्तखत किये हैं वे सारे के सारे कोआपरेटिव सोसाइटी के सदस्य हैं या नहीं और अगर हैं तो वे कहां पर हैं। वे आया कलकत्ते में हैं या बम्बई में बैठे हैं। मगर इन बातों की कोई चिन्ता नहीं वह कहीं बैठे हों।

लेकिन इसे कोई चाहता नहीं। रुपये मन्जूर कराना था सो होगया। इसके अलावा यदि पच्चीस हजार से ज्यादा रुपये की आवश्यकता हुई जिससे ज्यादा देने का अधिकार रिहेबीलिटेशन डाइरेक्टर को नहीं उसके लिये भी उन्होंने तरकीब निकाल ली। एक सोसाइटी जिसमें पच्चीस आदमी हों उस सोसाइटी के नाम पर क़र्ज दिया जा सकता है। तो इसके लिये तरकीब क्या निकाली कि एक एक आदमी को इन्डिवीज्युअल के रूप में न्डिवीज्युअल आदमी के नाम पर रुपया निकाल दिया जाय, एक कोआपरेटिव सोसाइटी जिसको पच्चीस हजार रुपया एक साथ देने का अधिकार नहीं तो वैसी हालत में इन्डिवीज्युअल को एक हजार कोआपरेटिव सोसाइटी के नाम पर, ६०० रुपये मकान बनाने के नाम पर, ४६०० रुपये तक उधार दिया जाता है। जिन मेम्बरों के नाम का किसी को पता नहीं क्या काम करते हैं किसी को जानकारी नहीं, वैसी हालत में भी रकम दे दी जाती है। वापिस किससे वसूल किया जाय इस बात की किसी को जानकारी नहीं। इस प्रकार की तीन सोसाइटीज़ हैं जिनको हमारी सरकार ने पया उधार दिया है जिनकी जांच नहीं की और जांच न करने के फलस्वरूप उसको चुकाने का कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं, अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति है तो सरकार को उसका पता नहीं तो सरकार का रुपया वसूल होने वाला नहीं। अब यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति के नाम पर जो रुपया दिया गया है उसके लिये हम सेटलमेन्ट कमिश्नर को इत्तला देते हैं कि यदि इस नाम के व्यक्ति के नाम का कोई क्लेम हो वह उसको न दिया जाय, इतनी रकम उसमें से काट ली जाय। मान लीजिये किसी के पांच भाई हैं तो कर्ज एक भाई के नाम से लिया जाता है और जो नाम वह सेटलमेन्ट कमिश्नर को दावे के लिये क्लेम्स भर कर दिया है उस नाम में अन्तर हो सकता है, तो वैसी हालत में रुपये की बरामदगी नहीं हो सकती। इसके अलावा जिन कोआपरेटिव सोसाइटीज़ को रकम उधार दिये जाने को है उनके साथ जो एग्रीमेन्ट हुआ उसकी जब आवश्यकता हुई सरकार या सरकारी कर्मचारियों को यह आवश्यकता महसूस हुई कि इस रकम के इन्सटालमेन्ट लेने में किसी प्रकार का परिवर्तन होना चाहिये, तो ओवर राइटिंग कर दिया जाता है। और इस तरह से

[श्री भैरूंसिंह]

एग्रीमेन्ट में ओवरराइटिंग करके दस्तखत कर दिये जाते हैं और जैसा वो चाहते हैं कर दिया गया है। इस प्रकार से यह भी देखा गया जिन आफीसरों ने या कर्मचारियों ने ओवरराइटिंग किया उनको किसी प्रकार की सजा तक नहीं दी जाती है, बल्कि उल्टा उनको प्रोटेक्शन देना, उनको रियायतें देना, यह इस बात की दलील हैं जितनी भी अनियमिततायें होती हैं उन सबको प्रोटेक्शन देने के लिये माननीय मन्त्री तैयार रहते हैं। यह ऐसा विभाग है जिसमें ऐसे कई आदमियों को प्रोटेक्शन दिया गया है उन लोगों के लिये जो लोग अपना मुल्क छोड़कर यहां हमारे देश में बसने के लिये आये हैं। यहां आकर हम देखते हैं उन लोगों के नाम से लाखों रुपयों का गोलमाल किया है। अगर वास्तव में हमारी सरकार उनके पुनर्वास के लिये चिन्तित थी तो उनको चाहिये था कि वे एक एक पैसे का हिसाब रख कर इस बात की कोशिश करते वह पैसा उन लोगों के पास पहुंच जाय। लेकिन यह किसी ने देखने का कष्ट नहीं किया कि वह पैसा वास्तव में उनके पास पहुंचा या नहीं, इससे यह साफ साबित होता है कि उस पैसे का सदुपयोग नहीं बल्कि दुरुपयोग ही हुआ है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा यह जो इस प्रकार दुकान बनाने के सम्बन्ध में, स्टाल्स बनाने के सम्बन्ध में और अन्य व्यवस्था के सम्बन्ध में जो अतिरिक्त खर्चे के सम्बन्ध में मांग की जा रही है वह कतई उचित नहीं है। मैं समझता हूं यह टोकन कट नहीं इसलिये मेरा निवेदन है कि जितना रुपया का दुरुपयोग हुआ है वह जिन आधिकारियों की गलती से हुआ है उनकी जेब से लिया जाय, ताकि राजस्थान के दूसरे विभागों के लिये यह एक उदाहरण हो सके। मेरे एक मित्र कह रहे हैं यह तो टोकन कट है एक रुपया हमारी जेब से ले लीजिये उनको खयाल होना चाहिये यह सिन्ध की धारा सभा नहीं है, जिस समय सिन्ध विधान सभा थी उसमें जब किसी व्यक्ति ने कटौती का प्रस्ताव रखा और उस पर ढ़ाई घंटे तक वाद-विवाद चला तो एक सदस्य ने यह कहा कि जो कट आपने एक रुपये का रखा वह रुपया आप मेरे से ले लीजिये फिजूल एक रुपये के लिये असेम्बली का ढ़ाई घंटा बरबाद कर दिया। यह जो कट रखा जाता है वह इसलिये कि गवर्नमेन्ट का ध्यान अनियमितताओं की ओर दिलाया जाय। अगर माननीय मन्त्री आज यह आश्वासन दें कि जिन लोगों ने इस प्रकार की अनियमिततायें की हैं उनको सजा दी जायगी तो कुछ बात समझने लायक हो सकती है। इन शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस मांग को मन्जूर करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है।

श्री मुक्तिलाल मोदी--माननीय सभापति महोदय, यह मांग संख्या ६६ पर····

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)--माननीय सभापति महोदय, मैं बीच में बोल रहा हूं इसलिये क्षमा चाहता हूं, लेकिन इसके पहले कि माननीय सदस्य बोलें मैं यह निवेदन करना जरूरी समझता हूं कि जो एक्सेस डिमान्ड पर बहस हो रही है वह सन् ५२-५३ की बात है यह खयाल में रखाजाय। यहां तो इस प्रकार से वाद-विवाद हो रहा है मानो बजट पर डिस्कशन हो रहा हो।

श्री मुक्तिलाल मोदी--माननीय उपाध्यक्षजी, भैरूंसिहजी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका म समर्थन करता हूं, जैसा कि माननीय मुख्य मन्त्री ने फरमाया यह तो ५२-५३ की मांग है लेकिन यह समझ में नहीं आता कि ५२-५३ की मांग को आज क्यों रखा जाता है ? उसी वक्त इस रुपये को पास क्यों नहीं करा लिया गया ? जब बजट सेशन आता है उसमें पहले साल का बजट आता है और

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

अगले साल के लिये बजट पास होता है। इसी प्रकार इसमें भी पहले साल गलती हो सकती है दूसरे साल गलती हो सकती है यह खर्चा तो ५२-५३ में हुआ और पास आज ५६-५७ में कराया जा रहा है मेरी समझ में दुनियां के किसी भी जगह में ऐसा नहीं होता होगा।

माननीय उपाध्यक्षजी, आज हमारी सरकार के चलाने वाले यह सोचते हैं कि जो रुपया जनता का है उसको चाहे जैसे खर्च किया जाय, आज वे सरकार बनाये बैठे हैं इसलिये उनको जनता के पैसे का मूल्य पता नहीं, अगर आज उनकी जेब से इस प्रकार पैसा खर्च होता तो शायद उनको पता चलता। वे आज यह सोचते हैं जब कभी हमें रुपयों की जरूरत होगी हम जनता से टैक्स वसूल करके या कर्जा लेकर के सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से रुपया लाते हैं और उसको अन्धाधुन्ध खर्च कर देते हैं। देखना भालना कुछ नहीं। इसीका नतीजा यह है कि इसकी मन्जूरी आज चार साल बाद ली जा रही है। अगर आज इन्कम टैक्स डिपार्टमेन्ट या पोस्ट और टेलीग्राफ डिपार्टमेन्ट या रेल्वे डिपार्टमेन्ट में इस तरह से दो तीन साल बाद मन्जूरी ली जाती हो तो उनका हाल ही क्या का क्या हो जावे। उनको हमेशा पता रहता है आज फलानी जगह घाटा है फलां जगह इस तरह काम हो रहा है। आज राजस्थान सरकार में १३ मिनिस्टर्स हैं अकाउन्टेंट जनरल हैं और अन्य अधिकारी फाइनेन्स सेक्रेटरी आदि कई सेक्रेटरी हैं, फिर भी जो खर्चा चार साल पहले होगया उसको चार साल के बाद हाउस के सामने लाते हैं। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करूं जिस तरह से यह रुपया खर्च किया गया उसको आप देखें तो आपको पता चलेगा आप सांगानेर दरवाजे के बाहर जो दुकानें और मकान बने हैं, उस पर जो रुपया खर्च हुआ है उसमें से आधा रुपया कम से कम अधिकारियों की जेबों में गया है। जो दुकानें पक्की बनायी गई, जो मकान बनाये गये उसमें कोई भी शरणार्थी नहीं रह रहा है, वहां कोई दूसरे ही व्यक्ति रह रहे हैं। वे मकान और दुकान किस प्रकार के बने हैं, उन मकानों की और दुकानों की यह हालत है जिन इन्जीनियर ने वह बनवाई हैं उसके लिये मैंने चीफ मिनिस्टर और पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर महोदय को वहां लेजाकर बताया, वहां सड़कों की और मकानों की हालत क्या है, वहां सड़कें पानी से बह गई हैं, मकान टूट गये हैं इतना होने पर भी उन इन्जीनियर के लिये कुछ नहीं कर सके।

उसकी रिपोर्ट की गई, उसकी रिपोर्ट पेश कराई गई। सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर ने बाकायदा लिख कर के दिया कि भाई इस इस तरह का गबन हुआ है, मगर आज तक कोई देखने वाला नहीं है, न कोई सुनने वाला है और हमें चिल्लाते चिल्लाते सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। ऐसी हालत है। इस तरह से होता है कि एक मांग रखकर हम से वह रुपये मन्जूर करवाना चाहते हैं तो हम कतई मन्जूर करने वाले नहीं हैं इस रुपये को।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

आप बोलने भी देंगे या नहीं, उपाध्यक्ष महोदय। यहां पर और कोई तो बोलने वाला नहीं है। हम तीनों ही बोलने वाले हैं जिनको भी आप घंटी बजा बजा कर बिठाना चाहते हैं। हम वाजिब बात कहते हैं नहीं हो तो देख लें। उस समय पालीवालजी पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर थे और श्री व्यासजी मुख्य मन्त्री थे। मैं एक शब्द भी गलत बोलूं तो आप कह सकते हैं। मगर आप महरबानी करके घंटी मत बजाइये।

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

तो माननीय उपाध्यक्ष जी, यह मैंने वहां की सड़कों और मकानों का हाल बताया है।

दूसरी बात जो दुकानें यहां बनी हैं उनके बारे में है। आज जयपुर के बाजार में जो स्टाल बनाये गये हैं तो एक एक जने को ो दो दुकानें दी गई हैं। उसने स्टाल भी रखी हैं और दूकान भी ले ली है। दूकानों का किराया वसूल करने का जो तरीका सरकार ने अपनाया है वह पूरी तरह से नहीं चला है। वे क्या सरकार चलाते हैं ? वे सिर्फ़ वोट के लिये या जनता पर टैक्स लगा कर रुपया वसूल करके खर्चा करना ही आता है तो यह कोई तरीका नहीं है सरकार चलाने का, क्योंकि इस तरह से सरकार कितने दिन चलेगी ? ज्यादा दिन तक वह नहीं चल सकती है। बहुत कम दिन चलेगी। अन्त में अन्त आयेगा ही। वह तो किसी का भी आयेगा।

(घंटी)

अगर आप लोग जो असेम्बली के मेम्बर्स हैं उनका १५ का पैसा काट कर नहीं दे रहे हैं यहां पर जयपुर का पता लिखने में थोड़ी सी गलती कर दी होगी और उस वक्त देखा नहीं कि हम यहां का पता लिख दें तो उसमें क्या गलती होगी। उसमें सेक्रेटरी की गलती होगी या चीफ मिनिस्टर की गलती होगी या और कोई ज्यादा गलती होगी (घंटी) या मिनिस्टर की गलती होगी (घंटी) मगर इसमें हमारा क्या कसूर है (घंटी) सिवाय इसके कि, उपाध्यक्ष महोदय, कि अगर आप पैसा काट लेते हैं तो आज जो सरकार के चलाने वाले हैं उनका पैसा भी काटना चाहिये। जो गवर्नमेन्ट के अन्दर बैठकर काम करते हैं. गवर्नमेन्ट के इन्जीनियर वगैरह हैं उन्होंने जब कि इस तरह से पैसा बरबाद किया है तो उनका पैसा कटना चाहिये, जैसा कि सरकार हमारा पैसा काट रही है, यदि असेम्बली के रूल्स में ग़लती होने पर तो उन आफिसरों या मिनिस्टरों की तन्ख्वाह से पैसा काट कर इसके अन्दर, इस डिमान्ड के अन्दर जमा कर लेना चाहिये। इसलिये जो कट मोशन श्री भैरूंसिंहजी (वि० सं० १६) ने कट मोशन रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--श्री चौधरी रिप्लाई देंगे।

श्री अमृतलाल यादव (पुनः स्थापन मन्त्री)—माननीय उपाध्यक्षजी, यह मांग यद्यपि मेरे साथी निर्माण मन्त्रीजी ने उपस्थित की थी लेकिन इसके सम्बन्ध में जिन सज्जनों ने कटौती के प्रस्ताव रखे हैं उनकी यह इच्छा है कि मैं इन विषय में कुछ निवेदन करूं। और यह उनका कुछ कहना ठीक भी था क्योंकि इसका ज्यादातर सम्बन्ध मुझ से आता है।

असल में इसके बारे में आज जो तीनों सज्जनों ने फरमाया था उसमें मैं यह निवेदन करदूं कि यह ५२-५३ की मांग है, क्योंकि ११,४४,०००) रु० से ज्यादा १८,७६,१३३) रु० खर्च हो गया है। यह जो ज्यादा रुपया खर्च हुआ है इसकी स्वीकृति की मांग सदन के सामने है। यह जो रकम खर्च हुई है वह रिफ्यूजीज़ के लिये स्टाल बनाने के लिये, दूकानें बनाने के लिये, मकान बनाने के लिये खर्च हुआ है। इसके लिये जो कुछ माननीय सदस्य ने फरमाया है वह यह फरमाया है कि जो दूकानें बनाई गई हैं तो इस बात को पहले नहीं सोचा गया है कि कितनी दूकानें, कितने मकान बनवाने की जरूरत है। उनका क्या उपयोग होगा, दुरुपयोग होगा या सदुपयोग होगा। आज न तो किराया वसूल किया जा रहा है

[श्री अमृतलाल यादव]

और न उन दुकानों में रिफ्यूजीज़ रह रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत सी क्लेम की बातें और कुछ उनको जमीनें देने की बातों की, और एक माननीय सदस्य ने तो किसी एग्रीकल्चर कोआपरेटिव सोसाइटी की भी बात कही जिसका उससे कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन मैं यह निवेदन कर दूं कि राजस्थान में लगभग ३ लाख से ज्यादा रिफ्यूजीज़ आबाद हुए हैं। ५२-५३ में यह जो कन्स्ट्रक्शन हुआ है इसके सम्बन्ध में यह आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस राजस्थान में दो तरह के रिफ्यूजीज़ आये। एक रिफ्यूजीज़ तो वह थे जो कि गांवों में जाकर आबाद हुए और दूसरे वे थे जो कि शहरों में आकर आबाद हुए। जो रिफ्यूजीज़ शहरों में आबाद हुए हैं उनके लिये गवर्नमेन्ट ने जिम्मेदारी समझी कि उन लोगों के लिये जो कि व्यापार करते हैं उनके लिये दूकानें बनाएं, उन लोगों को कर्जा दें। उन लोगों के रहने के लिये मकान बनाये, यह हो सकता है कि वे अपने देश, पाकिस्तान, में बहुत बड़ी हवेलियों में रह रहे हों लेकिन आज वह समय नहीं है, लेकिन गवर्नमेन्ट इतना ज़रूर अपना कर्तव्य समझती है कि उनको रहने के लिये एक एक मकान और व्यापार चलाने के लिये दूकान बना दे।

यह जो मैंने आपको फीगर्स दिये हैं कि तीन लाख के लगभग राजस्थान में रिफ्यूजीज़ आबाद हुए हैं, और जितनी दूकानें बनाई गई हैं, जितने मकान बनाये गये हैं, लेकिन गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया से आज भी हम इस बात की मांग कर रहे हैं कि हमारे यहां जो दूकानें बनाई गई हैं, जो मकान बनाये गये हैं वे काफी नहीं हैं, नाकाफी हैं। इतनी दूकानों की और मन्जूरी दी जाय, इतने मकानों की और मन्जूरी दी जाय। मैं यहां पर यह स्पष्ट करदूं कि जो कुछ भी दूकान अथवा मकान बनाने में रुपया खर्च हुआ है वह भारत सरकार का और राजस्थान सरकार के द्वारा खर्च हुआ है। तो यह आपका कहना कि ये जो दूकानें, ये जो मकान बनवाये गये हैं वे काफी से ज्यादा बना दिये गये हैं और आज जिनका दुरुपयोग हो रहा है तो मैं समझता हूं कि आज आप अन्दाज़ा करेंगे कि जहां ३ लाख लोग बसे हुए हैं वहां पर कुछ हज़ार मकान और कुछ हजार दूकानें बनाई गई हैं उनको भी काफ़ी से ज्यादा बताया जा रहा है। लेकिन चूंकि मेरे हाथ में यह काम है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वे इतनी काफी नहीं हैं। मैं तो समझता हूं और यह महसूस करता हूं कि कुछ और दूकानें और कुछ और मकान बनवाने की ज़रूरत है। यही नहीं जयपुर का एक हवाला दिया गया है, और जिस बाज़ार में की बात कही गई है उन माननीय सदस्य को उस बाज़ार का नाम तक मालूम नहीं है, तो उसकी जानकारी वे और ज्यादा क्या कर सकते हैं? उस बाज़ार का क्या नाम रखा गया है धारा सभा के एक माननीय सदस्य को इस बात की जानकारी नहीं है तो वे और विशेष जानकारी क्या रख सकते हैं? मैं उनको यह जानकारी देना चाहता हूं कि उस बाज़ार का नाम "बापू बाज़ार" रखा गया है। इसके अलावा कोई नाम उस बाजार का नहीं है। उसमें जितनी दूकानें बनाई गई हैं उनमें रिफ्यूजीज़ आबाद हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और चेलेन्ज के साथ निवेदन करता चाहता हूं कि जो दूकानें यहां पर बनी हैं जयपुर के अन्दर और जो मकान यहां पर बने हुए हैं उनमें प्लास्टर पीछे हुआ है और दूकानें पहले लगाई गई हैं और सौदा पहले बिकना शुरू हो गया था। कोई दूकान ऐसी नहीं है कि जो रिफ्यूजीज़ को दी गई हो और उसमें व्यापार नहीं चल रहा हो या उनमें रहना शुरू नहीं किया हो। इसी तरह से मकानों का सवाल है।

मकानों के अन्दर वन रूम टेनेमेन्ट बनाये गये हैं। यह ठीक है कि वन रूम टेनेमेन्ट के वहां पर बरसात के अन्दर सड़कें कट गई हैं और वहां कुछ पानी से तकलीफ हुई है। तो यों पानी का बरसना

[श्री अमृतलाल यादव]

है तो भरतपुर के अन्दर अभी बाढ़ आगई और कई गांव बह गये तो ये तो नेचुरल केलेमिटी है। उसके लिए क्या किया जा सकता है सिवाय इसके कि जहां की सड़क कटी है और कुछ असुविधा हुई है तो उसको दूर करने की कोशिश की जाय। उसकी कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं वन रूम टेनेमेन्ट जो बने हुए हैं वे गवर्नमेन्ट ने अपने खर्चे से बनाये हैं। उन वन रूम टेनेमेन्ट में यह ख्याल करके कि यदि बिजली नहीं मिले तो एक आदमी का काम चल सकता है लेकिन अगर पानी नहीं मिले तो उसका काम नहीं ल सकता है। तो पहले पानी की व्यवस्था की गई। बिजली का सवाल आया तो उसको धीरे धीरे इस बात को सोचेंगे कि जब कि दूसरे लोग बिजली के प्रकाश में रह रहे हैं तो इनको भी बिजली दी जाय। तो वह कागज़ गवर्नमेन्ट आफ़ इन्डिया को भेजे गये, और मुझे उम्मीद है कि वन रूम टेनेमेन्ट में जो बिजली की असुविधा की थोड़ी सी बात है उसको जल्दी ही पूरा कर दिया जायगा।

अब रही इसकी उपयोग की बात। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पार्लियामेन्ट द्वारा पास किये गये इवेक्युई प्रोपर्टी एक्ट के अन्तर्गत जो जितनी प्रोपर्टी है, चाहे वह वन रूम टिनेमेन्ट हो, चाहे दुकान हो, आजाती है और उनके अन्दर जो रिफ्यूजी बैठे हुए हैं वे दो तरह के हैं, क्लेमेन्ट या नोन क्लेमेन्ट। जो क्लेमेन्ट रिफ्यूजीज़ हैं उनसे मकान, दूकान की कीमत वसूल की जायगी और जो नोन क्लेमेन्ट रिफ्यूजीज़ हैं, चूंकि हमारे यहां जो रिफ्यूजीज़ आये हैं उनमें ज्यादातर नोन क्लेमेन्ट रिफ्यूजीज़ आये हैं, ऐसे रिफ्यूजीज़ आये हैं जो ग़रीब हैं, उनके लिए यह तय किया गया है कि १० हजार तक की जो प्रोपर्टी है उसका ओक्शन न कराया जाय, बल्कि उनको वह अलाट की जाय जो उसमें बैठे हुए हैं। इससे माननीय सदस्य खुद अन्दाजा लगा सकेंगे कि यह एक सुविधा है या असुविधा है जो रिफ्यूजीज़ को दी गई है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह सुविधा है जो रिफ्यूजीज़ को दी गई है। उसके अलावा यह समझा जाय कि ऐसे टिनेन्ट हैं जो क्लेमेन्ट हैं लेकिन पेमेन्ट नहीं करते हैं वैसे ही रहते हैं तो उनसे खाली कराके रुपया वसूल किया जावेगा। जो मकान या दुकान बनी हैं उनके दुरुपयोग का सवाल नहीं है। उनकी कीमत या रुपया वसूल नहीं होता हो ऐसी बात नहीं, वह वसूल होगा। जो दूसरी बातें कही गई हैं, जो बातें भरतपुर और अलवर के क्लेमेन्ट के लिये कही गई हैं वे इसमें आती नहीं है। लेकिन चूंकि कही गई हैं इसलिये मैं अर्ज करूं कि २० हजार के जो क्लेमेन्ट हैं उनको ज़मीनें दी गई हैं, उन्हें यह कहा गया था कि आप अपना क्लेम फार्म न भरें, यह पंजाब, पेप्सू और अन्य जगहों के लिये हुआ था और जो ज़मीनें इवेक्युई पूल के अनुसार तय करदी गई थीं उनका या तो एडजस्टमेन्ट हो रहा है और नहीं हो रहा है तो फिर क्लेम का सवाल आता है और यह रिसेन्टली तय हो गया है कि इस प्रकार के जो क्लेमेन्ट्स हैं उनका तय किया जावेगा। हालांकि इसका राजस्थान सरकार से ताल्लुक नहीं है, भारत सरकार से इसका ताल्लुक है। वहां जो निर्णय हुआ वह मैंने निवेदन किया।

हाऊसिंग कोआपरेटिव सोसाइटीज़ की बात कही गई। ये जयपुर में ज्यादा हैं। १-२ उदयपुर में भी हैं और दूसरी जगह भी हैं। मैं इस विषय में आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि हाऊसिंग कोआपरेटिव सोसाइटीज़ को रुपया दिया गया वह पूरा का पूरा नहीं दिया गया। २२ हजार से २८ हजार तक दिया गया बाकी उन्होंने अपना लगाया। जो कुछ अपना उन्होंने लगाया या सरकारी कर्जा लेकर उन्होंने उनमें लगाया वे अपने क्लेम से उसको वापिस देंगे या जो नानक्लेमेन्ट हैं उनकी जिम्मेदारी सोसाइटी

[श्री अमृतलाल यादव]

लेगी। इसलिये रुपया डूब जायगा ऐसी बात नहीं है। किराये की बात कही गई उसके लिए यह निवेदन करूं कि जो लोग मकान में रहते हैं या जो वन रूम टिनेमेन्ट हैं या जिनके पास दूकान हैं उनके लिये यह किया गया कि जो वन रूम टिनेमेन्ट हैं उनको हायर परचेज़ सिस्टम पर दिया ३० साल के किश्तों में विद् इन्ट्रेस्ट उनसे वह वसूल किया जावेगा। यह सवाल ही नहीं उठता है कि रकम वसूल होती नहीं है। वे लोग किश्तें देते हैं और जो नहीं देते हैं उनसे तकाजा किया जाता है, जिनसे ड्यू होता है उन पर ब्याज चढ़ जाता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस सवाल का एक बहुत बड़ा पहलू है और वह बड़ा पहलू है मानवता का। आप उस वक्त की कल्पना कीजिये जब पाकिस्तान से रिफ्यूजी हिन्दुस्तान में आये थे और कैम्पों में पड़े हुए थे, जिन कैम्पों पर लाखों रुपया खर्च करना पड़ता था। उनको उस वक्त आबाद करने के सबसे बड़े सवाल सामने थे। तो यह तय किया गया कि मकानों का कन्स्ट्रक्शन तो देर से होगा इसलिये लकड़ी के स्टाल्स बना दिये जायें। वन रूम टिनेमेन्ट बना दिये जावेंगे और इन कैम्पों पर जो इस प्रकार से लाखों रुपया खर्चा करना पड़ता है वह नहीं करना पड़ेगा। राजस्थान के नागरिकों ने भी राजस्थान सरकार का साथ दिया, उन्होंने उन लोगों को अपने घरों में रखा, पंचायती मकानों में रखा और जहां तक मैं जानता हूं उन्होंने किराये तक की बात उनसे नहीं कही, उन्होंने मानवता के प्रति अपना यह फर्ज समझा। जहां इतनी बड़ी मानवता का सवाल हो, उन पुरुषार्थी भाइयों को कैम्पों से निकाल कर राहत पहुंचाने का सवाल हो वहां यदि थोड़ी कहीं कमी भी हो तो बाद में उस कमी को दूर करने में कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। अगर इसका नजारा ही देखना हो तो आप कलकत्ते चले जांय और देखें कि किस कदर रिफ्यूजीज़ आ रहे हैं, उनको किस कदर कैम्पों में रखना पड़ रहा है। किस स्थिति में हैं। यह सवाल गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया के सामने है कि उन कैम्पों को लिक्वीडेट करके जहां कहीं किसी स्टेट में उनको बसाया जाय। जहां इतनी बड़ी तादाद को बसाने का सवाल है जितनी जल्दी जो कोई हल हो सकता था वह अमल में लाया गया।

एक प्रश्न माननीय सदस्य ने रखा कि जो लोग पाकिस्तान चले गये और जो हिन्दुस्तान के वफादार नहीं थे वे वापिस पाकिस्तान से आये और उन लोगों को वहां बसा दिया गया और रिफ्यूजीज़ से जमीनें छीन ली गईं। मैं समझता हूं कि उनके सामने इसके बारे के तथ्य ठीक तरह से नहीं आये हैं। जो पुरुषार्थी भाई हिन्दुस्तान में आये, जो राजस्थान में बसे, उनसे जमीनें छीनने का सवाल नहीं है। इतनी बात जरूर है कि जो मेव पाकिस्तान चले गये थे उनमें से जो लोग पाकिस्तान में ही रह गये उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है लेकिन जिन मेवों ने हिन्दुस्तान में आकर अपने मकानों को अपनी जमीनों पर, अपने इलाकों में आकर बसना मंजूर किया, जिन्होंने हिन्दुस्तान को अपना वतन माना, जिन्होंने हिन्दुस्तान को ही अपना देश माना, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, हिन्दुस्तान में ही रहना चाहते हैं, हिन्दुस्तान को अपना देश मानते हैं, तो ऐसी सूरत में हिन्दुस्तान की सरकार का भी फर्ज हो जाता है कि उनके लिए जमीनें दे, उनके लिये मकान दे और जमीनें उनके पास थीं हर मुमकिन तरीके से उनको वे जमीनें दे। यह जिम्मेदारी राजस्थान गवर्नमेन्ट ने ली। जो मेव पाकिस्तान चले गये थे और जो वापिस हिन्दुस्तान में आये उनको वहां बसाना राजस्थान सरकार ने तय किया। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि उन मेवों को बसाने के अन्दर, वहां जो रिफ्यूजी बसाये गये थे उन रिफ्यूजीज़ को बेदखल करके उन मेवों को वहां बसाया गया हो ऐसी बात नहीं है, बल्कि यह बात है कि

[श्री अमृतलाल यादव]

यथासंभव उनकी ओरिजिनल होल्डिंग्ग थी, खुदकाश्त थी, उन्हें वापिस दी गई। मेव जो पाकिस्तान चले गये थे और वापिस हिन्दुस्तान में नहीं आये तो उनको उनकी जमीनें दी गईं।

मस्जिदों के सम्बन्ध में भी कुछ बातें कहीं गईं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक व्यापक सवाल है। कोई वक्त रहा होगा जब कि मुसलमानों ने मंदिरों को तोड़ा हो और हिन्दुओं ने मस्जिदों को तोड़ा हो लेकिन आज तो हिन्दुस्तान एक सेकुलर स्टेट है। राजस्थान सरकार और भारत सरकार के नोटिस में जब यह बात लायी गई कि कई रिफ्यूजीज़ मस्जिदों में रह रहे हैं तो सरकार का यह फर्ज हो जाता है कि वे उन मस्जिदों को खाली करायें और अगर इस प्रकार से और कोई होगी तो खाली करायी जावेगी। आज की सेकुलर स्टेट में माननीय मित्रों को खुश होना चाहिये और सरकार को सहयोग देना चाहिये न कि ऐसी भावना फैलाना चाहिये कि जिससे एक किस्म का वातावरण पैदा हो। माननीय मित्र ने सुना होगा कि इसी धारा सभा के पिछले अधिवेशन में जो माननीय सदस्य भरतपुर से आते हैं उन्होंने दूसरी ही तरह की बातें कहीं थीं और सरकार पर चार्ज लगाने की कोशिश की कि सरकार मेवों को वाजिब अधिकार नहीं दे रही है, मस्जिदों के बारे में नहीं सोच रही है और कुछ ज्यादती हिन्दुओं की ओर से हो रही हैं। तो ऐसी बातें कही थीं। लेकिन उनको भी यह निवेदन किया गया था तो मैं आपसे भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक किसी को भी बसाने का सवाल है वहां चाहे मेव हों या शरणार्थी हों, उनको बसाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है और सरकार के साथ जनता की और सरकार की ओर से उनको बसाने के लिये मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूं कि एक को बसाकर दूसरे को उजाड़ा जाय यह पॉलिसी सरकार की नहीं है। एक के साथ दूसरे को भी बसाया जा सकता है तो बसाया जाना चाहिये।

तो इवेक्यूई पूल में जो प्रोपर्टी है वह पाकिस्तान में जो मेव रह गये हैं उनकी है और उसमें नुकसान पहुंचाकर भी पाकिस्तान से जो मेव वापिस यहां आगये हैं उनको बसाया जा रहा है। कि किसी रिफ्यूजी को हटाकर उन मेवों को प्रो॰ ीं दी जा रही हो ऐसी स्थिति नहीं है। तो यह बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं।

इसके अलावा एक पोइन्ट और था एग्रीकल्चर कोआपरेटिव सोसायटी के बारे में जिक्र किया गया कि जमीन किन्हीं की थी और करजा किसी और को मिल गया। मैं उनका आभारी हूं कि माननीय सदस्य ने इस प्रकार की सूचना मुझे दी। पर साथ ही निवेदन कर देना चाहता हूं कि इसका इस कटौती प्रस्ताव से कोई सम्बन्ध नहीं है, पर अगर वे बताते हैं तो हाउस के फ्लोर पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी कोई स्पेसिफिक इन्स्टान्स मेरे नोटिस में लाई गई तो मैं उस पर उचित कार्यवाही करूंगा। यह साफ बात है कि जिसके पास जमीन नहीं उसको किसी भी कोआपरेटिव सोसायटी से कर्जा दिये जाने का नियम नहीं है और वह दिया नहीं जाना चाहिये।

इतना निवेदन करने के बाद मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस कटौती के प्रस्ताव को स्वीकार न करते हुए इस रकम को मन्जूर करने की कृपा करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--श्री हरिकृष्ण व्यास।

श्री हरिकृष्ण व्यास--तो मूवर आफ दी मोशन ज नथिंग टू से ? जिन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया उनको कुछ कहना नहीं है उपाध्यक्ष महोदय ?

श्री उपाध्यक्ष--रिप्लाई हो गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास--उपाध्यक्ष महोदय, मूवर की तरफ से इन्होंने (श्री अमृतलाल यादव) जवाब दिया न ? उपाध्यक्ष महोदय, तो स्थिति यह निश्चित सी हो जाती है कि प्रस्तावक महोदय को तो कुछ कहना ही नहीं है। तो उनकी प्रोक्सी में जो बोले उनका जवाब दूं ?

श्री उपाध्यक्ष--कोई नई बात आई हो तो उसका जवाब दें।

श्री हरिकृष्ण व्यास--सारी की सारी ही नई बातें ही आई हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस मसले की असल बात को अलग रखकर कुछ भावनाएं प्रस्तुत करके मसले को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है । इसमें मेरे ख्याल से दो रायें नहीं हो सकतीं कि जो भाई पाकिस्तान से आये और जिन हालतों में आये उस समय सरकार को और जनता को हर चन्द कोशिश करनी चाहिये थी और कोशिश की भी गई कि उनको बसाया जावे । यह एक बहुत बड़ी समस्या थी इसके बारे में भी दो रायें नहीं और मैं तो समझता हूं कि रुपया ज्यादा खर्च कर दिया गया इसके लिये भी कुछ कहना नहीं, बल्कि अगर पुरुषार्थियों के लिये आवश्यक हो और कई माने में आवश्यक है यह सही बात है तो अगर और खर्च करना पड़े तो खर्च होना चाहिये, पर सदन का काम यह जरूर है कि जो रुपया खर्च हो उसका सदुपयोग होना चाहिये और जिनके नाम पर खर्च हो रहा है उसको उसका फायदा भी मिलना चाहिये । खर्च किया कैसे गया इसका ध्यान रखना चाहिये । दूकानें बनानी हैं, इसके बारे में दो चार अधिकारियों ने बैठकर खुद ही फैसला ले लिया या अगर मन्त्रीजी वहां पहुंच गये हों उनकी राय ले ली गई हो पर जिनके लिये बनाई गई या बनानी हैं उनको शायद प्रोटेस्ट रहा होगा पर वे दुकानें वहां बना दी गईं मेरे आपके ध्यान में भी ऐसी बढ़िया जगह है जहां आपकी अच्छी अच्छी दुकानें बनी पड़ी हैं पर इससे क्या उनका तो इसमें प्रोटेस्ट था उनको सहूलियत की जगह नहीं थी और इसी कारण से वहां पर कोई आने को तैयार नहीं हुआ, वे वैसे ही बनी पड़ी हैं क्योंकि वे आउट आफ दी प्लेस थीं, जहां मकान बनने थे वहां दुकानें बना दीं । अब अगर यह कहा जावे कि उनके लिये काम किया गया तो मैं तो यह कहूंगा कि उनके लिये नहीं उनके तो वे उपयोग में ही नहीं आई । अब इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? इसका जवाब कुछ नहीं दिया गया । वहां तो यह कह दिया गया कि थोड़ी बहुत कठिनाई तो हरएक जगह ऐसे मामलों में आती है। सही है, पर ऐसी जगह कठिनाई का क्या सवाल आया ? इस विभाग का यह हाल है कि जो सरकारी अफसरों को एडवान्सेज दिये गये और जिन एडवान्सेज का उन्होंने हिसाब नहीं दिया वह रकम ३१-८-५५ तक के आंकड़े हैं २४ लाख ८४ हजार ५५२ रुपये ६ आने ७ पाई के । यह आउट स्टेन्डिंग एडवान्सेज हैं । अब यह पुरुषार्थियों के नाम पर जिन सरकारी अफसरों को और लोगों को एडवान्सेज दिया गया किस काम के लिये दिया गया ? उन्होंने हिसाब नहीं दिया २६ लाख रुपये बकाया पड़े हैं । इसे क्यों छिपाने की कोशिश की जावे ?

उपाध्यक्ष महोदय, कोई कारण नहीं । पांच साल होगये इसका कुछ हिसाब तो आना चाहिये। अगर राज के काम में खर्च हुए तो उसका हिसाब होना चाहिये और इतनी ही बात नहीं है जरा गौर

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

करें कि विभाग से ट्रेजरी में पैसा गया और ट्रेजरी से चैक उठाये गये। अब उनका दोनों का मिलान किया गया। चैकों का पेमेन्ट हुआ। इन दोनों में दो लाख सतरह हजार छै सौ उन्चास का पेमेन्ट हुआ। ट्रेजरी में यह पेमेन्ट किया गया और विभाग में जो अमाउन्ट दर्ज है उन दोनों के फीगर्स में १,११,७४४) रुपये का फर्क है। विभाग की किताब कहती है कि इतना रुपया ट्रेजरी में दे दिया और ट्रेजरी वालों ने कह दिया कि हमारे पास केवल इतना ही गया। दोनों के आंकड़े मिलाये तो करीब १,११,०००) का फर्क है। तो यह रुपया कहां गया? रुपया तो ऐसी चीज नहीं कि जो पेट्रोल की तरह एक दो परसेन्ट उड़ गया हो। इस विभाग के रुपयों में ऐसी क्षमता हो तो बात दूसरी है। पर इसका क्या जवाब है?

तो हुआ यह कि इस तरह की इर्रेगुलरिटी हुई उनको हमें देखना चाहिये। दूकानें बनाई उनमें पूरा एस्टीमेट पहले नहीं बनाया तो फिर क्या मालूम कि कितना खर्च होना चाहिये कितना नहीं? इन चीजों के बारे में ध्यान नहीं दिया गया तो पुरुषार्थियों का तो केवल नाम होगा, और गड़बड़ी वैसे की वैसी ही दूसरे लोग करते जावेंगे। यह स्थिति अब तक रही हो ऐसा भी नहीं है। आज भी यही स्थिति मौजूद नजर आती है उनके जवाब के बावजूद भी। बहुत लम्बी चौड़ी तफसील की बातें मैं कह सकता हूं पर अभी उन सब चीजों को यहीं छोड़ देता हूं।

मेरे माननीय मन्त्री महोदय ने एक दो चीजों का बहुत जोर से उल्लेख किया उसकी सफाई दे देना जरूरी है। पुरुषार्थियों पर दया ही दिखानी है, मैं तो कहता हूं कि यहां दया का भी क्या प्रश्न है, न्याय के राज्य में उनकी यह तो मांग है। पर उनके साथ बरताव कैसे हो रहा है यह आप देखें। जिनको जमीन अलाट की गई सोलह सोलह बीघा, मेरे माननीय मन्त्री महोदय जरा गौर से सुनें, तब तो भारत सरकार ने यह कह दिया कि अब तुमको जमीन मिल गई है इसलिये अगर बीस हजार से कम का तुम्हारा क्लेम है तो वह क्लेम पेश मत करना और भारत सरकार का ऐसा लिखित रूप से उत्तर भी है कि चूंकि बीस हजार से कम का क्लेम है और तुम्हें जमीन अलाट हो गई है इसलिये ऐसे क्लेमों पर विचार नहीं हो सकता। तो इससे यह समझा जावे कि क्लेम के एवज में जमीनें दी गई हैं और अब इसके दो साल बाद जमीनों की कीमतें वसूल करने का हुक्म निकला। नहीं निकला हो तो मन्त्री महोदय बता दें। वह कीमतें वसूल नहीं हुई हों यह बात दूसरी है। पर हुक्म निकला जरूर इस तरह का। और उनके ऊपर डिग्री हुई, कुर्कियां ले जाई गईं और जोर जबर्दस्ती भी की गई। और अब वह कह रहे हैं कि अब यह तय हो गया है कि उनके भी क्लेम विचार में लिये जावेंगे। तो यह अक्ल तो पहले ही आनी चाहिये थी।

श्री अमृतलाल यादव--माननीय उपाध्यक्षजी, इसमें अक्ल आने न आने का सवाल नहीं था। यह तो एक हिसाब किताब का सवाल था। स्टेज बाई स्टेज जैसे जैसे क्लेमों की गुंजाइश हुई वैसे ही लिये गये। इस तरह से इनका नम्बर बाद में आता था।

श्री हरिकृष्ण व्यास--फिर छिपाकर कहते हैं। यह साफ तौर से कहा गया था कि तुम्हारा बीस हजार से कम क्लेम था और तुम्हें जमीन अलाट हो गई है इसलिये ऐसे क्लेम कन्सीडर नहीं किये

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

जावेंगे । यह बात सही है या नहीं ? जिनके २० हजार से कम का क्लेम था उनको कहा गया कि तुमको जमीन अलाट हो गई है इसलिये क्लेम मत करो और यदि करोगे तो कैंसिल हो जायगा·········

श्री अमृतलाल यादव--मैं आपके शक को दूर करने के लिये एक बात साफ करदूं । जमीन किन लोगों को दी गई यह बता दूं । जमीन दो तरह से दी गई । एक तो उन लोगों को दी गई जो पाकिस्तान में खेती करते थे और उन्होंने यह कहा कि हमारे पास इतना बीघा जमीन थी इसलिये हमें भी खेती करने के लिये जमीन दी जाय । दूसरे आदमी इस तरह के थे जिनके पास पाकिस्तान में जमीन नहीं थी लेकिन उनको बसाना था इसलिये उनको जमीन दे दी गई । ५-७ साल उनको जमीन जोतते हो गये । अब उन्होंने यह कहा कि हमारी इतनी प्रोपर्टी थी जिसको हम छोड़ आये । या तो हमको उस प्रोपर्टी के एवज में रुपये दो या हमको जमीन का मालिक बनाओ । तो उनके क्लेम को सेटिसफाइ करने के लिये उनकी प्रोपर्टी की कीमत के बदले में दी गई । जिस आदमी का क्लेम है तो नेचुरली उसको कुछ देना वाजिब हो जाता है । जिस वक्त जमीन दी गई उस वक्त क्लेम का सवाल नहीं था । कुछ लोगों को जमीन पर बसाना वाजिब समझा । आज जब जमीन की कीमत का सवाल है तो उनके क्लेम को भी कंसीडर किया जाना चाहिये था इसलिये उनके क्लेम कंसीडर किये गये। यह बात पहले ही कही थी । क्लेमेन्ट या नोन क्लेमेन्ट का राइट ओफ प्रोपर्टी है उससे क्या नतीजा निकलना है·······

श्री भैरूं सिंह--इसकी फहरिश्त शायद नहीं है ?

श्री हरिकृष्ण व्यास--नतीजा निकलता रहेगा लेकिन मैं नाकाबलियत कबूल करने को तैयार हूं । मैं या तो समझ नहीं पा रहा हूं इसमें या तो मेरी गलती है या वे समझा नहीं पा रहे हैं । जिनका २० हजार से कम का क्लेम था उनको पहले यह कहा गया कि क्योंकि तुमको जमीन दे दी गई है इसलिये किस बात का क्लेम करते हो और जब क्लेम करने का टाइम बीत गया तो कहते हैं कि क्योंकि तुम्हारा क्लेम नहीं है इसलिये क्लेम किस बात का करते हो । यह बात कहां तक उचित थी ? या तो दोनों का क्लेम लेना चाहिये था । इस बारे में मैं गवर्नमेन्ट आफ इंडिया का ओर्डर पेश करने को तैयार हूं जिसमें लिखा है "Since land has been allotted to you and since your claim is less than Rs. 20,000/-, it will not be considered." जब इस रूप का ओर्डर एक बार गवर्नमेन्ट देती है कि क्योंकि तुमको जमीन एलोट हुई है और क्योंकि तुम्हारा क्लेम २० हजार से कम का है इसलिये उस पर विचार नहीं किया जायगा और आगे चल कर कह दिया कि क्योंकि तुम्हारा कोई क्लेम नहीं है इसलिये तुम से पैसा वसूल किया जायगा । पहले क्लेम की बात यह हुई कि पहले किसी को फांसी की सजा दे दी और फिर उसको कहा कि बिजली की कुर्सी पर बैठ कर मरो तो यह अंधेर कैसे चलता रहेगा। यदि सदन इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं करेगा तो कोई राहत नहीं मिलेगी । इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि यह पुनर्वास विभाग में जो गड़बड़ियें हो रही हैं वे सब कुछ ऐसे गैर जिम्मेदार समझ लीजिये या ध्यान न रखने वाले समझ लीजिये या भ्रष्टाचारी समझ लीजिये ऐसे चंद व्यक्ति कर रहे हैं । ऐसी स्थिति अब नहीं चलने देनी चाहिये।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

अभी हाउसिंग सोसाइटी के बारे में आपने कहा और यह कहा कि जो लोन हाउसिंग सोसाइटीज़ को दिया गया है वह तो वापिस वसूल होगा ही इत्यादि इत्यादि । अब उनकी जानकारी की कमी के बारे में मैं क्या कह सकता हूं ? लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो एग्रीमेन्ट हाउसिंग सोसाइटीज़ ने किया है उसके लिये गवर्नमेन्ट ने जो ड्राफ्ट बनाया है उसमें साइक्लोस्टाइल हुए एग्रीमेन्ट में स्याही से अक्षर बढ़ा दिये गये हैं और जो एग्रीमेन्ट साइन हुआ वह इस रूप में हुआ कि लास्ट इन्स्टालमेन्ट लेने के १ साल बाद रकम की वसूली शुरू होगी । अब किसी ने ३० हजार रुपयों का लोन लिया । उसमें से २९,६०० रुपये तो उसने ले लिये और बाकी के ४०० रु. नहीं लिये और इस तरह से लास्ट इन्स्टालमेन्ट बाकी रह गई । गवर्नमेन्ट कहेगी कि लास्ट इन्स्टालमेन्ट ले लो लेकिन वे लास्ट इन्सटालमेन्ट क्यों लेंगे क्योंकि लेने पर वसूली का मामला आ जायगा, इसलिये अब तक लास्ट इन्सटालमेन्ट ली नहीं गई है । कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके द्वारा उनको लास्ट इन्सटालमेन्ट लेने के लिये मजबूर किया जा सके । इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? मंत्रीजी ने तो कह दिया कि सोसाइटीज़ को जो लोन दिया गया है वह ठीक है लेकिन गलत एग्रीमेन्ट किसने किया ? गवर्नमेन्ट के लॉ डिपार्टमेन्ट ने एग्रीमेन्ट का जो ड्राफ्ट एप्रूव किया था उसको बदला गया । उसकी आज तक जांच की गई क्या ? चेन्ज कहां से आई, लॉ डिपार्टमेन्ट ने जो ड्राफ्ट भेजा था उस पर मंत्रीजी ने दस्तखत किये थे । एग्रीड ड्राफ्ट को साइक्लोस्टाइल करके एग्रीमेन्ट किया गया लेकिन बाद में तब्दीली किस कारण से हुई जिसके कारण वसूली रुकी हुई है और यह कहना कि वसूली हो जायगी, न केवल गलत है बल्कि तथ्य के परे है । जब कि जाने अनजाने इस बात को छिपाया जा रहा है तो जरूर मेरे कटौती प्रस्ताव को मंजूर करके मंत्रीजी के आलस्य को बदलना चाहिये बल्कि बदलना चाहिये मंत्रीजी की प्रोक्सी को । मंत्रीजी को ऐतराज नहीं होना चाहिये कि १०० रु. की कटौती को स्वीकार करलें और प्रोक्सी वाले मंत्रीजी को कह दें कि कटौती को स्वीकार करलो मैं दे दूंगा । यदि ऐसा होगा तो सदन की मंशा पूरी हो जायगी ।

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)—माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय मन्त्रीजी का पूरा उत्तर मैं सुन नहीं सका लेकिन दो बातें जो उन्होंने अंत में कहीं और जो मैंने बातें कहीं थीं उनसे जिनका संबंध था, वे बातें, मैं समझता हूं, मन्त्रीजी ने टालमटोल की दृष्टि से बताई थी। उनका कहना यह था कि जिन लोगों को हमने यहां बुलाकर बसाया है उनके लिये हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम उनके लिये खेती की भूमि की व्यवस्था करें, हम उनको आबाद करने के लिये मकानों की व्यवस्था करें। यदि आबाद होने में और अच्छी खेती करने में उनको पैसों की आवश्यकता है तो तकाबी वगैरा देकर उनकी इस आवश्यकता की भी पूर्ति करें। मैं सरकार की इस उदारता की दाद देता हूं। लेकिन सरकार को कम से कम इतना तो चाहिये था इस उदारता को बरतने में किसी प्रकार का कहीं डिस्क्रीमिनेशन न हो और यदि कहीं डिस्क्रीमिनेशन है तो इतना ज़रूर हो कि जिनके प्रति अन्याय हुआ है उनके प्रति न्याय तो अवश्य हो। लेकिन उनकी बातों से ऐसा पता चला कि वह अन्याय जिसको अन्याय कहते हैं या पाप कहते हैं उसको शायद न्याय बनाये हुए बैठे हैं और जो पाप है उसको शायद पुण्य समझे हुए बैठे हैं और इस कारण से कहा गया कि जो लोग पाकिस्तान चले गये थे और वहां से लौट कर वापिस आये उनको बसाने की भी हमारी जिम्मेदारी है, मन्त्रीजी ने यह बात बड़े जोश से कही और मुमकिन है जिम्मेदारी का काम भी बड़े जोश से पूरा किया और उसका नतीजा यह हुआ कि जो लोग पाकिस्तान

[श्री भरूंसिंह]

को चले गये थे वे वहां की यात्रा करके वापिस आये वे जमीनों पर काबिज हुए बैठे हैं, मकानों पर काबिज हुए बैठे हैं और जमीन की तरक्की करने का उनको मौका दिया गया। लेकिन जो लोग पाकिस्तान से निकाले गये, अपनी जमीन जायदाद वहां पर छोड़ कर आये इसलिये कि वे हिन्दुस्तान को अपनी मातृभूमि समझते थे, भारत के प्रति उनको श्रद्धा थी, वे पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते थे उनके साथ आपने हिन्दुस्तान में कैसा व्यवहार किया? उनको आपने कहा कि तुमको जमीनें छोड़नी पड़ेंगी। उनको क्लेम पेश करने का मौका नहीं दिया गया। अलवर जिले में उनसे जमीनें ले ली गई। अलवर के काले पहाड़ के इलाके में जहां १ बीघा मण अनाज पैदा नहीं होता है वहां भी उनसे जमीन ली गई।

मैं कहता हूं, आज यदि हम कोई बंध बनाते हैं या तालाब बनाते हैं और किसी की जमीन एक्वायर करते हैं तो उसे साथ साथ कम्पेन्सेशन देने की बात करते हैं। यदि हमने ऐसे लोगों की जमीनें छीनी हैं, जिन्होंने लोन्स लिए हैं, उन जमीन में तरक्की करने के लिये तकाबियां ली हैं और जो तीन चार साल से उन जमीनों पर काबिज हैं, और उन्होंने अपना सारा धन उस जमीन पर की तरक्की के लिये खर्च कर दिया है और उन लोगों से वे जमीनें महज इस वजह से छीनते हैं कि उन जमीनों के पहले के काबिज जो उन जमीनों को छोड़ कर पाकिस्तान चले गये थे वे पाकिस्तान से वापिस आ गये हैं तो मैं कहूंगा कि यह उदारता नहीं है, न्याय नहीं है बल्कि यह जलालत है और ऐसे लोगों के साथ जलालत है जिनके हृदयों में देश के लिये प्रेम है और उन लोगों के साथ यह जलालत उन लोगों के लिये की जाती है जिनके दिलों में देश के लिये कोई प्रेम नहीं। जब बंध और तालाब के लिये जमीन एक्वायर की जाती है तो उन लोगों को कम्पेन्सेशन दिया जाता है तो ऐसे लोगों से जिनके दिलों में देश के लिये प्रेम है उनसे आपने जमीनें छीनीं हैं, क्या आपने उनके सारे के सारे लोन्स माफ़ कर दिये हैं, पर बात दरअसल यह है कि आपने उनके लोन्स भी माफ नहीं किये हैं। उन्हें जो तकावी दी और और रियायतें दी वे क्या आपने माफ कर दी हैं, नहीं कीं। क्या उस जमीन की तरक्की करने के लिये उन लोगों ने अपना सारा धन और परिश्रम नहीं लगाया? पाकिस्तान से आये हुए लोगों को आपने उन लोगों से जमीनें छीन कर दी हैं और तकाबियां दी हैं पर उन लोगों को जिनके दिलों में देश के प्रति प्रेम है उन्हें कुछ भी नहीं दिया गया और कह दिया कि तुम लोग ये जमीनें छोड़ कर चले जाओ। जिन लोगों का अधिकार है उनका तो आपने अधिकार छीना है और जो लोग जबरदस्ती अनधिकार चेष्टा करते हैं उनके प्रति आप उदारता करते हैं यह कहां का न्याय है?

मैंने अलवर और भरतपुर के उन स्थानों को देखा है जहां आपने शरणार्थियों को नई जमीनें दी हैं, उन जमीनों पर शरणार्थी दस दस साल तक भी परिश्रम करेंगे तो भी कोई उपज नहीं कर सकेंगे। उस जमीन की आड़ में जहां पैदावार नहीं होती, हमारे मन्त्रीजी कहते हैं कि मन्दिर की जगह मन्दिर होंगे और मस्जिद की जगह मस्जिदें होंगी। मैं कहता हूं कि यहां मन्दिर मस्जिद का सवाल नहीं है रोटी का सवाल है। मन्दिर की जगह अगर किसी ने मस्जिद बना दी और उसकी जगह आपने अगर वापिस मन्दिर बना दिया जाय तो इससे इस मामले में कोई विशेष फर्क नहीं आता।

लोगों ने श्रम से पैसे खर्च कर के जमीनों को उपजाऊ बनाया है उसके लिये आपको क्लीयर कट ऑर्डर देना चाहिये था कि या तो ऐसे व्यक्तियों को जिनको इस तरह से बेदखल किया गया है, उनके सब कर्ज माफ कर दिए जायं या उनको उसी जमीन पर काबिज रखा जाय या उन्हें तकाबी दी जाय।

[श्री भैरूसिंह]

जोधपुर से आने वाले माननीय मित्र कटौती के प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे तो मन्त्रीजी ने बीच में खड़े हो कर कहा कि जिनके क्लेम्स के बारे में सरकार ने आज्ञा दे दी थी कि २०,००० से नीचे के क्लेम्स हैं वे नहीं माने जायेंगे। मेरे पास भी वह कोरेस्पोन्डेन्स है, ट्रू कापी उन सब पर लिखा हुआ है, मन्त्रीजी की निगाह में हो सकता है शरणार्थियों ने फर्जी कोरेस्पोन्डेन्स तैयार करली हो, वे अपना रेकर्ड देखलें, उनको देखने को मिलेगा कि राजस्थान की सरकार ने भारत सरकार को लिख कर दिया है कि राजस्थान में २०,००० से कम के क्लेम्स के ऐसे कोई व्यक्ति नहीं हैं जिनको लैन्ड एलाट नहीं की गई हो। इस प्रकार की रिपोर्ट राजस्थान सरकार द्वारा भारत सरकार के पास जाने के बाद भारत सरकार ने निर्णय दिया है कि २० हजार से कम के क्लेम्स वालों के क्लेम्स एडोप्ट नहीं किये जायं। यह किसने गलती की है राजस्थान सरकार ने या भारत सरकार ने? इसमें किसी को कोई शक हो तो मैं उनकी कोरेस्पोन्डेन्स पढ़ कर सुना सकता हूं। इस सूरत में हमें सोचना पड़ेगा कि एक तरफ तो उनके क्लेम्स नहीं मानते, दूसरी तरफ उनको जमीनें नहीं देते और जिन जमीनों पर वे लोग आबाद थे उनको गैर आबाद करते हैं, जिनके साथ न्याय किया जाना चाहिये उनके साथ अन्याय करते हैं यह सरासर अन्याय है। इस पर भी सरकार समझ रही है कि हम न्याय कर रहे हैं, तो इस सरकार का भविष्य क्या होगा यह तो भविष्य ही बतायेगा।

दूसरा प्रश्न कोआपरेटिव सोसायटीज के बारे में आता है। मन्त्री महोदय ने तपाक से इस मूड़ में कहा कि यदि उनको जानकारी करादी जाय तो जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनको पांच मिनिट में ही फांसी पर लटका दिया जायगा।

पर, बात ऐसी नहीं है। राजस्थान सरकार के मन्त्री होने के नाते पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की तीसरी रिपोर्ट उनके पास भी आई होगी, यदि कोई दूसरे माननीय सदस्य उस रिपोर्ट को न पढ़ें तो मर्जी है, परन्तु जो राजस्थान सरकार के शासन के एक विभाग को हाथ में लिए हुए हैं उनका फर्ज हो जाता है कि वे पी. ए. सी. की रिपोर्ट को पढ़ें, उस कमेटी ने जो सिफारिशें की हैं उनको पढ़ें और उन सिफारिशों के अनुसार अपने नीचे के अधिकारियों को काम करने का आदेश दें और उनके विभाग में क्या क्या खामियां हैं उनको देखें। पर ऐसा दिखता है पी. ए. सी. ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसको पढ़ने का काम मन्त्रीजी का नहीं उनके सेक्रेटरीज का है जिनकी कमेटी यहां एग्जामिन करती है वे सेक्रेटरीज ही सारी चीजों का उल्लेख करते हुए मन्त्रीजी को जानकारी के लिए बता दें। जिन कोओपरेटिव सोसाइटीज के बारे में वह कह रहे थे कि उनको जानकारी नहीं है वे इस रिपोर्ट के पेज ६१ पर पैराग्राफ़ १, २ और ३ को पढ़ें:—

"In this case three loans amounting to Rs. 34,660/-, Rs. 46,708/- and Rs. 5,000/- were advanced to three co-operative societies the first two for better farming and the third for a dairy during the period from October, 1949 to March, 1952. The important irregularities noticed by the Audit in the accounts of these loans are enumerated below:—

(1) In the case of better farming societies loans were sanctioned to individual members of the societies to avoid the sanction of Government which was necessary as the total amount paid to each society exceeded Rs. 25,000/-.

[श्री भैरूंसिंह]

(2) In the case of one of tho better farming societies, the bond from the society duly signed by the President and the Secretary had not been obtained till December, 1953 and only the individual members had executed the bonds."

आप जो इर्रेग्युलेरिटी की बात करते हैं, मैं सारी बातें नहीं पढ़ना चाहता पेज ६१ से ६२ पेज के १२५ पैराग्राफ़ तक पढ़ जाइये, इसके बाद भी आपके ध्यान में नहीं आये तो आप मुझे मौक़ा दें कि इसके बारे में जो इर्रेग्युलेरिटीज़ हुई हैं उनको आपके ध्यान में लाऊं, विधान सभा का समय समाप्त हो उस समय या जिस समय भी आप बुलाना चाहें बुलाएं, मैं आऊंगा और जो जो इर्रेग्युलेरिटीज़ इन सोसाइटीज के बारे में हुई हैं।

केवल यह कह कर कि मुझे मालूम नहीं था इस बात को टालना चाहते हैं, मालूम है पर करना नहीं चाहते और इसके ऊपर अपना पुट लगाना चाहते हैं, इस प्रकार का रवैया मन्त्रियों के लायक नहीं। यदि फिर भी करते हैं तो हमारा दुर्भाग्य है, मैं इन सारी दुर्भाग्यपूर्ण बातों के आधार पर जो अतिरिक्त मांग मांगी गई है उसको मानने को तैयार नहीं हो सकता और अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव श्री एच. के. व्यास ने प्रस्तुत किया है स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव श्री भैरूंसिंह ने प्रस्तुत किया है, स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो अधिक अनुदान की मांग संख्या ६६, शीर्षक ८२—राजस्व लेखे से बाहर राज्य के अन्य निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा के सम्बन्ध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९५३ को समाप्त हुये वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को रुपये १८,६६,१३३ तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

श्री उपाध्यक्ष—श्री भोगीलाल पंड्या।

अधिक अनुदान की मांग संख्या ६७–असाधारण व्यय

श्री भोगीलाल पंड्या–उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अधिक अनुदान की मांग संख्या ६७, लेखे का शीर्षक ६३ असाधारण व्यय के सम्बन्ध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९५३ को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को रुपये ४४,५८० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री उपाध्यक्ष--Motion moved. Shri Bharion Singh.

(अनुपस्थित)

श्री एच. के. व्यास।

श्री एच० के० व्यास--माननीय उपाध्यक्ष, जो मांग प्रस्तुत हुई है उसमें मेरा यह प्रस्ताव है कि मांग संख्या ६७, विषय ६३ असाधारण खर्च में १००) रु० की कटौती करदी जाय और इसका कारण यह है कि यह नागरिक रसद विभाग है, इसका कार्य बहुत ही अनियमित रहा है।

मांग के सिलसिले में जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है वह इस प्रकार का है माननीय उपाध्यक्ष, अनुमान था कि खर्च में कमी हो जावेगी लेकिन वह अनुमान पूरा नहीं हुआ और साल के अन्त तक मालूम नहीं हुआ कि कमी हुई या नहीं बाद में मालूम हुआ। नतीजा यह हुआ कि जितना धन विधान सभा ने स्वीकार किया उससे कहीं ज्यादा खर्च इस मांग के सिलसिले में कर दिया गया।

अब यदि अगर कोई विभाग अपना अधिकृत बजट से ज्यादा खर्च कर देता है अथवा जितना मन्जूरी विधान सभा देती है उससे ज्यादा खर्च कर देता है तो यह एक तो पहले गलती हुई कि ज्यादा खर्च क्यों किया और यह दूसरी गलती है और यह बहुत बड़ा खर्चा इसमें भी मेरे खयाल से दो राय नहीं हो सकती।

(श्री जवानसिंह, सभापति, पदासीन)

केवल इतनी ही गलती हो तो शायद कोई यह सोचे कि यह गलती हुई है रियायतन छोड़ दी जावे। लेकिन इस नागरिक रसद विभाग की हालत यह है कि केवल इतनी ही गलती नहीं है। यह तो राजस्थान की रेवेन्यू का सबसे बड़ा लीकिंग होल है। जैसे किसी टैंक में सुराख हो जाए और उसमें से भरा हुआ पानी खाली होता जावे वैसे ही राजस्थान की धनराशि को और राजस्थान के लोगों द्वारा दी गई धनराशि बगर किसी कारण के, बगैर कोई प्रोवीज़न के खाली हो जावे, ऐसी स्थिति पैदा करने वाला यह विभाग है। मेरा जहां तक अनुमान है, मेरे पास जहां तक जानकारी है, ऐसी स्थिति विभाग की है कि जितना अनाज खरीदा गया और उधर इधर भेज कर उसको बेचा गया था, किताबों में जो आंकड़े दर्ज हैं उनके और वास्तविक अनाज कितना बचा हुआ है उसका मिलान कुछ दिनों पहले किया गया था, नाज तो था ही नहीं बेच बाच कर स्टोक तो जीरो कर दिया गया था लेकिन किताबों के मुताबिक ९६ हजार मण यानी लाख मन तक आंकड़ा पहुंचता है यह आप देख लीजिये। ५, ७ या १०, २० मन हो तो अलग बात है। लाख मन अनाज किताबों में दर्ज है लेकिन वास्तव में पता नहीं कि वह कहां है। यह जो जादू करने का इतना बड़ा ज्ञान नागरिक रसद विभाग को प्राप्त हो गया कि लाखों मन अनाज किताबों में उड़ा कर कहां चलाया। गोदामों में नहीं गया। यदि ऐसे विभाग की फज़ूल खर्ची को प्रोत्साहन दिया जावे तो कहां तक उचित है? माननीय मन्त्री महोदय के ध्यान में यह बात आई होगी या नहीं। लेकिन आनी चाहिये कि इस विभाग में किसानों से एक नियत मूल्य पर नाज लिया गया, जिसे प्रोक्योरमेन्ट या लेवी की स्कीम कहते हैं और वह मान लें कि १० रु० मन के हिसाब से लिया गया और उसको सरकार ने

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

१५ रु० मन से बेचा यदि सरकार ने ११ रु० मन लिया और १५) रु० मन या १६) रु० मन बेचा तो अगर मान लीजिये कि उस विभाग में १०) रु० मन के या ११ रु० मन के हिसाब से अनाज लिया और उस पर खर्च कितना किया गया और उसकी आमदनी कितनी होनी चाहिये। यदि बड़ी बड़ी तनख्वाह पाने वाले अधिकारी जैसे डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, सेक्रेटरी, मिनिस्टर साहब आदि की तनख्वाह और उनका भत्ता और मकान किराया और अनाप सनाप उनकी मोटरों का खर्चा, जीपों का खर्चा क्योंकि जीपों की कभी लोग बुक नहीं रखी गई, वह सारा खर्चा जोड़ भी दिया जावे तो भी १।। या २ लाख का घाटा तो इस सीगे में ही होगा ऐसा मेरा अनुमान है।

एक तरफ एक लाख मन अनाज का पता नहीं और दूसरी तरफ सारा हिसाब किताब लगालें तो भी अंत में करीब करीब १।। करोड़ का घाटा दिखा कर बैठ गये और वह घाटा कोई इस कारण से नहीं हो गया कि धान को कहीं विदेशों से ऊंची कीमत से मंगाया गया हो। उसके लिये तो २२ लाख तो पहले ही राइट ओफ कर लिये गये। अलग से यह १।। या दो करोड़ का घाटा अलग। इसके अलावा नाज जिन बोरों में आता है उनका तो कोई हिसाब ही नहीं है। उसके तो कहीं टाट फाट बना लिये गये हों। क्या बन गया वह तो माननीय मन्त्री महोदय जानते होंगे। लेकिन गनी बेग्ज का कोई एकाउन्ट मौजूद नहीं है।

जिस समय इसका एकाउन्ट चल रहा था उस समय यह काफी मंहगे भाव में मिलते थे। एक बेग का १२ आना या एक रुपया हो गया था। अगर कोई थोक भी लेता तो ५५ रु० का भाव था इस विभाग ने ५५ रु० ६ आ० में थोक के हिसाब से बेचा है। यह रियायती दर पर बेचा और अपने विशेष कृपापात्रों को दिया गया। लाखों बोरे थे उनका क्या हुआ? बोरे तो कोई ऐसी कोमोडिटी नहीं है जो रखी रखी सूख जावे। वह भी गया। अगर यह सब का मिलान करें तो मेरा अनुमान है कि ५ करोड़ रुपये का घाटा राजस्थान सरकार को यह विभाग दे बैठा है। और जिसके लिये भारत सरकार ने अपने विभाग के लिये स्टेंडर्ड खर्च का मुकर्रर किया था २.५ परसेन्ट उसकी बजाय राजस्थान में खर्चे की लिमिट ३.५ मुकर्रर की है। अगर कोई मामूली व्यापारी होता उसको भी यदि एक परसेन्ट का मार्जिन मिल जाता तो भी वह बहुत बड़ी रकम मुनाफे में कमा लेता। लेकिन यह तो सरकार का काम है जहां मामूली व्यापारी एक परसेन्ट पर लाखों रुपया कमा सकता है। जहां भारत सरकार ने खर्चे के लिये २.५ परसेन्ट रखा वहां हमारी राजस्थान सरकार ने साढ़े तीन परसेन्ट खर्च के लिये रखा इतना होने के बावजूद भी ५ करोड़ रुपये का घाटा? अगर ढ़ाई परसेन्ट का तखमीना लगाया जाय उसमें डेढ़ करोड़ और जोड़ दिया जाय। और उस पर भी लाखों मन अनाज गायब। गनी बेगज़ का कोई हिसाब नहीं और खर्च साढ़े तीन परसेन्ट के हिसाब से गिना जाय तो भी डेढ़-ढ़ाई करोड़ का घाटा। इस प्रकार पहले तो फिज़ूल खर्ची करली जाय और फिर विधान सभा में जायें उसको पास कराया जाय। जिस विभाग को यह अधिकार दिया गया था कि वह किसानों के पास जाकर जनता के हित के नाम पर सस्ता अनाज उनसे खरीदें ताकि लोग भूखों न मर सकें उस किसान पर विभाग ज़बरदस्ती कितनी ही करे। उनसे नाज लिया गया सार्वजनिक हित के नाम पर लिया गया उस अनाज का इस प्रकार का इन्तज़ाम रहा कि उसमें से लाख मन का अनाज का तो पता ही नहीं। मैं माननीय मन्त्रीजी

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

से पूछना चाहता हूं लेवी जिसने नहीं दी, उस सवाणा के किसान पर गोली चलाई गई लेकिन दूसरी तरफ़ जिन लोगों ने अनाज का ग़बन किया उनको मौत की सजा तो नहीं, कम से कम कुछ तो सजा देते, कम से कम उनको मामूली सजा देने के बारे में तो कदम उठाया जाता। मैं तो यह चाहता हूं ऐसे व्यक्तियों को पब्लिक स्क्वायर पर लेजाकर शूट कर दिया जाना चाहिये, ताकि इस प्रकार की हरकतें करने वालों को पता चल जाय।

केवल इतना ही नहीं हर चीज में अनियमितता बरती गई। उसके कारण फिज़ूल खर्ची बढ़ी, प्राइवेट पार्टीज से जो रुपया वसूल करना था वह भी आज तक बकाया पड़ा हुआ है। इसके आंकड़े आप फ़ाइनेन्स डिपार्टमेन्ट के अनुसार देखें तो आपको पता चलेगा कि ये आंकड़े चेयरमन महोदय, ऐसे सुन्दर आंकड़े हैं जो द्रोपदी को चीर की तरह बराबर बढ़ते ही जा रहे हैं। कभी खत्म नहीं होते। इस साल यदि किसी प्राइवेट पार्टी में एक लाख रुपया है तो अगले साल चल कर वह दो लाख हो जाता है। किसी से १०-१२ हजार रुपये वसूल करने की ही बात नहीं बल्कि लाखों रुपया वसूल करना है। किसी के साथ एग्रीमेन्ट कुछ होता है वसूली नहीं होती इस प्रकार ऐसी कई चीजें हैं जिनके कारण आज तक वह पैसा वसूल नहीं हो पाया है, इस प्रकार यह एक भयंकर और खोफनाक कार्य है, जिसे कोई व्यवस्था पसन्द करने वाला व्यक्ति कभी पसन्द नहीं करेगा। इस प्रकार की अव्यवस्था से केवल जनता के पैसे का दुरुपयोग ही नहीं हो रहा है बल्कि इससे जनता के दिलों में ग्लानि का वातावरण बनता जा रहा है। ऐसी स्थिति में माननीय मंत्री महोदय को ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करना चाहिये। इस प्रकार की अनियमितता और गड़बड़ी के लिये हमारा विभाग जिम्मेदार है और वे खुद भी जिम्मेवार हैं। इस जिम्मेवारी से उनको परे हटना चाहियें। इसके लिये उनको इस प्रकार अतिरिक्त मांग प्रस्तुत नहीं करनी चाहिये। लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे वे तो अपने राज्य में इस प्रकार की अव्यवस्था को खुली छूट दे रहे हैं। इसी अनियमितता को लेकर यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है और इस पर अपनी नापसन्दगी जाहिर करने के लिये मैंने अपना कटौती का प्रस्ताव रखा है इसको स्वीकार किया जावे। इन शब्दों के साथ मैंने जिन बातों का अपने भाषण में उल्लेख किया है, उनका उत्तर तो माननीय मंत्री अवश्य देंगे, न केवल इधर उधर की चिकनी चुपड़ी बातें कह कर असलियत को ढाकने की कोशीश करें। इन शब्दों के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव सदन को स्वीकृति के लिये प्रस्तुत करता हूं।

(श्री भैरूंसिंह के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री सभापति (श्री जवानसिंह)--The Minister-in-charge to reply.
You (Shri Bhaironsingh) were called twice. You have lost the right.

श्री भैरूंसिंह--मैं अपने कट मोशन को मूव करने का राइट तो खो चुका हूं किन्तु जो कटौती का प्रस्ताव श्री एच. के. व्यास ने रखा है, उसका समर्थन तो कर सकता हूं।

श्री सभापति--आप एच. के. व्यास के प्रस्ताव का समर्थन करना चाहते हैं या विरोध ?

श्री भैरूंसिंह--मैं उसके समर्थन में अर्ज करना चाहता हूं।

श्री सभापति—अच्छा कहिये ।

श्री भैरूं सिंह (दांता रामगढ़)—माननीय चेयरमेन, जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सप्लाई विभाग के सम्बंध में कटौती का प्रस्ताव रखते हुए कई ऐसी बातें बताई । अगर उन बातों को और सरकार कुछ भी ध्यान दे तो मैं निश्चित समझता हूं कि एक चपरासी से लेकर मंत्री महोदय तक सारे के सारे बरखास्त करने के लायक हैं । सभापति महोदय, जिन बातों की चर्चा आये दिन हमें सुनने को मिलती है और जो बातें यहां कही जाती हैं अगर उन सब बातों को एकत्रित किया जाय और उस पर इम्पार्शियल इन्क्वायरी बैठायी जाय तो हम इस नतीजे पर अवश्य पहुंचेंगे, कि ऊपर से लेकर नीचे तक जितनी भी अधिकारी हैं वे सारे के सारे इस विभाग में हुए करोड़ों रुपये के घोटाले में सम्मिलित हैं और उसके लिये जिम्मेदार हैं । माननीय सभापति महोदय, इसमें दो प्रकार के घोटाले हुए एक तो सरकारी रकम का और दूसरा जनता के पैसे का । जहां तक सरकारी रकम के घोटाले का प्रश्न है, जैसा कि माननिय मित्र ने बताया कि उसके वाउचर्स तक नहीं मिल रहे हैं और जिन लोगों से रुपये लेने हैं, उनके एग्रीमेंट नहीं हैं । वाउचर्स नहीं मिल रहे हैं रुपया जिनको दिया उसकी रसीदें नहीं मिल रही हैं और कितनों के एग्रीमेंन्ट भी नहीं मिल रहे हैं उसके कारण उन पर किसी प्रकार का जुर्माना नहीं हो सका, इतना होने पर भी अगर कोई यह कहे कि डिपार्टमेन्ट का काम शुरू से अच्छा नहीं हो रहा तो यह हमारी बदकिस्मती होगी ।

लेकिन इस प्रकार का घोटाला सरकारी रुपयों में ही नहीं हुआ । प्राइवेट यदि किसी और व्यक्ति ने भी सरकार के इस सिविल सप्लाई विभाग में रुपया जमा करा दिया है तो उसका भी दुरुपयोग इसी प्रकार से हुआ है । मुझे याद है उन दिनों में राजस्थान के अन्दर प्रोक्योरमेन्ट स्कीम नाम की स्कीम थी और उसके मातहत स्थान स्थान पर कन्ट्राक्टर्स रखे जाते थे । लेबर कन्ट्राक्टर्स । और उनको एक फिक्सड रेट के आधार पर कुछ धनराशि मन्जूर की जाकर देने के लिये सरकार ने एक मावदा कर रक्खा था । पर राजस्थान का कोई ऐसा हिस्सा नहीं होगा जिसमें प्रोक्योरमेन्ट की स्कीम चालू थी और उसमें आज उन लोगों को अपनी लेबर कन्ट्राक्ट की आमदनी होनी चाहिये थी, वह रुपया सरकार ने उनको दे दिया । मैं सीकर जिले के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने एक बार नहीं दो तीन बार दो तीन व्यक्तियों का केवल यही उदाहरण लेकर मन्त्रीजी से लेकर सिविल सप्लाई के छोटे से छोटे कर्मचारी को इस बात की सूचना दी है कि सरकार के जिम्मे सीकर जिले के कन्ट्रेक्टर का बहुत रुपया बाकी पड़ा है और उसके बारे में यह भी शिकायत हो रही है कि यह रुपया तुम्हें भुगता दिया गया है, हालांकि लोगों को मिला नहीं, मन्त्रीजी के कहने पर इस बात को लिख कर भी मैंने दिया है । इसकी रसीद भी मेरे पास है । सूचना भी आई है कि कार्यवाही हो रही है, पर खेद है कि रुपयों के भुगतान की बात नहीं, पर जिन रुपयों के बारे में इस बात का डर था, कि वह रुपया उन कन्ट्राक्टरों को लौटा देने की बात कही जाती थी और जो वास्तव में उनके पास नहीं पर दूसरों को मिल गया । उनके बारे में भी कोई कार्यवाही की गई हो ऐसी सूचना मेरे पास नहीं आई । ऐसी स्थिति में सिविल सप्लाई को और रुपया देने की बात पर तो मैं समझता हूं कि यह हमारे लिये बहुत ही शर्मनाक चीज होगी । हम किसी भी रकम को मन्जूर करें, उनके खर्चे पर हम भले ही मोहर लगावें, आपका सदन में बहुमत है आप मोहर लगा सकते हैं पर हमें यह तो अधिकार है कि वह खर्चा किस प्रकार हुआ है यह तो जानें । करोड़ों रुपयों के अनाज की खपत किस तरह से हुई, सरकार किस तरह से फूड ग्रेन इकट्ठा करके दे

[श्री भैरूंसिंह]

रही है, वैरीफिकेशन होता है तो हजारों मन अनाज की कमी । कौन ले गया ? पूछा जाता है तो कह दिया जाता है दीमक खा गई । अनाज में कीड़ा पैदा हो गया जिसके कारण अनाज बिल्कुल नष्ट हो गया । पर यह तो जांच करें कि इतना दिन पड़े रहने के कारण कितने अनाज की खपत सड़ने और दीमक खाने से हो सकती है और वह भी किस अफसर की गफलत से होती है या हुई है । पर इसकी कोई जांच नहीं । अगर सारा अनाज खत्म हो गया तो हो गया । हमारे मन्त्रियों का तो बस इतना भर काम है कि कुछ भी उन्होंने किया हो, गलत सलत किया हो, कोई जांच नहीं करना । जो उन्होंने कह दिया मान लिया और उस गलत सलत पर मोहर लगा दी ।

मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का प्रयत्न किस तरह से एक अधिकारी को केवल बचाने की खातिर हो सकता है और जिसमें जनता का लाखों रुपया इन्वाल्व है, उसके लिये आपने क्या व्यवस्था की ? इसका कोई जिक्र आता है तो उसका कोई उत्तर नहीं । मैं कहता हूं कि पता क्यों नहीं लगाया जाता । पहले के जितने सप्लाई कमिश्नर थे उनसे पूछा जावे । आज कहा जाता है उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं रिकार्ड अवेलेबल नहीं । और यह हालत एक रुपये के बारे में हो तो मान भी लें, १० हजार का मामला हो तब भी मान लें, पर जहां लाखों रुपयों का हिसाब हो वहां कैसे मान लें कि रिकार्ड अवेलेबल नहीं, उनके कोई वाउचर नहीं ? और आप इतनी बड़ी रकम के लिये कहते हैं कि चूंकि इनके हिसाब के वाउचर नहीं हैं इसलिये यह रकम राइट आफ कर दी जावे । इस रकम को खतम कर दिया जावे और इसलिए कि इसके वाउचर नहीं मिल रहे तो यह किसी भी सरकार के लिये शर्मनाक चीज है । इससे बढ़कर शर्मनाक चीज और किसी भी सरकार के लिये और नहीं हो सकती । वाउचर तो सबसे बड़ी चीज है । यदि रुपया देते हैं तो उसकी रसीद भी नहीं, वाउचर भी नहीं और कुछ नहीं और फिर माननीय मन्त्री महोदय इस बात की चेष्टा करते हैं, उन लोगों के कहे कहे कि इस को राइट आफ कर दिया जावे बिना जांच के ही । और ये जांच कराने की हिम्मत नहीं करते ऐसी क्या बात है ? इसलिये मैं समझता हूं कि सरकार का यह रवैया बहुत ही निन्दनीय है । इसके विपरीत इस महकमे में देखा जावे तो सबसे ज्यादा अकाउन्ट्स मेन्टेन करने की गड़बड़ी है । अकाउन्ट नहीं मिलते, फिजिकल वैरीफिकेशन समय पर नहीं होता, अकाउन्ट को चैक कोई नहीं करता, ऑडिटिंग नहीं होता, जो सामान बेचते हैं उसके लिये कोई नियम नहीं कि किस प्रकार से उसको बेचना चाहिये । मर्जी आई उसी तरह से बेच दिया, अगर अनाज के बेचने की बाबत आई तो जयपुर के दो चार व्यापारियों को पूछकर उन्हींको बेच दिया गया, अब वे कुछ भी रेट बतावें, कौन इसकी छानबीन करे कि बाजार का रेट क्या है, हमारा माल ऊंचे से ऊंचे भाव पर किस तरह से बेचा जा सकता है इसकी किसी को परवाह नहीं । इसी तरह से कोटा में अनाज बेचा गया, एक दो व्यापारी को पूछ लिया और बेच दिया और उन्हींके बताये भाव पर उनको बेच दिया । अगर कभी मजबूरी से टेन्डर भी इन्वाइट करना हुआ तो ऊपर जाकर वहां भी गड़बड़ी हो जाती है । तो इस प्रकार की गड़बड़ी जिस महकमे में आम चीज बन गई हो तो उस महकमे का बड़ा ही जटिल और चिन्ता का विषय है । इस विषय पर जरा भी विचार करेंगे तो इस प्रकार की धनराशि स्वीकार करने की नौबत नहीं आ सकेगी । हम इस प्रकार के बड़े भारी घोटाले में फंसे हैं । अब वे अगर जांच के लिये यह कह दें कि कोई एक दो व्यक्ति भाग गये हैं तो मैं कहता हूं कि इसमें एक दो वही व्यक्ति जिम्मेदार नहीं हो सकते और भी व्यक्ति हैं जो आपके

[श्री भैरूंसिंह]

सामने हैं और आपके नौकरी में हैं, भले ही वे दूसरे किसी महकमें में हों, पर हैं आपकी नजर में । आप उनसे पूछ सकते हैं, उन्हें जांच के कटघरे में खड़ा कर सकते हैं और वे तो आज इस स्थिति में भी हैं, कि आप उनसे पूरा का पूरा पैसा भी वसूल कर सकते हैं । पर सभापति महोदय, वे आदमी ऐसे हैं जिन पर कोई आंख भी नहीं उठा सकता, जिनका नाम लेना भी सरकार अधिकारी के लिये गुनाह है और इसलिये गुनाह है कि वहां पर जातिगत भावना आ जाती है । मैं कहता हूं आप के इस सारे घोटाले के लिये आपके भूतपूर्व डाइरेक्टर आफ सिविल सप्लाईज जिम्मेदार हैं । वे आजकल भी सरकार के डाइरेक्टर आफ ट्रान्सपोर्ट हैं, उन्हें जिम्मेदार ठहराया जावे, उन्हें जांच के कटघरे में खड़ा किया जावे, इस सारे घोटाले के लिये जिम्मेदार वे हैं, अगर आपकी हिम्मत नहीं है उनको जिम्मेदार ठहराने की तो असेम्बली के मेम्बरों का सहयोग लें आप । कैसे नहीं मालूम पड़ता है इस सारे घोटाले का और इसके लिये जिम्मेदार व्यक्ति का । इस घोटाले की सारी जिम्मेदारी में से अधिकांश जिम्मेदारी इन डाइरेक्टर महोदय पर आती है । पर उनके ऊपर एक्शन लेने की हिम्मत आज की सरकार में नहीं है क्यों नहीं है यह स्पष्ट है । कुछ लोगों का संसर्ग उनसे लगा हुआ है, उनका कुछ पर आधिपत्य जमा हुआ है, उन पर कहीं कुछ आंच न आ जावे, ऐसी समय समय पर उनके लिये व्यवस्था कर दी जाती है उन लोगों द्वारा । यदि उनके स्थान पर ऐसा आदमी होता जिसको आज की सरकार अपना विरोधी समझती या जिनका किन्हीं व्यक्तियों पर कोई आधिपत्य नहीं रहता तो उनका बनीपार्क में बंगला बना हुआ है वह भी नीलाम हो जाता । उनके जो और भी मकान बने हुए हैं, कई जगह जगह जो उनके इन्वेस्टमेन्ट हैं उनको भी यह सरकार कभी का फोरफीट कर चुकी होती । नाम मैं उस व्यक्ति का लेना नहीं चाहता यहां पर । तो इसलिये कि चूंकि उनका कुछ ऊंचे व्यक्तियों से संसर्ग है, उन पर आधिपत्य जमा हुआ है इसलिये उन्होंने जो गुनाह कर दिया वह उनको सारा का सारा माफ । इस तरह से ऐसे जघन्य अपराधियों को गुनाह माफ करना सरकार के धन का तो दुरुपयोग है ही पर जनता के धन का भी भयंकर दुरुपयोग है । तो मेरा यह निवेदन करना है कि इस तरह से सरकार के और जनता के धन का जो दुरुपयोग करता हो उसका किसी तरह का विचार न करते हुए उसे एग्जाम्पलरी पनिशमेन्ट देकर जिस तरह से अच्छी व्यवस्था हो सकती हो, वह करनी चाहिये । इन शब्दों के साथ जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य के कटौती प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं ।

श्री भोगीलाल पंडया (रसद, वाणिज्य व उद्योग मन्त्री)--अभी अभी मेरे माननीय मित्र ने बहुत सी बातें कह डालीं । बात थी ३१ मार्च, ५३ को समाप्त होने वाले असाधारण व्यय के सम्बन्ध में कन्सोलिडेटेड फण्ड में से ४४,५८०) रुपयों की मांग की थी । यह खर्चा एक वर्ष का था और वह इसलिये था कि राजस्थान में बहुत से जो रसद विभाग के कर्मचारी थे, उनको अलग नहीं किया गया । जहां वहां उपयुक्त स्थान मिला उनको यथास्थान नियुक्त किया गया । पर प्रायः ऐसा हुआ करता है कि ऐसे समय म कभी कभी ठीक समय पर उपयुक्त स्थान खाली नहीं भी मिलता । दूसरा यह भी था कि विभाग को वाइन्ड अप करने का वह समय था इसलिये उस सिलसिले में भी सारी फाइलें ठीक करना, जो सामान जहां था उसको ठीक करना था, अनाज या जो दूसरा सामान था उसमें से अनाज को बेच देना और दूसरे सामान को ठीक हिसाब किताब कर लेना था, इसके लिये एक अन्दाज किया गया था और उसके हिसाब से इस ४४ हजार रुपये की और मांग की गई थी; मेरे खयाल

[श्री भोगीलाल पण्ड्या]

से तो यह ४४,५०० रुपया ज्यादा खर्च नहीं है । पर यहां पर तो जैसा पहले भी इस सदन में कई बार कहा गया है, एक ही बात बार बार दोहराई जाती है और उसमें यह सब कुछ पहले बताया जा चुका है । २२ रियासतों का बीस वर्ष का हिसाब है और इस सारे में जो ६६ हजार मन की कमी बतलाई ६६,६१५ मन सैंतीस सेर ग्यारह छटांक की उसी की दुहाई दी गई है। असल में यह इस तरह से हुआ है । एक एक बरस में ही यह सारा अनाज कम हुआ है । यदि वे अपने कहने के साथ साथ यह भी कहते कि यह भिन्न रियासतों का है । पुराने राजस्थान के बाद में महान् राजस्थान बना । यह सब सारा जितना हिसाब आया है, जितना अनाज प्रोक्योर किया गया है उस सारे हिसाब में से है, तो मेरे खयाल से सुनने वालों पर असर पड़ता कि कोई ज्यादा अनाज कम नहीं हुआ है ।

आपने यह भी बताया कि अनाज तो प्रोक्योर किया गया है, १० रु० के भाव से और बेचा गया है १६ रु० के भाव से, तो मेरे खयाल से यह आपके ध्यान में ही होगा लेकिन गवर्नमेंट के रेकार्ड में तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि १० रु० के भाव से अनाज खरीद कर १६ रु० के भाव से बेचा गया हो ।

आपने यह भी बताया कि ५ करोड़ का घाटा होगा । न मालूम आप कहां कहां से पता लगाया करते हैं । अभी तो हिसाब ही पुरानी रियासतों का पड़ा हुआ है, उसको ठीक किया जा रहा है । सब का हिसाब एकजाई करके बता दिया है कि ५-६ करोड़ का घाटा है । यह आपका कहना ठीक नहीं है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कितने का घाटा है ?

श्री पंड्या—मैंने आपको बताया कि पुरानी रियासतों का बीसों वर्षों का हिसाब होगा, वह हिसाब मिल जायगा या पूरा पूरा हिसाब होगा, तभी बताया जा सकता है कि कितना घाटा है । आज तक इतना किया जा सका है कि जब से राजस्थान बना है, तब से जो हिसाब है वह हिसाब लगभग पूरा हो चुका है और कुछ समय के बाद में बताया जायगा यदि कोई घाटा हुआ है तो · · · · · ·

श्री व्यास—राजस्थान बनने के बाद कितना घाटा हुआ है ?

श्री पंड्या—यह भी कहा गया है कि कई जगह जब अनाज बेचने को था तो केवल १-२ व्यापारियों को ही बुलाया गया है और बेचा गया है । न मालूम इस तरह की बातें आप क्यों कह जाते हैं ? बाकायदा जितना भी अनाज बेचा गया है उसके लिए लोगों से टेन्डर मांगे गये हैं । सब जगह के व्यापारियों को सूचना दी गई है और जो व्यापारी आये हैं तो ऐसा कभी संभव होता है कि टेन्डर देने और नीलाम देने के बारे में व्यापारी मिल जाया करते हैं । इसका भी पूरा पूरा ध्यान रखा गया है कि अनाज के भाव में कहीं घाटा नहीं हो । बाजार में अलग से बेचें तो क्या आय हो सकती है । मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक बार राजस्थान सरकार के पास काफी गेहूं था, पुराना और दूसरा अनाज भी था, लाखों मन था और टेन्डर मांगे गये और भाव जो आया वह था १० रु० ११ आ० के करीब था, लेकिन राजस्थान सरकार के रसद विभाग ने पूरा पूरा प्रयत्न किया और उसी गेहूं को हमने १८ रु० ६ आ० मन बेचा है । तो आप खयाल कर सकते हैं कि कहां एक मन का भाव १० रु० ११ आ०

[श्री पंड्या]

मन और कहां १८ ह० मन । ८ ह० मन का फर्क । टेन्डर्स और बोली बोलने के बाद में भी और भाव प्राप्त करने की कोशिश की गई और जो इस तरह से देने में राजस्थान गवर्नमेंट का लाखों रुपयों का नुकसान होता वह नहीं हुआ है, या यों कहिये कि फायदा हुआ है । तो इस तरह से यह कहना कि किसी एक व्यापारी को बुलाकर अनाज बेचा गया है, सरासर गलत है । ऐसा नहीं किया गया है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—गनी बेग एकाउन्ट्स के बारे में ?

श्री पंड्या—इसमें कोई शक नहीं है कि पुराने कर्मचारियों के पास में कुछ रुपया लेना बाकी है । गबन भी रुपयों का हुआ है और इसके साथ में अनाज की जो कमी हुई है, अभी जो रिपोर्ट पढ़ी गई उसमें दिया गया है कि सरकार की ओर से भरसक प्रयत्न किया जा रहा है । रकम वसूल करने का प्रयत्न किया जा रहा है । जो रकम मिल सकती है उसकी वसूली की जा रही है । इसीलिए इस विभाग का हिसाबी काम वित्त विभाग को पहली तारीख से सौंपा गया है और मेरा विश्वास है कि जो कुछ भी खामियां होंगी वह जल्दी से जल्दी दूर कर दी जायंगी ।

आखिर में प्रश्न यह था कि जिन कर्मचारियों को यहां से अलग किया गया है और वे बेकार होते तो उनको भी उपयुक्त स्थानों पर लगाया गया है, साथ ही एकाउन्ट्स के लिए जितने कर्मचारी लगाये गये हैं, उनके खर्चे के लिए यह ४४ हजार रुपये की मांग की गई है और न कि बीसियों बरसों के और बाइसों रियासतों के अनाज की कमी के लिए यह मांगा गया है । प्रसंगवश आपने यह बताया तो मैंने भी संक्षेप में उत्तर दिया है । में विश्वास करता हूं कि मेरे माननीय मित्र अपना जो कटौती का प्रस्ताव है, उसको वापिस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह रिपोर्ट्स कौनसी आपने कोट (Quote) की थी ?

श्री पंड्या—वह रिपोर्ट जिसका कि हवाला दिया गया था । यह ५६ की पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की थर्ड रिपोर्ट थी उसी के बारे में निवेदन किया गया था । वही आंकड़े मैंने बताये हैं जो कि इसमें दिये गये हैं । जितने रुपये बाकी हैं वही मैंने बताये हैं । मैंने स्वीकार किया कि ये बातें ठीक हैं लेकिन क्यों हैं ? उसका कारण यह है कि बीसियों साल से बाईसों रियासतों का यह मसला है । साल, ६ महीने या दो साल का नहीं है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—गनी बेग के एकाउन्ट्स के बारे में ?

श्री पंड्या—मैं अपने जवाब में पहले ही बता चुका हूं कि गनी बेग का जितना भी हिसाब है उसको अच्छे भाव पर बेचा गया है । कुछ गनी बेग्स खराब होगये । कुछ कम होगये । आप हिसाब देखें तो मिल सकता है । एक बार पहले तो बताया था और चाहेंगे तो पूरी पूरी संख्या बताई जा सकती है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—चेयरमेन महोदय, माननीय मंत्रीजी जब अपना जवाब दे रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि वह खुद कनविन्सड हैं कि इस तरह से उनके विभाग के बारे में जितना भी ज्यादा कहा

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

जाय उतना ही थोड़ा है। गनी बेग्स के बारे में इतना ही बता कर चल दिये अपनी जगह छोड़कर, शारीरिक रूप में बैठे हैं, लेकिन जवाब के रूप में वह जगह छोड़कर चल दिये कि कुछ बेचे गये हैं और कुछ मौजूद हैं। हिसाब मौजूद है कि नहीं इसके बारे में कोई उत्तर उन्होंने नहीं दिया, मेरा यह कहना है कि गनी बैग का एकाउन्ट मौजूद नहीं है अभी तक विभाग में। वे इसको कन्ट्राडिक्ट करना चाहें तो कर दें।

श्री पंड्या—मैं इसका जवाब पहली बार में दे चुका हूं। इसके बाद में मैं और कोई प्रश्न उठाया जाय तो मैं जवाब देने की स्थिति में नहीं हो सकता हूं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कब जवाब देंगे ?

श्री पंड्या—कई बार मांगे आती हैं, क्योंकि आपका तो एक ही भाषण बनाया होता है। वही कहा करते हैं, दुबारा मांग कीजियेगा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह दसवां मौका है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आखिर मुझे तो और मौका और वक्त आजायगा।

श्री सभापति—(श्री व्यास से) You continue your reply.

श्री हरिकृष्ण व्यास—मुझे तो शायद दस मौके आजायेंगे लकिन उनको (श्री बृजसुन्दर शर्मा) तो पहली नवम्बर से कुछ कहने का मौका नहीं आये तो उनको यदि आप प्रिसीडेन्स दें तो मुझे कोई एतराज नहीं है, सिरोंज वाले को। मैं अर्ज कर रहा हूं कि मुझे उनके साथ में सहानुभूति है, थोड़ी बहुत क्योंकि इसके लिए इतनी बड़ी गड़बड़ी का मामला है, तो आखिर में कितना भी बवाइये उसको.....अभी अभी उन्होंने यह कहा कि रिपोर्ट छपती हैं बाकायदा। मालूम नहीं बड़े रोंग मोमेन्ट में उन्होंने इस पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट का नाम ले लिया।

श्री पंड्या—मैंने बताया था कि इसी को पहले रिपोर्ट कर चुके थे। रिपोर्ट छपती है ऐसा नहीं कहा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो गलती से पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी का हवाला दिया गया, और उससे मुझे कम से कम यह यकीन हो गया है कि यह रिपोर्ट को ऑथोरिटेटिव मानने को तैयार हैं। इसलिए मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहता हुआ सिर्फ एक दो चीज आपके ध्यान में लाऊं कि उस रिपोर्ट में कितना माकूल इन्तजाम है यह बताया गया है। पेज ८४ में श्री दुलीचन्द त्रिवेदी के नाम के सज्जन को सरकार ने हुक्म दिया कि ५००० मन ज्वार दे दी जाय और उसकी एवज में वे सरकार को मक्का दे देंगे। अब यह ज्वार और मक्का में कौनसा विशेष रिश्ता है यह मैं नही कह सकता, चेयरमेन महोदय। और श्री दुलीचन्द त्रिवेदी, और इस सरकार के मंत्रियों में क्या विशेष रिश्ता है यह भी मैं नही कह सकता, लेकिन कुछ है अजीब सा कि ज्वार दे दो और मक्की ले लो। लेकिन यह हुक्म होने के बाद हुआ ऐसा कि उनको ४१००० रु० केश दे दिया गया, केश और १७५ मन मक्का उनको दी गई। श्री दुलीचन्द त्रिवेदी सरकार के पास ऐसा कहकर आये बताया गया है कि अगर मक्का की जरूरत हो तो मैं हजारों

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

मन दे सकता हूं, यह ग्राम चुनाव के पहले की बात है थोड़ी सी। सरकार ने उनको रुपया दिया है और १७५ मन मक्का दी है। जिससे मक्का लेना है उसको मक्का दी जा रही है। Carrying coal to new castle और जिस भाव से सरकार ने मक्का उनको दी उससे ७ रुपये ज्यादा भाव में उसको वापस कर दी। चूंकि मंत्री महोदय तो इस रिपोर्ट का उल्लेख कर चुके हैं, इसलिए मैं तो भरी जबान से क्या कहूं, मैं इस रिपोर्ट के ही अंश जो पेज ८५ पर हैं उनको पढ़ कर सुना देता हूं :

"(1) No agreement was executed by Shri Dulichand Trivedi nor were the rates of jowar and bajara and seed maize settled;

(2) The payment of Rs. 41,000/- made by the Collector of Jhalawar and the issue of gunny bags and maize to Shri Dulichand Trivedi were all unauthorised acts;

(3) Even the recovery of Rs. 7,000/- due on the basis of the account rendered by Shri Dulichand Trivedi has not been made;

(4) The issue of maize to Shri Trivedi who has himself called upon to supply maize required an explanation, and

(5) the basis on which the Government sanctioned payment for seed maize at rates varying from Rs. 15/8/- per maund to Rs. 18/- per maund is not clear when the purchase of maize was made by Shri Trivedi at rates varying from Rs. 12/- to Rs. 15/- per maund and the Government issue rate of maize was Rs. 10/5/3 per maund."

यह है हकीकत। सरकार की इश्यू प्राइस थी १० रुपया ५ आना ३ पाई, सरकार ने पेमेन्ट किया १५॥) पर मन्ड और १८) पर मन्ड के हिसाब से, जब कि श्री त्रिवेदी ने मक्का खरीदी १२ और १५) मन के बीच में। और फिर क्या मालूम की सरकार से ही लेकर सरकार को ही दी हो। और १७५ मन मक्का का बिल बनाया १८) प्रति मन के हिसाब से। कोई अन्धा ही ऐसी चीज कर सकता है। या ऐसी बात तय की हो कि दुलीचन्द अपना ही आदमी है ले दे कर इसको फायदा पहुंचाओ। लेकिन चूंकि रिपोर्ट का हवाला दे दिया इसलिए मैंने उसका एक अंश आपको बताया। लेकिन वह तो पूरा पोथा है। एक ही ऐसे नहीं अनेक हैं। डिपार्टमेन्टल ओफिसर्स हैं उनके अगेन्स्ट में आउटस्टेन्डिंग हिसाब देने के हैं वे हैं ११ लाख ८७ हजार के, एक बीकानेर डिविजन के। इतना ही नहीं अगर दूसरे डिविजन के भी फीगर्स को जोड़ दिया जाय तो और बड़ी तादाद में यह लाखों पर जा पहुंचेगा। ये सब मर्जर के बाद के हैं। पुरानी रियासतों का बहुत जिक्र होता है, मंत्रीजी जरा गोर फरमायें इस रिपोर्ट का पेज ८८ है मर्जर के बाद के २३ लाख के एडवान्सेज हैं, जिनका हिसाब नहीं है। हां थोड़े से बाकी हैं। २३ लाख के एडवान्सेज कुछ ही होते हैं। अभी वे यह कह रहे थे कि ये आंकड़े कहां से आते हैं। ये बातें कहां से आती हैं? आये कहां से? जिनका सम्बन्ध होता है, जो लोग बेचारे तकलीफ में होते हैं वे दिखाते हैं कि हमारा पैसा बेकार लुटाया जा रहा है, वे जानकारी प्राप्त करते हैं, मंत्रीजी को हो या न हो चेयरमेन महोदय, लेकिन मैं आपको बताऊं कि सन् १९५२-५३ में जयपुर के नजदीक ही जो महार

Page No 79

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

नामका ठिकाना है, मेरे मित्र तो शायद नाराज होंगे लेकिन में उस बात का उल्लेख तो कर दूं। प्रोक्योरमेन्ट के सिलसिले में वहां पर गवर्नमेन्ट ने ग्रेन सीज किया हजार डेढ हजार मन। सीज करके उसको लाने के लिए बोरे यहां से भेजे ५००-६०० बोरे हैं, जहां तक मेरा ख्याल है·····

श्री सभापति–आपने प्रत्युत्तर में कोई नयी चीज न कहें जिससे उत्तर-प्रत्युत्तर देना पड़े सम्बन्धित बात ही कहें।

श्री हरिकृष्ण व्यास––वही में निवेदन कर रहा हूं चेयरमेन महोदय। ऐसी खास बात हुई है। में खास बात के सिलसिले में ही निवेदन कर रहा हूं। तो वहां ५ सौ ६ सौ बोरे गये। कोर्ट से यह फैसला हो गया कि नाज सीज किया वह ठीक नहीं किया है। तो बोरे वहां पड़े रहे। अगर विभाग ने मंगाये हों तो यह बता दें। नहीं मंगाये। क्यों बोरों का दान दे दिया। चूंकि गनी बेग्स का हिसाब पूछा है चेयरमेन महोदय, कि थोड़ा बहुत कहीं होंगे इसलिए मैंने बताया कि ५००-६०० तो वहीं रह गये और चाहें तो मैं १०-२० लिस्ट दे सकता हूं।

श्री मानसिंह महार––मेरा गल्ला सीज नहीं हुआ था। शायद कहीं कोई गलतफहमी हो जाय इसलिए मैं इसको स्पष्ट कर दूं।

श्री हरिकृष्ण व्यास––मैंने तो महार के ठिकाने का जिक्र किया है।

श्री मानसिंह महार––दो हैं महार।

श्री हरिकृष्ण व्यास––मेरे मित्र को नाम से प्रेम है। तो मैं यह निवेदन कर रहा था चेयरमेन महोदय, कि यह स्थिति हो गई है गनी बैग्स की। और ग्रेन में ९६ हजार मन कमी है। इसको मंत्रीजी ने स्वीकार किया है। थोड़े और बढ़ेंगे तो उनको खुद के क्या एस्टीमेट्स हैं यह मालूम हो जायगा। १ लाख मन गल्ला गायब हो जाय, मंत्रीजी के हिसाब से थोड़ा हो, लेकिन यह टेक्स पेयर के हिसाब से तो कम नहीं है।

श्री मानसिंह महार–– दीमक खा जाती है।

श्री हरिकृष्ण व्यास––दीमक खा जाती है तो उसका राइट ओफ का सिलसिला तो सालों साल अलग करते हैं। और शायद उनको मालूम नहीं हो कि इनट्रान्जिट कितना लाख है? ४८ हजार मन तो वह हुआ इन्ट्रान्जीट, रेलगाड़ी में चक्कर खा रहा है, आसाम की हवा खा रहा था। एक डिविज़न से दूसरे डिविजन में भेजा इसको और वे कहते हैं कि मिला नहीं। तो फिर किस हिसाब से बात करते हो कि आकड़े कहां से आते हैं? आप अपने दिल पर हाथ रख कर पूछो कि कहां से आते हैं। आपके विभाग से क्या हुआ उसका हिसाब लगा कर तो पता लगाओ। क्या उन्होंने तखमीना आज तक लगा रखा है, कहते हुए मुझे अधिक परेशानी मालूम होती है कि बाद में घाटा १-१।। करोड़ का तो कहते हैं।

श्री भोगीलाल पंड्या––आपने पहले पांच करोड़ बताया और अब १।। करोड़ बता रहे हैं आप बार बार पलटते रहते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास--१।। करोड कहते हो तो मानते ही चलो··············

श्री सभापति—He is putting only inconsistencies.

श्री हरिकृष्ण व्यास--I am quite realising the uncomfortable position of my freind opposite. He has admitted कि १-१।। करोड़ तो है। इस सम्बन्ध में में आगे जाकर क्लीयर करूंगा कि ५ करोड़ का कैसे होता है ।

श्री भोगीलाल पंड्या--मैंने कभी नहीं कहा कि १।। है, आपने पांच करोड़ का कहा।

श्री हरिकृष्ण व्यास--मैं पांच करोड़ पर भी पहुंच जाऊंगा, आप भी पक्के रहें। तो मैं बता रहा था कि ये आंकड़े कहां से आते हैं ? आपके हिसाब से १।। करोड़ हो गया। गनी बेग्स उस हिसाब में जुड़े नहीं हैं। ग्रेन इन ट्रान्जिट है और जो सात साल तक ट्रान्जिट में चलने वाला नहीं है वह भी लोस में जोड़ दीजिये, उसकी कीमत जोड़ दीजिये, उसके अलावा जो गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया के एक्सेप्टेड फीगर हैं २.५, लेकिन आपने किये हैं ३.५, उसका १ करोड़ ४८ लाख का डिफरेन्स जोड़ दीजिये। और भी बताऊं। गवर्नमेन्ट को ड्यूज की रिकवरी करनी है, उसके अलावा सेटलमेन्ट किया है, आपका रिकार्ड ठीक न होने के कारण, स्केल डाउन किया; रेकर्ड न होने के कारण, ठीक रजिस्टर न होने के कारण। वह भी जोड़ दीजिये। फिर बताइये कि पांच करोड़ का फीगर आता है या नहीं।

तो मैं तो अपनी बात से नहीं बदल रहा हूं। मैं तो यही कह रहा हूं कि बच बच कर कम करते करते आपके कागजों में ही १।। करोड़ पहुंच गया। मैं तो यही कह रहा हूं और अगर आपको अस्वीकार करना है तो कर दें। मैं तो और कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हकीकत है यह, जो मैं आपको बता रहा हूं। मैंने यह जरूर कहा है कि कुछ नाज १०-१२ के हिसाब से लेकर १४-१५ में बेचा है, ११-१२ में लेकर १६-१८ में बेचा है; डिफरेन्ट ग्रेन्स एट डिफरेन्ट स्केल्स ।

अगर आपको कोई परेशानी मालूम होती हो तो ये सिम्पल आंकड़े ही पेश कर दें, जितना नाज खरीदा उसकी कोस्ट इतनी है और आपकी मुकर्रर की हुई कीमतों के हिसाब से उनकी पोसिबल कीमतें इतनी हैं। दोनों का डिफरेंस कितने करोड़ का हुआ ? इस सदन को ज्ञान हो जायगा कि कितने करोड़ रुपयों के मारजिन से आपने बिजनेस किया और फिर भी घाटा खाकर बैठे हो। अब इस बात को छिपाया जा सकता है कि इन्क्वायरी नहीं की जा सकती। लेकिन हमें यह देखना है कि इस विभाग का हिसाब-किताब पेश नहीं किया जा रहा है। ऐसे अनेकों दुलीचन्द त्रिवेदी के मामले इस विभाग में पड़े हैं। ऐसे अनेकों लोगों का घोटाला इसमें पड़ा है। राजस्थान में ३०० की तादाद में एम्बेजलमेन्ट के केसेज पेन्डिग हैं। उनमें से २०० केसेज इसी एक विभाग के हैं। सबसे बड़े एम्बेजलमेन्ट के केसेज जिनमें ४०,०००-५०,०००, ६०,००० और ८०,००० तक के केसेज सिविल सप्लाइज में हैं। आप किस विभाग की बात करते हैं ? आप एक भी केस को फाइनेलाइज नहीं कर पाये। लाखों रुपये लेकर लोग पार हो गये, लेकिन आप उनको सजा नहीं दे पाये। आपके यहां पर घोटाला करनेवाले लोग प्रमोशन पाते हैं, फरजी केश बुक बनाते हैं, फरजी चेक पर दस्तखत कर देते हैं फिर भी उनका कुछ नहीं बिगड़ता। आज मंत्रीजी खड़े होकर कहते हैं कि इधर-उधर की बातें करते हैं। पहले आप अपनी कमेटी को पूछिये कि १५०-२००

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

केसेज एम्बेजलमेन्ट के पड़े हैं उनमें क्या हुआ ? किसी से रुपये लिये और जमा नहीं कराये। कह दिया कि ट्रेजरी में ४ लाख रुपये जमा करा दिये और वास्तव में कराये १।। लाख ही और बाकी के २।। लाख रुपये बीच ही में उड़ गये और यह बात आपके ध्यान में नहीं आई, आपके ऑफिसरों के ध्यान में नहीं आई और ऐसे अफसर तरक्की पाते हैं और उनकी तरफदारी में क्या कुछ नहीं कहा जाता।

श्री भोगीलाल पंड्या--यह कहना गलत है कि किसी केस में इन्क्वायरी नहीं हुई, कई केसेज में इन्क्वायरी हुई, लोगों को सजा हुई, रुपये वसूल हो रहे हैं। कइयों को सजा हुई है और आप कहते हैं कि एक भी केस में सजा नहीं हुई।

श्री हरिकृष्ण व्यास--१०,००० रु. या २०,००० रु. का गबन जहां हुआ है वहां केवल वार्निंग दी गई है जब कि सरविस रूल्स में वारनिंग का, कहीं सजा का उल्लेख नहीं है। कहावत मशहूर कि 'दिल को बहलाने के लिये गालिब यह ख्याल अच्छा है' आपके ख्याल से यह ख्याल अच्छा है लेकिन जिनको वारनिंग दी गई वह सजा नहीं मानी जा सकती।

श्री भोगीलाल पंड्या--जेल में जो लोग हैं उनको भी आप सजा नहीं मानें या जिनको बर्खास्त किया गया है वह भी सजा नहीं मानें तो फिर मैं किसी को फांसी तो नहीं दे सकता।

श्री हरिकृष्ण व्यास--बर्खास्तगी का जिक्र आपने नहीं किया था, अब भी मौका है।

श्री सभापति--You please finish your reply.

श्री हरिकृष्ण व्यास--If even one gazetted officer he has dismissed, I am prepared to concede this point to my friend on the opposite side. Let him state. His default is not something of which I will take advantage.

तो मैं अर्ज कर रहा था, चेयरमैन महोदय, कि स्थिति दरअसल में ऐसी है कि इस विभाग के बारे में जितना ज्यादा कहा जाय उतना ही कम है और ऐसी स्थिति और को जो कुछ हकीकत है उसको सामने लाइये। यह छिपने वाली नहीं है चाहे आप लाख कोशिश करें। करोड़ों रुपयों का इधर उधर होना छिपने वाला नहीं है। यदि यह छिपनेवाला नहीं है तो सामने आयेगा जल्दी से जल्दी। यदि आप सामने लायेंगे तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो आज तक यह अनुपूरक मांग पास हो जायगी और कुछ दिन बाद विधान सभा का यह सत्र भी समाप्त हो जायगा लेकिन ऐसे मामले छिपेंगे नहीं। कंटिन्युटी की बात है। हिसाब किताब पेश करने में देर करने का कारण यह है कि मेनीपुलेशन चल रहा है, टोप मोस्ट लेवल पर चल रहा है। यह मत कहना कि नहीं चल रहा है। जवाब देने में हिचकिचाहट आती है। और कुछ नहीं कर सकें तो कम से कम यह कटौती प्रस्ताव मंजूर करके तो सदन अपनी नाराजगी जाहिर करे। मैं समझता हूं कि निश्चिततः सदन इसे स्वीकार करेगा। यह कह कर मैं अपना प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री सभापति (श्री जवानसिंह)--प्रश्न यह है कि कटौती प्रस्ताव जो श्री हरिकृष्ण व्यास ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(मत-दान के पश्चात)

ना पक्ष जीता?

श्री हरिकृष्ण व्यास—हां पक्ष जीता ना की आवाज तेज नहीं थी ।

श्री सभापति—ना पक्ष जीता । प्रस्ताव गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या ६७, लेखे का शीर्षक ६३-- असाधारण व्यय के सम्बन्ध में संचनित निधि में से ३१ मार्च, १९५३ को समाप्त हुये वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को रुपये ४४,५८० तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

हां पक्ष जीता । मांग स्वीकार की गई

अधिक अनुदान के लिये मांग संख्या ६१-स्टाम्प्स

श्री अमृतलाल यादव—चेयरमेन महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अधिक अनुदान की मांग संख्या ६१, लेखे का शीर्षक ६—स्टाम्प्स के संबंध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९५३ को समाप्त हुये वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को रुपये ७४,१०३ तक की राशि प्रदान की जावे ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—चेयरमेन महोदय, इस सम्बन्ध में मेरा बहुत मामूली सा प्रस्ताव है । मैं समझता हूं मंत्रीजी उसे स्वीकार करेंगे । मेरे कटौती प्रस्ताव का आशय यह है कि राज्य सरकार ने जोधपुर में जो स्टाम्प वेन्डर्स हैं उनके साथ ऐसा अन्यायपूर्ण रुख अपनाया है, उसको दुरुस्त करदें तो ठीक ही बात होगी ।

राजस्थान के दूसरे क्षेत्रों में भी कई जगह ऐसी व्यवस्था है कि सरकार अपने आदमी मुकर्रर करती है और वे लोग लोगों को स्टाम्प्स देने का काम करते हैं और उन लोगों को तनख्वाह मिलती है । एक तरह से यह ठीक चीज है । जैसे और कार्यों के लिये राज्य के आदमी नियुक्त होते हैं उसी तरह से इस कार्य के लिये भी हैं । लेकिन पुराने जमाने से कुछ स्थानों पर ऐसा चला आ रहा है कि स्टाम्प वेन्डर्स कमीशन के बेसिस पर काम करते हैं । अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने ऐसा आर्डर जारी किया है जिसके द्वारा उनके कमीशन की दर पहले से आधी कर दी है और स्टाम्प्स बेचने की सीमा भी कम कर दी है । इसका नतीजा यह होगा कि ओन एन एवरेज ४० या ५० रु. की कुल सेल करे, उस आदमी को तो गुजारे लायक आमदनी होने की गुंजायश नहीं है । उन लोगों ने बार बार इस बारे में रिप्रजेन्टेशन्स किये, लेकिन मालूम नहीं मंत्रीजी के पास रिप्रजेन्टेशन करना उपयुक्त होता है या नहीं । उनका कोई जवाब नहीं, चिट्ठियां और तार दिये उनका भी कोई जवाब नहीं । तो मैंने इस कटौती प्रस्ताव के जरिये चेयरमेन महोदय, आपके जरिये सदन और मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना जरूरी समझा ताकि उनको महसूस हो जाय कि उनके कार्य के कारण लोगों को परेशानी है और वे कुछ कर नहीं सकते । यह आपके सोचने की बात है कि आप क्या कार्यवाही करें । यदि कमीशन सिस्टम जारी नहीं करना है तो ऐसा कर दीजिये कि अपने आदमी नियुक्त कर दीजिये और यदि ऐसा नहीं करना है तो आप सारी परिस्थिति को एग्जामिन करलें । पुराने रेकार्ड हैं ३-४ साल के उनको देखकर रीजनेबिल रेट मुकर्रर करें लेकिन ऐसा नहीं करके आरबिट्रेरी काम करना न्याय संगत नहीं है । मैं उम्मेद करता हूं कि इस

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

सिलसिले में आप समुचित विचार करके ठीक उत्तर देंगे । इस आशा के साथ में अपना कटौती प्रस्ताव पेश करता हूं ।

श्री मानसिंह महार--माननीय सभापति महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव जोधपुर से आने वाले मेरे मित्र ने रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं लेकिन मैं यह मानता हुं कि यह प्रस्ताव प्रान्तीय भावना से रखा गया है और केवल जोधपुर के लिये रखा गया है, इस लिये इसको राजस्थान व्यापी रखा जाता तो ठीक होता ।

श्री एच० के० व्यास--दूसरी जगह ऐसा सिस्टम नहीं है ।

श्री मानसिंह महार--मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर में भी स्टाम्प की बिक्री का सिस्टम है जो बहुत ही खराब है । इतनी भीड़ रहती है और इतने धक्के लगते हैं कि शरीफ आदमी तो वहां जाकर स्टाम्प खरीद नहीं सकता । वहां इस प्रकार की भी शिकायत है कि सरकार या सरकार के मंत्री या किसी और उच्च अधिकारी के खिलाफ दावा करने के लिये अगर कोई स्टाम्प खरीदने जाय तो उसको धक्के देकर निकाल दिया जाता है ।

श्री सभापति (श्री जवानसिंह)--आप कटौती प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं ?

श्री मानसिंह महार--इसे सारा राजस्थान व्यापी करने के लिये समर्थन कर रहा हूं ।

श्री एच० के० व्यास--ठीक है साहब और जगह कठिनाई है तो मेरे प्रस्ताव के अन्तर्गत आ ही जाती है ।

श्री मानसिंह महार--और बाहर गांव वालों को इन स्टाम्प्स के खरीदने में बड़ी मुसीबत होती है, बाहर वाले बेचारे दौड़े भागे यहां पहुंचते हैं और स्टाम्प की बिक्री बन्द हो जाती है, क्योंकि ३ बजे तक ही बिकते हैं, जब कि अदालतों का समय ५ बजे तक है । अदालतें ५ बजे तक चलती हैं तो स्टाम्प बेचने का समय तो ६ बजे तक का होना चाहिये, लोगों की सुविधा के लिये ६ बजे तक स्टाम्प और टाई पेपर बेचने की व्यवस्था होनी चाहिये ।

बाहर जाकर देखा जाय तो और भी खराब हालत है, बाहर स्टाम्प मिलते ही नहीं हैं चाहे दावा करने वाला दावा किये बगैर रह जाय ।

जिन्होंने यह मांग पेश की है उनसे तो मैं आशा ही नहीं करता कि वे इस अच्छे सुझाव को स्वीकार कर लेंगे क्योंकि वे अपनी जिद्द पर अड़े रहते हैं ।

(एक माननीय सदस्य की आवाज : 'वे समझते ही नहीं हैं')

मैं तो यह नहीं कहता कि वे समझते नहीं हैं, हो सकता है कि समझ की कमी हो पर मैं तो अपनी जुबान से नहीं कहता । (हंसी) अगर नहीं मानते हैं तो वे ही आगे जाकर दुःख पायेंगे, हमारा क्या लिया? इसलिये मेरी यह राय है कि जोधपुर की जगह सारे राजस्थान को जोड़ दिया जाय तो सरकार को कोई हानि नहीं होगी । इससे अगले चुनाव में वोट भी ज्यादा मिलेंगे ।

श्री अमृतलाल यादव (पृथक राजस्व मंत्री) ---माननीय चेयरमेन, कटौती के प्रस्ताव पर जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य हैं उन्होंने खुद ने बता दिया कि इस सम्बन्ध में जो बातें उन्होंने कही हैं, उनमें कोई खास महत्व की बातें नहीं हैं ।

सवाल यह था कि उन्होंने जो बातें कहीं, हमारे यहां कमीशन सिस्टम चलता है, वहां अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सिस्टम्स हैं, कहीं होल टाइम वेन्डर्स रखे जाते हैं और कहीं पार्ट टाइम रहते हैं । किफायत सुझाव आता है, इसलिये किफायत की दृष्टि से कमीशन की पद्धति रखी गई । जितने ज्यादा स्टाम्प्स बेचेगा उतना ही वेन्डर को ज्यादा कमीशन मिलेगा, स्टाम्प भी वक्त पर मिल जाय और उसको प्रलोभन भी रहेगा कि जितने ज्यादा बेचूंगा उतना ही ज्यादा कमीशन मिलेगा । इसलिये यह सिस्टम रखा गया है । यही सिस्टम सब जगह हो, ऐसा मैं नहीं कहता । अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग व्यवस्था हो सकती है । अगर किसी वेन्डर ने ज्यादा वसूल कर लिया तो वह उसका हक नहीं, वह रकम उससे ली जाय । इसमें तो माननीय सदस्य को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

जो दूसरे माननीय सदस्य ने बातें कहीं, उनसे निवेदन है कि कभी कभी इतनी भीड़ होने की बात कहते हैं कि जिसमें धक्के लगाये जाते हैं, लेकिन मेरे पास तो ऐसी शिकायत नहीं आई है और आज तक किसी ने नहीं कहा कि भीड़ की वजह से हमें टिकट नहीं मिला और हमारा काम रुक गया ।

होल टाइम वेन्डर रखने में ज्यादा खर्चा पड़ता है, इसलिये कमीशन सिस्टम रखा है । इसमें ऐसी बात नहीं है कि किसी प्रकार की दिक्कत हो, सबको स्टाम्प्स मिल जाते हैं ।

श्री मानसिंह (महार)--मैं तो उम्मीद करता था कि मन्त्री लोग भी भीड़ में जाकर धक्के खाकर देखें ।

श्री एच० के० व्यास-बहुत अफसोस है इस बात का कि मेरी बातें मन्त्री महोदय की समझ में नहीं आई । ऐसी सूरत में जवाब क्या दूं ? इतना ही कह सकता हूं कि कहीं न कहीं गलती रह गई होगी मेरे कहने में या उनके समझने में । इस कटौती के प्रस्ताव में इतनी महत्व की बात भी नहीं है, कभी न कभी तो समझ में आयेगी ही ।

श्री सभापति--आप कटौती का प्रस्ताव वापिस लेना चाहते हैं ?

श्री एच० के० व्यास--जी हां । मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं ।

श्री सभापति--प्रश्न यह है कि क्या श्री एच. के. व्यास को उनका कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की इजाजत दी जाय ।

(स्वीकृत)
प्रस्ताव वापिस लेने की इजाजत दी गई ।

श्री एच० के० व्यास--मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं ।

श्री सभापति--प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या ६१, लेखे का शीर्षक ६-स्टाम्प्स के सम्बन्ध में संचित निधि में से ३१ मार्च, १९५३ को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को रुपये ७४,१०३ तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)
मांग स्वीकार की गई ।

श्री अमृतलाल यादव

अधिक अनुदान की मांग संख्या ६२-पंजीयन

श्री अमृतलाल यादव (पृथक राजस्व मंत्री)--माननीय चेयरमैन, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अधिक अनुदान की मांग संख्या ६२, लेखे का शीर्षक ११-पंजीयन के सम्बन्ध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९५३ को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को रुपये ५,८२३ तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री सभापति--प्रश्न यह है कि अधिक मांगों के लिये मांग संख्या ६२ लेखे का शीर्षक ११-पंजीयन के सम्बन्ध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९५३ को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को रुपये ५,८२३ तक की राशि प्रदान की जावे; यह प्रस्ताव स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

(विराम)

श्री दामोदरलाल व्यास।

अधिक अनुदान की मांग संख्या ६३ सामान्य प्रशासन

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अधिक अनुदान की मांग संख्या ६३ लेखे का शीर्षक २५-सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९५३ को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित श्रीमन् राजप्रमुख को रुपये १७,३४६ तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री सभापति--प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या ६३, लेखे का शीर्षक २५-सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९५३ को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को रुपये १७,३४६ तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

श्री रामकिशोर व्यास।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)--४ बज गये हैं, अब तो बन्द कर दिया जाय।

श्री सभापति--Still the quorum is there and we will continue.

अधिक अनुदान के लिये मांग संख्या २७-न्याय प्रशासन

श्री रामकिशोर व्यास--मैं प्रस्ताव करता हूं कि अधिक मांगों के लिये मांग संख्या ६४, लेखे का शीर्षक २७-न्याय प्रशासन के संबन्ध में ३१ मार्च, १९५३ को प्राप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को रुपये ५९,६१३ तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि अधिक मांगों के लिये मांग संख्या ६४, लेखे का शीर्षक २७-न्याय प्रशासन के संबन्ध में ३१ मार्च, १६५३ को समाप्त हुये वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को रुपये ५६,६१३ तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

(विराम)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया ।

अधिक अनुदान की मांग संख्या ६५—शिक्षा

श्री बृजसुन्दर—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अधिक अनुदान की मांग संख्या ६५, लेखे का शीर्षक ३७—शिक्षा के संबन्ध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १६५३ को समाप्त हुये वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को रुपये ५,३५,०४३ तक की राशि प्रदान की जावे ।

श्री सभापति—प्रश्न यह है अधिक मांगों के लिये मांग संख्या ६५, लेखे का शीर्षक ३७—शिक्षा के संबन्ध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १६५३ को समाप्त हुये वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को रुपये ५,३५,०४३ तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

अधिक अनुदान की मांग संख्या ६६—अधिवार्षिकी भत्ते तथा पेन्शन

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अधिक मांगों के लिये मांग संख्या ६६ लेखे का शीर्षक ५५-अधिवार्षिकी भत्ते तथा पेंशन के संबन्ध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १६५३ को समाप्त हुये वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को रु० ६०,२३५ तक की राशि प्रदान की जावे ।

श्री मानसिंह महार—माननीय सभापति, इस मांग संख्या ६६ का मैं विरोध करता हूं । मैं समझता हूं कि पेंशन के संबन्ध में जो·····

श्री सभापति—आपको यह ध्यान होना चाहिये कि यह पैसा बहुत पहले ही खर्च हो चुका है ।

श्री मानसिंह महार—यह सब बात मेरे ध्यान में है । केवल बात यह है कि सदन में बराबर यह डींगें हांकी जाती हैं कि पेन्शन के मामलों में फलां ऑफिसर को नियुक्त कर दिया गया है और फलां तारीख नियुक्त कर दी गई है, इन सब बातों के लिये मैं अपना असन्तोष प्रकट करना चाहता हूं ।

(घंटी)

श्री सभापति—कट मोशन का उद्देश्य यह होता है कि मांग के संबन्ध में आप अपने विचार व्यक्त करें । यहां पर आप इसको इकोनोमिक कट नहीं कर रहे हैं । अगर आपको

[श्री सभापति]

विचार व्यक्त करने थे तो आप इस पर कट मोशन देते, मगर आपने कोई कट मोशन नहीं दिया, इसलिये मैं ठीक नहीं समझता कि सदन का समय लिया जाए ।

(श्री एच. के. व्यास के खड़े होने पर)

Please come to order!

श्री एच० के० व्यास-Mr. Chairman, Sir, will you kindly enlighten the Hon'ble Members as to what is the procedure for the total rejection of a demand ? One may suggest economy in regard to particular items, particular parts, but supposing one Hon'ble Member stands for the position of total rejection of a demand on principal—wrong, derogatory, absolutely unnecessary—what is the position ? Is he not entitled to get up and say : "No, the House shall not accept this Demand; not a pie for this." Therefore I submit, Sir, that the question of economy cut would not arise in the particular case; it is not an economy cut; it is a wholesale rejection, opposition in its entirety and for that permission may be granted to the Hon'ble Members.

श्री सभापति--The observation was made only in the absence of any sort of a cut motion.

श्री मानसिंह महार--लेकिन विरोध करने का मुझे अधिकार है । यह जो मांग है यह टोटली रिजेक्ट कर दी जानी चाहिये ।

श्री सभापति--आप कितना समय चाहते हैं ।

श्री मानसिंह महार--बहुत कम समय । अगर जल्दी समझ में आ गई तो ठीक है । मगर यह हमारा दुर्भाग्य है कि यह मामला ऐसी जगह आ फंसा है जहां समझ में आना ही मुश्किल है । तो माननीय सभापति महोदय, मैं पेंशन के बारे में निवेदन कर रहा था और यह मेरी निश्चित धारणा है ।

एक माननीय सदस्य--कि आपको भी पेंशन हो जाए ।

श्री मानसिंह--मैं तो यह नहीं चाहता । मैं तो चाहता हूं कि सारी उम्र बैठे रहें । मेरे मित्र हैं ।

श्री सभापति--आप अपना समय नष्ट कर रहे हैं ।

श्री मानसिंह--ये डिस्टर्ब करते हैं ।

मैं पेंशन के बारे में यह निवेदन कर रहा था कि आज हमारी सरकार यह मांग कर रही है कि पेंशन के मामले इधर से उधर आयें, उसके लिये अधिक पैसा खर्च करना पड़ा; इसके लिये इस मांग को स्वीकार किया जावे । मैं यह कहता हूं माननीय चेयरमैन, कि हमारी सरकार ने जो पेंशन के मामलों का

[श्री मानसिंह महार]

निपटारा जिस तेजी से करना चाहिये और रिटायर्ड हुये व्यक्तियों के साथ जिस प्रकार सहानुभूति से करना चाहिये, नहीं किया और उसको सरकार ने बलाए ताक रख दिया है। सरकार ने वही तरीका अपना रखा है जो अंग्रेजों के शासन के जमाने में था, बात बात में त्रुटि निकालना छोटी छोटी बातों को निपटाना नहीं वर्षों तक, ४, ५ वर्ष तक लटकाये रखना; यह बात जो पुराने समय में थी वही आज चली आ रही है। बहुत मुमकिन हो कि सदन के लोगों को मुगालते में डालने के लिये सदन के सदस्यों को मुगालते में डालने के लिये जवाब दिया जावे कि पेन्शन तो हाथों हाथ निपटा रहे हैं। बहुत जल्दी करते हैं उन लोगों के मामले में जो या तो महोदय से विशेष जानकारी रखते हों या मंत्रियों के कृपा पात्र हों उनके मामले तो ४ या ५ महिनों में ही निपट जाते हैं। उनके पेंशन के मामलों के निपटने का क्या उनको तो एक्सटेन्शन भी मिल जाती है। जैसे हमारे रेवेन्यु विभाग में कई कृपा पात्रों के लिये होता जा रहा है। इस बात को मैं अच्छी तरह से मानता हूं। मगर फिर भी मैं यह मानता हूं कि दूसरे लोगों के केसेज में बहुत देर होती है। कई मामले ऐसे हैं जो राजस्थान बना उसके १॥ साल बाद में रिटायर हुए और उन लोगों के केसेज तक अभी फाइनल नहीं हुए। अगर इस बात की मिसाल चाहते तो आप ठाकुर दुर्लभसिंहजी सेटलमेंट वाले का केस को उदाहरण में ले सकते हैं (एज ए टेस्ट केस) उनका मामला आज भी सेटल नहीं हुआ है और अभी तक सेटल नहीं हुआ है। यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। यह तो एक केस है। इस प्रकार के सैकड़ों कैसेज हैं। लोग फाइनेन्स विभाग में काफी अर्से से डोल रहे हैं। उनको वहां पर धक्के दिये जाते हैं वे धक्के खाते हुए फिरते हैं लेकिन उनके मामले अभी तक तय नहीं हुए हैं। आज यह कहा जाता है कि पेंशन के मामले बहुत तेजी से निकाले जाते हैं। इस बात की पब्लिसिटी बहुत की जा रही है कि जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन वास्तव में आपको मालूम होना चाहिये कि पेंशन के कैसेज में बहुत देर लग रही है। इसलिये मैं तो यह निवेदन करूंगा कि सरकार को इसके लिये कोई तारीख निश्चित कर देनी चाहिये कि ६ महीने या १२ महीनों में पेन्शन के कैसेज तय कर दिये जाने चाहिये। जब तक सरकार ऐसा नहीं करेगी और कोई तारीख निश्चित नहीं करेगी तब तक कभी भी इसमें सुधार नहीं होगा। अगर कोई इस टाइम लिमिट में केस तय नहीं हो पाए तो उसके लिये एक्स्ट्रा ओर्डिनरी कैसेज की हालत में समय और गवर्नमेंट से आर्डर लेकर लिया जा सकता है। ऐसा होने से कर्मचारियों को भय होगा और काम जल्दी होगा। और जब कभी कोई एक्सटेन्शन मांगेगा तो सरकार कहेगी कि एक्सटेंशन क्यों चाहते हो? मैं आशा तो करता हूं कि इतना खुलासा मैंने कहा है और इससे मंत्रीजी के दिमाग में आ जावेगी लेकिन फिर भी उम्मीद कम ही करता हूं क्योंकि मुझे १० वर्ष का तजुर्बा है। ५ वर्ष तो राजस्थान विधान सभा का और ५ वर्ष जयपुर की लेजिस्लेटिव कौंसिल में काम किया है। इस प्रकार के व्यक्तियों से वास्ता पड़ा कि जिनके दिमाग में कोई बात उतरती ही नहीं, क्योंकि कुर्सियों पर बैठने से दिमाग इधर से उधर चला जाता है। इनको तो पीछे वाली बेन्चों पर बैठाया जाय तो इनकी समझ में आ सकता है। यह दुर्भाग्य है, क्या कर वे वहां बैठने में घबराते हैं। ईमानदारों में बैठना चोरों को डर मालूम होता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह बडी वाजिब बात है और राज्य कर्मचारियों के लिये सुविधा की बात है। इस प्रश्न के साथ साथ मेरा यह भी निवेदन है कि जहां हमें पेंशन्स कैसेज को जल्दी तय करना है, वहां जो हमारे टर्म्स को एक्सटेन्ड करने की बीमारी है वह बहुत बढती जा रही है। इस बीमारी के लिये निवेदन करूंगा कि यह बहुत खराब चीज है। एक तरफ तो बीस-पच्चीस वर्ष के नवयुवक बेकार फिरते हैं, दुसरी तरफ बाबुलाल

[श्री मानसिंह महार]

श्रीवास्तव जैसे व्यक्तियों को एस० ओ० के पद पर दो वर्ष का एक्स्टेन्शन दिया जाता है, क्योंकि वे कुछ मिनिस्टरों के कृपा पात्र हैं। उनके दरवाजे धो रहते हैं और भी इस प्रकार के कई लोग हैं। इसके साथ साथ में यह भी बता दूं कि हमारे जागीर कमिश्नर के लिये ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा गया है कि ये व्यक्ति इनडिस्पेन्सेबल है इनको और एक्स्टेन्शन दिया जावे। आज जब कि नीचे के अफसर ताक लगाये बैठे हैं कि ये रिटायर हों और हमें मौका मिले। सेटलमेन्ट में कई योग्य व्यक्ति बैठे हैं जो ए० एस० ओ० का काम कर रहे हैं, उनको फोरेस्ट डिमार्केशन में एस० ओ० बनाकर भेजिये। इस प्रकार न करके आप उन बूढ़ों को फिर ले लेते हैं और बेचारे नवयुवकों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता। यह कोई अच्छी चीज नहीं है। पेंशन केसेज में जिन लोगों को दो प्रकार सहूलियतें मिल जाती हैं, पेन्शन में चेयरमन महोदय, दो प्रकार का एक्स्टेन्शन मिल रहा है। इस प्रकार जिनको एक्सटेन्शन दिया जाता है उनको पेंशन में भी फायदा हो जाता है, इसलिये जो अपने कृपा पात्र हैं उनको इस प्रकार से एक्सटेन्शन मिल जाता है; मैं इस प्रकार के कई नाम बता सकता हूं।

डाक्टर वगैरह की सरविस में, जिनमें हमारे पास पर्याप्त आदमी नहीं हों तो उनको एक्सटेन्शन दिया जा सकता है। लेकिन एक्स्टेन्शन दिया किनको जा रहा है, जो लेक्चरार्स हैं या प्रिन्सीपल्स हैं जिनकी जगह काम करने के लिये एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, फिर भी अपने कृपा पात्रों को एक्सटेन्शन दे दिया जाता है। उसमें भी ईमानदारों को कभी भी एक्सटेन्शन नहीं मिलता। बेईमान और जो चोर होते हैं उनको ही ज्यादातर एक्सटेन्शन मिलता है। यह बात मैं मिनिस्टरों के लिये नहीं कह सकता क्योंकि वे तो सार्वजनिक कार्यकर्ता रह चुके हैं, उनका चरित्र बहुत ऊंचा है, उनमें ऐसी बात मैं नहीं मानता। लेकिन यह बात हो सकती है कि वे भी वकील रह चुके हैं, उनको भी शायद अपने वकालत के जमाने में किसी अधिकारी को हजार पांच सौ रुपया रिश्वत देने का मौका आया हो। मिनिस्टर लोग तो ऊंचे होते हैं, वे लेते-देते नहीं। हम लोग जो जागीरदार हैं वे जानते हैं कि किस प्रकार पैसे दिये जाते हैं। अगर मुझे कोई कहे कि आप किसी अधिकारी को रिश्वतखोर साबित करो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप मुझे हजार रुपये एडवांस दे सकते हैं तो मैं आपको पैसा लेता हुआ साबित न कर दूं तो क्या बात है उसकी सिक्यूरिटी जरूर होनी चाहिये। मैं इतना बेवकूफ नहीं कि मैं अपनी जेब से हजार रुपया खर्च करके किसी को फसाऊं, सरकार अगर इस बात के लिये तैयार है तो मैं भी यह साबित करने के लिये तैयार हूं। इन सब बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। मैं मंत्रियों के लिये नहीं कह सकता वे लोग तो हमारे मित्र हैं दोस्त हैं इसलिये मैं नहीं कहता और वे रिश्वतखोर हो भी नहीं सकते क्योंकि उनको जो वेतन हजार रुपया मिलता है, वह उनके लिये काफी है, एक सार्वजनिक कार्यकर्ता के लिये हजार रुपया बहुत होता है, उनको हजार रुपये से अधिक की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिये। इलेक्शन लड़ने का सवाल उसके लिये इधर उधर से चन्दे के नाम पर ले लेते हैं·····

श्री सभापति (श्री जवानसिंह)—आप पेन्शन और भत्तों पर बोल रहे हैं या किस पर ?

श्री मानसिंह महार—सभापति महोदय, मैं पेन्शन पर ही बोल रहा हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्रियों को भी जो पेन्शन नहीं मिल रही है उनको भी मिलनी चाहिये

[श्री मानसिंह महार]
क्योंकि वे बड़े ईमानदार होते हैं, रिश्वत तो खाते नहीं; चन्दा-वन्दा कर लेते हैं सो तो अलग बात है। इसलिये उनको भी एक बटा चार या एक बटा दस पेन्शन अवश्य मिलनी चाहिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास--इलेक्शन पीटिशन के लिये भी तो चन्दा किया जाता है।

श्री महार (जारी)--सभापति महोदय, मैं तो यह नहीं कहता कि यह झूठ बात है। पेन्शन के केसेज के जो मामले हैं उसके लिये मैं मंत्रीजी से आशा करूंगा कि वे इसके लिये अवधि मुकर्रर कर दें कि प्रत्येक केस राजस्थान सरकार पेन्शन के तय करने में एक वर्ष या छः महीने की अवधि निश्चित करदे। इसके लिये वे एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल भी ले लें, क्योंकि हमें तो एडमिनिस्ट्रेशन का ज्ञान नहीं....

श्री गोपीलाल यादव--The very day he......

श्री मानसिंह माहर--सभापति महोदय, माननीय सदस्य तो मानो स्वप्न लोक की बातें कर रहे हैं। 'दी वेरी डे' के बजाय एक साल बाद तक हो जाय तब भी गनीमत समझिये। इतने समय में हो जाने पर भी मैं घी-शक्कर मानूंगा। मैं स्वप्न लोक की बातें कहता नहीं, प्रेक्टिकल बातें कहता हूं। छः महीने रख लें, साल भर रख लें लेकिन कोई न कोई अवधि मुकर्रर अवश्य कर देनी चाहिये। मान लीजिये एक आदमी जो बाडमेर में रहता है उसकी पेन्शन के तय करने में पांच साल लगते हैं तो उस व्यक्ति की क्या हालत होगी यह देखने की बात है।

यह मैं मानता हूं इस संबंध में प्रगति जरूर की है वह सराहनीय जरूर है; लेकिन एक जनता के व्यक्ति होकर जितना करना चाहिये उतनी नहीं की। आप बड़े आदमी है राजस्थान का शासन आपके हाथ में है आपको सब प्रकार की सहूलियतें प्राप्त हैं। राजस्थान के वित्त मंत्रीजी को आज कौन नहीं जानता, इनके कार्यकाल में तो प्रगति होनी ही चाहिये। इन शब्दों के साथ मेरा निवेदन है कि जो बातें मैंने कहीं उनकी ओर जरूर ध्यान दिया जायगा।

श्री हिम्मतसिंह अटरू-माननीय सभापति जी, इसके खिलाफ मुझे भी कुछ निवेदन करना है। यह जो मांग संख्या ६६ जो पेन्शनों के संबंध में है, उसमें ६०.२३५ की मांग की गई है उसे मैं नावाजिब समझता हूं। समझ में नहीं आता पेन्शन और भत्ता जो निर्धारित चीज है, उसके लिये मांग करने की जरूरत नहीं; यह तो जिस साल चालू हो उसी साल मिल जानी चाहिये। इस मांग के अन्दर लिखा हुआ है कि राजस्थान निर्माण के पश्चात् एकीकरण तथा अधिवार्षिकी आयु सीमा को कम करके ५५ वर्ष निश्चित कर दिये जाने के कारण बहुत से सरकारी कर्मचारी रिटायर कर दिये गये, विभिन्न रियासतों के पूरे कागज समय न मिलने के कारण मामलों को निपटाने में समय लग गया। मेरे खयाल से यह बिल्कुल वाहियात बात है, इसका मतलब क्या? हम यह समझें कि पहले ७५ साल में या सौ साल में रिटायर होते थे अब ५५ साल में कर रहे हैं। क्या ५५ साल में रिटायर होने का कहीं नियम नहीं था? मेरे खयाल से बूंदी में नहीं, शाहपुरा या डूंगरपुर में नहीं होगा लेकिन मैं निश्चित कह सकता हूं कि कोटा में तो कम से कम था। राजस्थान के निर्माण के बाद तो कहीं ५५ साल के बजाय कई लोगों को तो ५० साल पर ही रिटायर कर दिया, उन लोगों में से एक मैं भी हूं। मैं भी इसका शिकार हुआ था। आप तो ऐसी बातें कह रहे हैं कि यह ५५ साल की अवधि कम है।

[श्री हिम्मतसिंह अटरू]

दूसरी बात आप लिखते हैं, 'पूरे जांच कागज उपलब्ध न होने के कारण मामलों को निपटाने में देरी हुई'। तो क्या कागज पिचोले में पड़ गये या कागज बोरा में सड़ गये ? जो कागज आज तक नहीं मिले ? और कागज न मिलने के कारण ६० हजार रुपया ज्यादा खर्च कर दिया गया यह भी एक अक्ल का नमूना है। कागज नहीं मिले और उस पर ६० हजार रुपया खर्च कर दिया गया, आज आप उसकी मंजूरी चाहते हैं हाउस से वह कभी भी मंजूर नहीं होनी चाहिये।

अब रहा सवाल भत्तों का, भत्तों के बिल तो माहवारी बन कर हर व्यक्ति के मंजूर होने चाहिये। क्या वह इलेक्शन का टाइम था या कौन सा टाइम था, जिसमें अधिक मंजूर कर दिया गया जो बजट से बाहर जा रहा है ? यह तो हमारे अधिकारियों की योग्यता का नमूना है। मेरा खयाल है यह मांग नावाजिब है और जिस रीति से यह मांग की गई है वह मंजूर नहीं की जानी चाहिये।

(४-२० बजे)

श्री हरिकृष्ण व्यास--माननीय चेयरमेन, जो टाइम इस समय हो रहा है क्या माननीय मंत्रीजी के जवाब के लिये उपयुक्त है।

(हंसी)

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री)—चेयरमेन महोदय, मैं इसमें मुख्य जो बात कही गई है पेंशन के बारे में उसके बारे में जवाब देना पसन्द करूंगा और बाकी तो कई तरह की बातें कही जाती हैं। वे तो सुनने की होती हैं दूसरे लोगों के लिये और हमारे लिये भी।

पेंशन के बारे में इतना निवेदन करना चाहता हूं कि २५ से कम पाने वाले मामले करीब करीब समाप्तप्राय हैं। उन लोगों के अलावा कि जो कस्टम के एबोलिश हो जाने के बाद में रिटायर हुए हैं। जो पेंशन अधिकारी मिस्टर दत्ता मुकर्रर किये गये थे उन्होंने जिन मामलों को देखकर निर्णय किया वह भी उनकी अवधि समाप्त होने के पश्चात्, चूंकि काम कम रह गया था, इसलिये उनकी आवश्यकता नहीं हुई और इसलिये राजस्थान सरकार ने उनकी सर्विसेज को खत्म कर दिया। कुछ मामले जरूर ऐसे रह गये हैं जिनकी सर्विसेज का वेरीफिकेशन न होने से पेन्डिंग में हैं। ए. जी. के यहां से वेरीफिकेशन नहीं हुआ या कुछ ऐसे रह गये हैं जिनकी पुरानी सर्विसेज के कागजात नहीं मिलते। ज्योंही वेरीफिकेशन समाप्त हो जाता है वे कागजात निपट जाते हैं और जो पेंशन की स्पेस्फिक इन्स्टान्स बताई गई उसका तो तलाश करूंगा कि क्यों रुका हुआ है ? वरना तरीका यह रहा है कि जिस किसी का भी स्पेसिफिक केस आता है उसके कागजात मैं खुद देखता हूं और खुद देख कर निपटाने का प्रयत्न करता हूं।

अब तो तरीका जो पेंशन के लिये निकाला है उसे छपवा कर तैयार करवाया गया था और उसमें सारे कागजात किस तरह से तैयार किये जा सकते हैं, इसके बारे में सबको जानकारी दी गई है। तो अब इस बारे में कोई दिक्कत आगे नहीं आने वाली है।

तो मेरे ख्याल में तो बहुत कम केसेज ऐसे हैं जिनको पेंशन नहीं मिली है और जो राजस्थान बनने के वक्त रिटायर हुए हैं, ऐसे थोड़े केसेज अगर और हैं, उनमें से एक तो आपने बताया और बाकी को मैं देखकर निपटाऊंगा।

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

बाकी नयों के लिये ६ महीने पहले वेरीफिकेशन कम्पलीट कर लेना चाहिये और जिस दिन रिटायर होते हैं उस दिन वेरीफिकेशन हो जाता है तो पे ऑर्डर जरूर जारी कर दिया जाता है।

आइन्दा इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी थोड़े से पुरानी सर्विसेज़ वाले केस चल रहे हैं और जिनका वेरीफिकेशन जरूरी हैं उनके लिये भी लाइजन आफिसर काम कर रहे हैं जो इन केसेज़ मामलों को हाथ में लेकर निपटाने की कोशिश करेंगे।

दूसरी बात कही गई कि रिटायरमेन्ट के लिये ५५ वर्ष की अवधि कहीं थी और कहीं नहीं थी। यह सही है। भरतपुर में तो कोई मियाद ही नहीं थी। कहीं ६० की थी, कहीं इससे भी ज्यादा थी। जो ऐसे लोग रिटायर हुए उनको जल्दी निपटाने का था और दो तीन में जिनका निपटारा हुआ उनमें हमने देखा कि पैसे की ज्यादा जरूरत पड़ जावेगी इसलिये इस मांग की आवश्यकता पड़ी।

साथ ही अन्त में यह कहना चाहूंगा कि इस पेंशन के मामले में पहले भी काफी बहस इस सदन में उठी और इसके बारे में जो तरीका काम में लिया गया वह भी सदन को पता है और जिस तरह से निपटारा किया गया वह भी सदन के सामने है और जो कुछ केसेज रह गये है तो निश्चित रूप से जो मेरे सामने आवेंगे उनको जल्दी से जल्दी निपटाने का प्रयत्न करूंगा।

श्री मानसिंह महार—अवधि बढ़ाने का क्या मामला है?

श्री बृजसुन्दर—आम तौर पर उस समय तक अवधि नहीं बढाई जाती जब तक कि उस के बराबर का कोई टैक्नीकल ज्ञान वाला आदमी हमें मिल जाता है। पर अगर मालूम पड़े कि उसके जैसा टैक्नीकल नोलेज वाला आदमी नहीं मिल रहा है और उसके वगैर काम नहीं चल रहा है तो उस को एक स्पेशल केस मान कर मंजूर करते हैं और एक्सटेंशन तो एक परसेन्ट होता होगा। उसका रिएम्प्लोयमेंट मंजूर करते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—श्री बाबूराम जी का क्या किया?

श्री बृजसुन्दर—वह तो इसलिये कि कोई टैक्नीकल एक्सपर्ट सेटलमेंट आफिसर नहीं था।

श्री मानसिंह महार—क्या राजस्थान में आई.ए.एस. को एफीशियन्ट नहीं माना जाता, सेटलमेन्ट के काम के लिये?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—सेटलमेंट की ट्रेनिंग देने के बाद।

श्री मानसिंह महार—आपको मालूम होना चाहिये कि ४० परसेन्ट सेटलमेंट ट्रेन्ड होते हैं।

श्री बृजसुन्दर—यह मेरी जानकारी में नहीं है तीन चार अफसर अभी भी आये हैं। अगर ऐसा हो जावेगा तो ठीक है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—और तो कोई बात नहीं थी न?

श्री सभापति (श्री जवानसिंह)—प्रश्न यह है कि मांग संख्या ६६, लेखे का शीर्षक ५५—अर्ध-वार्षिकी भत्ते तथा पेंशन के संबंध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, ५३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को रुपये ६०,२३५ तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकृत हुई।

(विराम)

नम्बर १०, श्री रामचन्द्र चौधरी।

अधिक अनुदान के लिये मांग संख्या ८१-का विद्युत् योजनाओं पर पूंजी की लागत

श्री रामचन्द्र चौधरी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—चेयरमेन महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अधिक अनुदान की मांग संख्या ६८, लेखे का शीर्षक ८१—का विद्युत् योजनाओं पर पूंजी की लागत के संबंध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, ५३ को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त श्रीमन् राज-प्रमुख को रुपये ५,२२,४५९) तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री सभापति (श्री जवानसिंह)—श्री हरिकृष्ण व्यास।

श्री हरिकृष्ण व्यास—चेयरमेन महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि मांग जो प्रस्तुत हुई है उसमें एक हजार रुपये की कटौती कर दी जावे और इसका कारण जो मैंने बताया है वह यह है चेयरमेन महोदय, कि विभाग के कार्यों में बडी फिजूलखर्ची रही है।

मैं आपका ध्यान, जो एक्स्प्लेनेटरी मेमोरेन्डम दिया गया है उसके पृष्ठ ३ की ओर आकर्षित करूंगा जिसमें यह लिखा गया है कि थरमो इलेक्ट्रिक स्कीम के लिये, जो चालू स्कीम थी उस पर ११ लाख व्यय की व्यवस्था की गई थी। ११ लाख तो वह और उस ग्यारह लाख के अलावा ५,२२,४५९ की मांग अब हमारे सामने प्रस्तुत की गई है। तो जो पहली बात एक दम सामने आती है और किसी को भी स्ट्राइक करेगी वह यह है कि कितना बखूबी बजट बनाने वाला यह विभाग है। ५० प्रतिशत एक्सेस कर दी इन्होंने। ११ लाख की तो मंजूरी थी और १६ लाख से ज्यादा खर्च कर दिया। और यह क्यों हुआ, इसका भी कारण साफ है चेयरमेन, साहब कि जहां तक बिजलीघर विभाग का तरीका है उसमें कोई भी काम करने से पहले डिटेल्ड एस्टीमेट आज तक बने ही नहीं। नतीजा यह हुआ कि जिस समय जो कुछ करने की मन में आई किसी अफसर के उसने उठाकर ऑर्डर दिया और कोई सामान खरीदना हो वह खरीद लिया। किसी के जंची कि रिफ्रीजरेटर ले लो तो वह खरीद लिया, पंखे ले लो तो वे ले लिये और इस प्रकार से बगैर ध्यान रक्खे हुए कि आया कौनसी स्कीम में कितनी लागत लगनी चाहिये, बिना उसका कोई हिसाब वगैरह रक्खे हुए एक दम जैसे कोई अन्धेरगर्दी है ऐसी स्थिति इस विभाग में थी और अफसोस तो यह है कि लगभग वही स्थिति आज भी चल रही है। तो यह ११ लाख की मंजूरी पर १६ लाख खर्च किया उसका असल कारण तो है यह। अभी भी प्रस्ताव करते समय मंत्री महोदय ने यह भी आवश्यक नहीं समझा कि कोई कारण बतावें। इसमें तो यह लिखा है कि ११ लाख की मंजूरी जब ली

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

तो कार्य चल रहा था, उससे ज्यादा चल गया इसलिये यह ५ या ७ लाख रुपये ज्यादा खर्च हो गये तो ऐसी कैसी बजट की व्यवस्था है कि जिसमें एक रुपये की जगह डेढ़ रुपया लग जाय। या तो उन्हें बनाने में कहीं गलती है या कार्य को पूरा करने में कहीं न कहीं गड़बड़ रहती है।

और इसका एक और कारण है, चेयरमेन महोदय। वह कारण यह है कि जैसा कि आप सबको विदित है कि इस विभाग के खर्चे का ऐसा इन्तजाम नहीं है कि इसका पता लगाया जाय कि वाजिब ही खर्च हो रहा है। एक बहुत बड़ा केस हो चुका है कोयले वाला कि जिसमें कोयले के वेगन्स बाहर से आये उनका भी पेमेन्ट हो गया और जो नहीं आये उनका भी हो गया, और कोयला नहीं आया उसका भी हो गया, और कोयला भी नहीं आया, और वेगन्स भी नहीं आये लेकिन किराये का भुगतान हो गया। वह न मालूम कितने लाख रुपये का तखमीना लगाया गया है। मंत्री महोदय ने अभी तक क्या करा है उस सिलसिले में कि एक आध आदमी को पकड़ कर मुकदमा चलाया है, लेकिन ऐसी अनियमिततायें १० साल तक चलती रहीं उसके बारे में कोई कार्यवाही नहीं हुई।

परसाल, नहीं यों समझा जाय, दो साल पहले कोयले की सप्लाई के टडर हुए और उन टेन्डर्स में किसी एक सज्जन, सज्जन तो क्या किसी एक फर्म ने, ३६ रु. ३ आने की रेट का टेन्डर दिया लेकिन इस दरियादिल विभाग ने ३७ रु. २ आ. के भाव से ऑर्डर प्लेस किया और वे कहते हैं कि इसमें अतिरिक्त खर्चा हो गया, काम बहुत हो गया। यह अतिरिक्त खर्चा और काम बहुत होने से हुआ है या आपको यह जान-बूझकर इस विशेष दरियादिली के कारण हुआ है? जिस फर्म ने ३६ रु. ३ आने पर टन का टेन्डर दिया उसको आपने ३७ रु. २ आने का आर्डर कैसे प्लेस किया····

श्री मानसिंह महार—On a point of order, Sir, कोरम पूरा नहीं है।

(गणपूरक घंटी के पश्चात्)

श्री सभापति—The House is in Quorum now.

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो, चेयरमेन महोदय, यह जो अतिरिक्त खर्च हुआ है उसका एक कारण यह है, तो हो सकता है कि ऐसे ऐसे कारनामे इस विभाग में चले। और कई एक बातें विशेष हैं उनको तो जाने भी दें।

अभी जो स्टोर का हिसाब बनाया है उसमें भी जितना सामान होना चाहिये स्टॉक में, उसमें और असलियत में जितना है उसका मुकाबला किया जाय तो मेरे ख्याल से सैंकड़ों आइटम्स के अन्दर डेफिसिट है। सारे राजस्थान का मिलायेंगे तो हजारों तक पहुंच जायगा, लेकिन जयपुर-जयपुर में ही सैंकड़ों हैं। तो ऐसी स्थिति जिस विभाग की है उस स्थिति में सुधार करने के बारे में कोई प्रयत्न नहीं किया जाय और केवल यह कह दिया जाय कि जितना खर्च करते थे उससे थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो बहुत बुरी परम्परा हम डालेंगे।

एक और विशेषता है कि कोई मामला आये तो जांच शुरू करने के बारे में तुरन्त उल्लेख कर दिया जाता है लेकिन वह जांच शुरू कर देने के बारे में उल्लेख करने के बाद जांच का अन्त कहां होता है

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

उसका कोई पता नहीं, यानि राजस्थान में every case has a beginning but never an end. अभी थोड़े समय पहले एजूकेशन डिपार्टमेंट के कुछ केसेज के बारे में उल्लेख किया गया था, लेकिन बिजली घर तो उससे कई नम्बर आगे है। मैंने अभी अखबार में पढ़ा था कि कोयले के कान्ट्रेक्ट्स के मामले में जांच की जा रही है। उन बातों को साल भर हो गया लेकिन जांच का क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ ? और कितना आला इन्तजाम है कि एक ऐसे सज्जन निकले कोई अक्लमन्द इस विभाग में ही कि जिन्होंने यह फैसला किया चेयरमेन महोदय, कि जैसे अपने यहां बजरी और चूने का नाप होता है वैसे ही एक लकड़ी का खोका बना कर कोयले का नाप हुआ करेगा और उससे हिसाब लगायेंगे कि तोल कितना है। लकड़ी का खोका लगा लगाकर नाम करके तोल कर लिया तो नतीजा यह रहा कि रेल्वे रसीद में एक वेगन में ३४ टन कोयला लिखा है तो लकड़ी के खोके से नाप पहुंचता है ३६ टन। (निर्माण मंत्री को देखकर) मंत्री महोदय ऐसे मुंह करके देख रहे हैं तो देखने की बात नहीं है, आपके डिपार्टमन्ट ने इस बेसिस पर पेमेन्ट किया है, और एक जगह देख कर कि जहां वे ब्रिज लगे हुए थे ब्रिज से हिसाब था, वह वहां अभी भी चल रहा है लेकिन बाकी सब जगह कोयले का नाप होने लगा। यह कब से शुरू हुआ था सिस्टम डेढ़-दो साल चला और कितना ओवर पेमेन्ट हो गया, उसका किसी को कुछ मालूम नहीं है।

ऐसी स्थिति है कि जिसका वर्णन नहीं कर पाता हूं। पुरानी बात तो जाने दीजिये आज की जो स्थिति है वह आपको बताता हूं लेटेस्ट कि नये स्टोक रजिस्टर तो खोल दिये हैं। कोई काम होता है उसका जाब भी खोला जाता है, लेकिन आज जाकर मंत्री महोदय खुद देख लें कि सामान स्टोर से इश्यू होगया है एक जाब के अगेन्स्ट में। उसमें कितना खर्च हुआ ? बाकी का कहां गया ? इन दोनों की एन्ट्री वापिस किस जगह होती है, तो जरा जाकर वह देखें। स्लिप तो बन जाती है कि अमुक अमुक टरबाइन के रिपेयर के लिये यह इतना सामान इश्यू होगा, वह पूरे का पूरा काम में आया या आधा काम में आया या ३।४ काम में आया है; बाकी वापिस डिपाजिट हुआ है कि नहीं ? अगर कहीं दर्ज हुआ है तो कितना दर्ज हुआ है ? कोई रजिस्टर नहीं है जाब के अन्दर दर्ज करने का। जो एन्ट्री है उसको स्टोर की एन्ट्री से मिलाने का सिस्टम नहीं है। यह स्थिति चलने का नतीजा यह है कि आज राजस्थान के इस राज्य में जो थर्मल इलेक्ट्रिक स्टेशन्स हैं उनके एक एक यूनिट के जेनेरेशन में जो कोयले से चलने वाले हैं उन कोयलों से चलने वाले थर्मल इलेक्ट्रिक स्टेशन्स में एक एक यूनिट के जेनेरेशन में ३ पौंड से लगाकर साढे छः; ७ पौंड तक कोयले का कन्जम्पशन हो रहा है। कोई यह कहे कि चूंकि मशीनरी अलग अलग है, कहीं नई है तो कहीं पुरानी है इस कारण से कन्जम्पशन में फर्क होता होगा तो मैं आपको बताऊं कि साल भर पहले यहां जयपुर में भी ६ पौंड के करीब कन्जम्पशन था और अब वह कम होकर ३ या ३।। पौंड पर आ गया है पर यूनिट। कारण कि वह कोयला इधर उधर गड़बड़ में जाता था। वह अब बन्द तो हो गया है, तो कन्जम्पशन कम हो गया है। कहां तो यह कहा जाता था आज से डेढ़ या दो साल पहले कि मशीनरी बहुत पुरानी है इस वजह से कन्जम्पशन ज्यादा होता है लेकिन अब पता लगा कि मशीनरी की वजह से कन्जम्पशन ज्यादा नहीं होता था लेकिन सरकारी मशीनरी पुरानी, कच्ची या सड़ी हुई थी इस कारण से होता है। आप लोहे की मशीनरी पर दोष मत दो, आप अपने खुद की मशीनरी पर दोष देने की कोशिश करें।

अलवर में जहां तेल से इन्जन चलता है या टोंक में या दूसरी जगह समझ लीजिये वहां तेल के टीन के टीन गायब हो गये। मंत्री महोदय जवाब में जरा बतायेंगे कि इसका भी किसी ने हिसाब किया

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

हैं ? आपके गंगानगर के बिजलीघर ने लोन दिया सादूल टैक्सटाइल मिल को एक वेगन कोल। वह अभी तक वापस आया नहीं है। अभी तक उस बात को सवा साल हो गया है। क्या इसका भी किसी ने हिसाब रखा है ?

बिजलीघर विभाग ने टांके बनाये हैं और टांके बना कर उसमें दिखाया है कि इतनी हजार ईंटें उसमें लग गयी हैं। यदि आप इसका निरीक्षण करेंगे तो आप आधी ईंट भी उसमें नहीं पावेंगे। यह काम पी.डब्ल्यू.डी. ने नहीं किया, बिजलीघर ने ही कराया है। सारी की सारी बातों में इस विभाग की विशेषता है। दूर नहीं जाइये, आप किशनगढ ही चले जाइये। वहां पर एक हजार किलोवाट के बल्ब से लगाकर छोटे छोटे पुर्जे मोटरों तक के चेक करा लीजिये तो किशनगढ पावर हाउस भी जयपुर से कम नहीं है। लेकिन आज तक जयपुर में स्टोक अकाउन्ट पूरे हुए हैं या नहीं, यह तो मंत्रीजी ही बतावेंगे कि वे पूरे हुए हैं या नहीं लेकिन जहां तक मुझे मालूम है टैक्नीकल दृष्टि से देखा जाय तो वे पूरे नहीं हुए हैं। बुक बेलेन्सेज का रिकॉन्सिलेशन नहीं हुआ है। बाकी दूसरी जगह तो हुआ ही नहीं। करते क्या हैं ? आपका विभाग करता क्या है ? आपके अधिकारी करते क्या हैं ? अधिकारी भी कैसे हैं पैराशूट से उतरते हैं ! कुछ दिनों अचानक सरकार को सनक सवार हुई कि चीफ इन्जीनियर को ढूंढ लाना चाहिये। एक बडा चीफ इन्जीनियर बना लाये। अचानक दिल्ली में हवाई जहाज से पहुंच गया, मुख्य मंत्री से बात कर ली और नियुक्ति हो गई। उसमें डर किसका है। लेकिन किसी ने यह सोचा कि जब ये बम्बई में थे, कमानीजी का सामान खरीदने में क्या क्या एतराज हुए थे और आज भी राजस्थान में टावर्स खरीदने के लिए, कमानी जो टावर्स का बड़ा प्रोड्यूसर है, उससे क्या क्या बातें चल रही हैं और चीफ इन्जीनियर साहब से पूछो कि महीने में ४,६ फाइलें परचेजेज की, वह भी कमानी से परचेजेज की फाइलें, उनको छोड़ कर दूसरी कितनी फाइलों को देखते हैं। इसी से उनको मोहब्बत क्या है ? महीने में चार छः परचेजेज की फायलों को छोड़ कर, मंत्रीजी ने टेलीफोन कर दिया तो वह कर दिया हो, यह दूसरी बात है लेकिन उसके अलावा, परचेजेज की फाइलों के सिवाय और कुछ फाइलें देखते हैं ! यह पैराशूट से कार्यवाही करते करते इसका कब अन्त आवेगा, यह बतादें तो मैं कटौती का प्रस्ताव वापिस ले लूं। लेकिन कोई मंत्री कह दे, छः महीने की अवधि देता हूं और कह दे कि आई विल सेट एवरी थिंग राइट। कई आये और चले गये। कोई चांदी के थाल लेने चले गये, बिजली घर में बना है, टरबाइन में लगी चांदी है कुछ मंत्री के और चीफ इन्जीनियर के रिश्वत से घर बन गये और टरबाइन में लगी है, वही लगी है।

एक माननीय सदस्य—मंत्री कौन हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मंत्री का नाम पूछना चाहते हैं, तो लीजिये, वे हैं श्री भोलानाथ जी। और आजकल जो करेण्ट है वह है जेनरेटर की खरीद। नये १२-१३ जेनरेटर खरीदने हैं उसके लिये टेण्डर मांगे गये हैं। हाई पावर कमेटी बैठी और हाई पावर कमेटी ने ऑर्डर दे दिया फिर उसको रोक दिया, कारण यह नहीं है कि मैं इस पर क्यों जोर दे रहा हूं कि २०-२५ हजार का खर्चा होगया, यह प्रश्न नहीं है चेयरमेन महोदय। आज थर्मल पावर राजस्थान को बिजली देने के लिये, राजस्थान के उद्योग धन्धों को बिजली देने के लिये महत्वपूर्ण योग दे सकता है। आपके यहां चीप पावर नहीं है और तब तक वह नहीं हो सकती है जब तक कि इस विभाग के अन्दर भयंकर किस्म की बीमारी है वह दूर नही

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

होती है। राजस्थान के बिजलीघर विभाग घाटे में चल रहे हैं। आज राजस्थान के अन्दर उद्योग नहीं पनप पाते, कन्जूमर्स को सस्ती बिजली नहीं मिल सकती और उसका खमियाजा राजस्थान को ही भुगतना पडता है। इतनी ऊंची दर पर बिजली देने पर भी बिजलीघर लगातार लोस में चले। सरकार को इसके लिये एक बोर्ड नियुक्त करना चाहिये, इसके लिये एक जांच कमेटी नियुक्त करनी चाहिये, जानकार लोगों को इसमें लेना चाहिये, काम करने वाले, मुलाजिमों को इसमें लेना चाहिये, वे बतायें की कमी कहां है और फिर सख्ती से दुरुस्ती करें और अगर आपने दुरुस्ती नहीं की, कमजोरी को छिपाने की कोशिश की तो न सिर्फ अपना ही नुक्सान करेंगे लेकिन कन्जूमर्स को पॉवर सस्ती नहीं मिलेगी, उद्योगों को नुकसान होगा और कन्जूमर्स को नुकसान होगा। इस स्थिति का सुधार किया जाय इसीलिये मैंने यह कटौती का प्रस्ताव रखा है और मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री महोदय आश्वासन देंगे अथवा जांच को मंजूर करके मेरे कटौती के प्रस्ताव की मन्शा को पूरी करेंगे।

श्री मानसिंह महार—मैं मेरे जोधपुर से आये माननीय मित्र के कटौती के प्रस्ताव के संबंध में दो शब्द निवेदन करना चाहता हूं। माननीय चेयरमेन महोदय, सदन के समक्ष जो बिजलीघर की अव्यवस्था के बारे में कटौती प्रस्ताव आया है उसके लिए किन शब्दों में मंत्री जी से निवेदन किया जाय, यह जरा कठिन है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इस बात को मानता है कि बिजलीघर के अन्दर बहुत ही गोलमाल है। मैं यह समझता हूं कि आज तक जितने मंत्री आये हैं उन सब लोगों ने भी इस बात को मान लिया और वर्तमान मंत्रीजी तो इसके त्रो ही हैं, बहुत अधिक मानते हैं। तो उन मंत्रियों से आगे बढ़े हुए हैं लेकिन फिर भी मैं यह समझता हूं कि ये सारी बातें मानते हुए भी यह बिजली की गड़बड़ी है, मेरे मित्र ने बड़ी लम्बी चोड़ी बातें कहीं हैं, रिश्वत खाने की बातें कही हैं, खा गये सो खा गये इसकी जांच कौन करता है? लोग खा गये, खागये, लेकिन मैं दूसरी और ही चेयरमेन महोदय, मंत्रीजी का और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। खागये सो तो खागये लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि खा लेने के बाद भी हजम हो गया। अगर हजम नहीं होता तो आयन्दा के लिए नसीहत मिलती। हजम हो जाने से क्या हो गया, यह तो जांच होती रहती है तो पता चलता। एक बार बवन्डर उठा जरूर कुछ होता हुआता तो नहीं। अगर दस लाख खा गये तो लाख दो लाख जांच करने वालों को अर्पण कर दिया गया तो वह सारा मामला ही ठंडा पड़ जाता है और क्या बतायें, मैं तो कहूं भी क्या, अफसोस यह है कि बिजली घर वालों ने इतना मान लिया है कि बिजलीघर विभाग के लिये जो कुछ कहा जाता है तो उसको वे तो सुनने के लिये भी यहां नहीं रहते। न सेक्रेटरी हैं, न टेक्निकल आदमी हैं और न कोई है, मंत्रीजी तो ध्यान जरूर देते हैं, तजुर्बा होते होते होगा। टेलीफोन और आदेश जरूर करेंगे लेकिन अमल में लाने वाले तो बम्बई से, पैराशूट से आने वाले लोग ही होवेंगे या असिस्टेण्ट टेक्निकल हेण्डस जो भी होंगे। चेयरमेन महोदय, जहां तक मेरी इत्तला है जयपुर पावर हाउस में जितना गोलमाल हुआ है उसमें जितना हाथ श्री कान्तिचन्द्रजी सत्संगी का रहा है उतना शायद किसी दूसरे व्यक्ति का नहीं। अगर सरकार में दम हो, मैं तो दम कहता हूं, 'दम' शब्द पर जोर देता हूं चेयरमेन महोदय। सरकार में यदि दम होता तो सरकार उनको सस्पेन्ड करके जांच कराती। सरकार के दम के बारे में मैं सरकार को एक चुनोती देता हूं कि सरकार में यदि दम है और यदि वाकई सरकार न्याय चाहती है और

[श्री मानसिंह महार]

यदि सरकार असमर्थ है कि वह श्री कान्तिचन्द्र की जांच नहीं कर सकती और यदि श्री कान्तिचन्द्र सरकार पर इतने हावी हैं कि सारी बातें सामने आने पर भी उनको वह सस्पेन्ड नहीं कर सकती क्योंकि यदि करेंगी तो ऊपर और नीचे से दबाव आयेगा और सरकार पर-कटे पक्षी की तरह हिल नहीं सकेगी, यदि मेरा कथन गलत है तो मैं यह कहता हूं कि मेरे साथ आदमी दिये जांय, मैं बिना पैसा लिये इसकी जांच कराऊंगा और यदि इस बात को सिद्ध नहीं करूं कि जो गोलमाल पॉवर हाउस में हुआ है वह श्री कान्तिचन्द्र के कारण ही हुआ है, इसको यदि सिद्ध नहीं करदूं तो मुझे कड़ी से कड़ी सजा दी जाय। इस जांच में मैं सरकारी कर्मचारियों का सहयोग अवश्य लूंगा।

पास में बैठे हुए मेरे मित्र कहते हैं कि राणावत रिपोर्ट में यह सब शाबित हो गया है। मैं कहता हूं कि रिपोर्ट में क्या साबित है, पैसा खाना बिल्कुल साबित है, कोठियें बन रही हैं, बैंकों में बड़े से बड़ा बैलन्स है, चारों तरफ से पैसों का बंटवारा हो रहा है लेकिन फिर भी कुछ करते नहीं हैं। राजस्व मन्त्रीजी के रेवेन्यू का मामला होता तो वे इस समय सोते नहीं। उनको अफसोस हो रहा है इसलिये उन्होंने आंखें मूंद ली हैं। आज उनके राज्य के अन्दर क्या क्या काम किये जा रहे हैं। चिल्लाने वाले हम लोग गला फाडते हैं और सुनने वाले सुन लेते हैं लेकिन कर कुछ नहीं सकते क्योंकि कोई किसी का भाई है, तो कोई किसी का साला या बहनोई है। सारी बातों को देखते हुए मेरे मित्र कह रहे हैं कि श्री कान्तिचन्द्र कोयलों में पैसे खा गये। लेकिन अब तक बेचारे बिजली विभाग ने ही क्या किया, आप एक भी विभाग ऐसा बताइये जिसमें किसी गजटेड ऑफीसर के खिलाफ सरकार ने एक्शन लिया हो। करें क्या? आज यदि ऊपर वाले अफसरों की पोल खोलते हैं तो वे अफसर लोग इनकी पोल खोलने के लिये तैयार हो जाते हैं। जांच के लिये तो किसी ऐसे आदमी को लगाया जाय जिसकी पोल नहीं खुले। लेकिन जब खुद की पोल खुलने की आशंका हो तो क्या जांच करेंगे ?

मुझे चेयरमन महोदय, बड़ा अफसोस होता है कि यहां पर १६० आदमी बैठते हैं ; पहले एक राजा राज्य करते थे उस समय कहा जाता था कि यह तो तानाशाही है, राजा का पक्षपाती है इसलिये ऐसा करता है। लेकिन आज यहां तो १६० आदमी बैठे हैं। पक्षपाती होगा तो १-२ आदमियों का होगा। सब का तो नहीं है । लेकिन आज भी चोरों को पकड़ कर यदि सजा नहीं देते हैं तो फिर क्या कहा जा सकता है ? मैं तो एक ही इन्जीनियर का केस पकड़ता हूं। मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि उसके खिलाफ केस साबित है। मन्त्रीजी भी नहीं कह सकते कि सतसंगी के खिलाफ जो बातें कही गई हैं वे गलत हैं। यदि वे खड़े होकर यहां यह कह दें कि वे बातें गलत हैं तो मैं भी मान लूंगा कि गलत हैं। पहले जो मन्त्री थे वे कुछ नहीं कर सके हों लेकिन मैं वर्तमान में जो मन्त्री महोदय इस विभाग के इन्चार्ज हैं उनसे उम्मेद करता हूं कि वे इस प्रकार से न्याय का गला नहीं घोटेंगे। अभी उनका तजुर्बा कम है इसलिये कुछ करने में शायद कमजोरी मालूम होती है लेकिन मैं कहता हूं कि वे ऐसे आदमी हैं जो मातहतों को शील्ड करने की बात नहीं करेंगे। यह गोलमाल वर्तमान समय का नहीं है। लोग यह समझते होंगे कि यह गोलमाल वर्तमान मन्त्रीजी को नीचा दिखाने वाला है लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है। यह बहुत पहले की बात है। यदि आप इसके बारे में कुछ कर सकेंगे तो आप जनता की आंखों में ऊंचे उठेंगे और जनता आपको देवता मानेगी। यदि आप इस मामले में कुछ कर सकेंगे तो बहुत ही

[श्री मानसिंह महार]

अच्छी बात होगी। यह एक बहुत अहम बात है। राजस्थान सरकार का पैसा इस तरह से बर्बाद किया जाता है, यह एक दुःख की बात है। थोड़ी देर पहले एक मित्र कह रहे थे कि लाखों रुपये खा गये लेकिन सिविल सप्लाइज डिपार्टमेन्ट ने कुछ नहीं किया। सिविल सप्लाइज डिपार्टमेन्ट वालों को अब इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट में भेज दिया गया है। उन्होंने जो तरक्को सिविल सप्लाइज में की थी वही अब इन्डस्ट्रीज में करेंगे। मैं यह कहता हूं कि तजुर्बेकार सत्संगी जैसे आदमियों को इन्डस्ट्रीज और डेवलपमेन्ट विभाग में लगाया जाय तो राजस्थान का सही माने में डेवलपमेन्ट होगा। यह मेरी निश्चित धारणा है। यदि सही माने में डेवलपमेन्ट करना है तो सत्संगी जैसे चुने हुए आदमियों को डेवलपमेन्ट और इन्डस्ट्रीज में लगाया जाय। रेवेन्यू में तो पुराने माहिर भरे पड़े हैं इसलिये वहां तो ऐसे आदमियों की जरूरत नहीं है। आर. ए. एस. और आई. ए. एस. के आदमी भी उनसे किसी माने में कम नहीं हैं। यदि राजस्व मन्त्रीजी चाहेंगे तो उनके महकमे का तजुर्बा फिर कभी सुनाऊंगा। सदन के सामने मिसाल कोटा की है। उसकी जांच होती है लेकिन आगे जाकर पैसे भिड़ जाते हैं और मामला खत्म हो जाता है। हम यह देखते हैं, तो हो क्या? रोते हैं लेकिन सुननेवाला कोई नहीं है, तो चुप हो जाते हैं। लेकिन यह बिजलीघर का मामला है। ६ आने यूनिट हमको देने पड़ते हैं। जयपुर की जनता की पुकार है कि यदि सही ढंग से काम किया जाय और प्रोफिट एन्ड लौस के बेसिस पर इसको चलाया जाय तो इसमें प्रोफिट ही होगा, लौस का कोई सवाल नहीं है। यदि इसे सही ढंग से चलाया जाय तो आज हमें जो ६ आना यूनिट देना पड़ता है उसके बजाय ३ आना यूनिट ही देना पड़ेगा और जो पॉवर का ३ आना यूनिट देना पड़ता है उसके बजाय १॥ आना यूनिट ही देना पड़ेगा। इतना होने पर भी जनता को काफी फायदा मिलेगा। लेकिन यह फायदा तभी हो सकता है जब कि ईमानदार आदमियों को लगाया जाय और गड़बड़-घोटाला करने वालों को नहीं लगाया जाय। आपके नजर में गड़बड़-घोटाला आ जाता है लेकिन फिर भी मौन होकर बैठ जाते हैं, कभी किसी के दबाव में आकर और कभी किसी के दबाव में आकर।

आपके पी. डब्ल्यू. डी. गंगानगर का मामला था। लेकिन उसके बारे में कहा गया कि एन्टी करप्शन के पॉवर में नहीं था। लेकिन क्या मिनिस्टर इन्चार्ज द्वारा भी उनको सस्पेन्ड नहीं किया जा सकता था? डिपार्टमेन्टल एक्शन उनके खिलाफ लिया जा सकता था। फिर वे अपील किया करते। लेकिन आप में यह दम नहीं है। यही पॉवर हाउस का हाल है। मैंने चेलेन्ज देकर कहा है कि या तो यह कहें कि सत्संगी के खिलाफ कोई बात नहीं है या यदि न्याय चाहते हैं तो वे यह कहें कि हम उसके खिलाफ कुछ करने में असमर्थ हैं। हम कहते हैं कि आप सही तरीके से जांच करवाइये। यदि एक बड़े अफसर को सजा आप दे सकेंगे तो राजस्थान में एक उदाहरण पेश होगा। जो अंधे होकर काम करते हैं वे कुछ नहीं कर सकते। यहां तो यह हाल है कि जो ईमानदार आदमी हैं उनकी तरक्की रुक जाती है और उनसे काम में रोड़े अटकाये जाते हैं लेकिन जो चोर हैं उनको तरक्कियें दी जाती हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके राजस्थान में जो तरक्कियें दी जाती हैं वे उन आदमियों को दी जाती हैं जिनकी ओनेस्टी और इन्टीग्रेटी पर सब लोग शक करते हैं। यदि आप प्रमाण चाहेंगे तो आपने पिछले डेढ साल में जो तरक्कियें दी हैं उनका चिट्ठा निकाल कर आपको बतला सकता हूं, मंत्रियों से कहला सकता हूं कि उनके ऊपर शंका है। जो ओनेस्ट हैं और जिनका एप्रोच नहीं है उनको नीचे धकेला जाता है। उनको ऐसी पोस्ट्स नहीं दी जाती हैं जिन पर जाकर वे अपनी योग्यता बता सकें।

[श्री मानसिंह महार]

हैं वे तो रोते हैं कि जिन इन्जीनियर्स की ५० परसेंट और आमदनी हो जाती है, जो ५० परसेंट और आमदनी कर लेते हैं उनके ग्रेड अच्छे कर दिये और हमारा कुछ नहीं किया गया।

मैं तो पीछे से पकड़ने की कोशिश करता नहीं, सीधी बात कहता हूं। मन्त्री महोदय से आशा करूंगा कि एक सत्संगी साहब के मामले को लेकर इसमें कड़ी से कड़ी सजा दें और राजस्थान के अधिकारियों के सामने मिसाल रखदें। जैसे बद्रीप्रसादजी ने ४ इन्जीनियरों को मौअत्तिल कर दिया था तो राजस्थान में तहलका मच गया था, मिनिस्टर्स में तहलका मच गया था और यहां तक कि चीफ पंचायत ऑफीसर को तो ब्लड प्रेशर हो गया था। एक दम आप भी ऐसा कर देंगे तो देखिये क्या तहलका मच जाता है। आप नहीं कर सकते तो मेरे जैसे को जांच के लिये मुकर्रर कर दीजिये, बिना पैसे के सब साबित कर दूंगा, पर न टी. ए. लूंगा न डी. ए. लूंगा और न आपके अफसरों को अलाउन्स लेने दूंगा। आज अलाउन्स तो कृपापात्रों को दिये जाते हैं। आज आर. ए. एस. की मिसाल हो गई है, उसको सीनियर पोस्ट दे दी १०० रुपये अलाउन्स के कर दिये। यह अलाउन्स बला क्या है ? सब एक ही केडर के आदमी ह, काम करें और तनख्वाह लें। अलाउन्स देना है तो ईमानदार आदमियों को दें। किसी में दम हो तो ईमानदार आदमियों की लिस्ट बनाओ, नहीं तो यह काम हमें दो, हम एक एक को पकड़ कर बतायें। म तो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूं एन्टीकरप्शन ओफीसर साहब से कि कुछ रुपया रखो ताकि रिश्वत के रूप में इन माते मुर्गों को दे कर पकड़ायें। अगर आपके पास इस काम के लिये ५०,००० रुपया देने को हों तो मैं कल ही सत्संगी साहब जैसों को कइयों को पकड़ा दूं। इन माती मुर्गियों के लिये दस पांच रुपयों से काम नहीं चल सकता। इन पांच-दस रुपयों से तो छोटे छोटे पकड़े जा सकते हैं। इन छोटे छोटे लोगों को तो पकड़ना राघ में छुरी मारना है। कहा जाता है कि एन्टीकरप्शन वालों ने फलां आदमी को पकड़ लिया और पकड़ते हैं छोटे मोटे चपरासियों को, ५० रुपया माहवार तनख्वाह पाने वालों को, ऐसे एन्टीकरप्शन अफसरों को तो डिसमिस कर देना चाहिये।

(घंटी)

श्री सभापति—Please conclude within a minute.

श्री मानसिंह—एक मिनिट और बोलूंगा। तो यह एक ऐसी मिसाल कायम करदें। यह जो गरीब पकड़े जाते हैं उनको पकड़ना बेकार है, जितने बोर्ड हैं उनको हिदायत कर दीजिये कि २०० से कम तनख्वाह पाने वालों के लिये बोर्ड नहीं है। बड़े बड़े अफसरों को तो पकड़ते नहीं, किसी चपरासी को पकड़ लिया, किसी अहलमद को पकड़ लिया तो क्या पकड़ लिया; जो लोग लाखों का सौदा करते हैं।- गरीब लोग तो साल भर में मुश्किल से एक लाख रुपये खाते होंगे। थानेदार या थानेदार से नीचे के लोग तो बारह महीनों में कुल एक लाख रुपया कमाते होंगे, पर ये माती मुर्गियां साल भर में दस दस लाख रुपये खा जाते हैं।

इसलिये मेरी राय है कि पॉवर हाउस में भी जो छोटे आदमियों ने गड़बड़ियां की हैं उन्हें छोड़िये इस एक माती मुर्गी को पकड़िये। पर अभी उनको तो तरक्की दी गई है। परचेज कमेटी का मेम्बर भी उनको कर दिया गया है ताकि परचेज में खूब खा सकें, और और साथियों को भी खाना सिखा दें।

[श्री मानसिंह महार]

इस तरह के जो सत्संग हैं मैं उनका विरोध करूंगा और मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आज वे ऐसी बातें कहेंगे जिससे राजस्थान के अन्दर से करप्शन को रूट आउट करदें।

श्री सभापति--We adjourn for tomorrow at 11-00 A.M.

श्री मानसिंह महार—सुबह ८ से १ का टाइम कर दीजिये तो सुविधा होगी।

श्री सभापति—It is not convenient to the Leader of the House.

(मध्यान्होत्तर ५-५ बजे सदन की कार्यवाही दिनांक २६ सितम्बर, १९५६ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)।

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक, २५ सितम्बर, १९५६

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट

(कृपया प्रश्न संख्या १७ का उत्तर देखिये)

स्कूलों व औषधालयों पर किये गये व्यय की सूची

	सन्	खर्च ४५ स्कूलों का	औसतन खर्च १ स्कूल पर	३० औषधालयों का व्यय	औसतन खर्च १ औषधालय पर
१.	१९५४-५५	३१,६९३-६-३	७०४-५-०	४४,७०७-९-९	१,४४२-०-०
२.	१९५५-५६	६०,२४९-११-०	१,३३९-०-०	५७,५२२-१२-९	१,८५५-८-०

परिशिष्ट "अ" स्कूल

तहसील मालपुरा

१ वापडोन्दा — छात्रों के अभाव के कारण ६-१२-५४ को बन्द कर दिया गया
२. काटोली
३. घाटोली
४. देशमा
५. केरिया
६. तेडा — छात्र संख्या अत्यल्प होने के कारण स्कूल बन्द कर दिया गया।
७. अजमेरी
८. सरदारपुरा
९. हाधकी
१०. आगडी
११. पचेवर कन्यापाठ शाला
१२. डिग्गी कन्यापाठ शाला
१३. चोसला
१४. डोरिया
१५. भवानीपुरा

तहसील टोडारायसिंह

१६. मावता
१७. अतियारी — छात्र संख्या अत्यल्प होने के कारण बन्द कर दिया गया।
१८. गोपालपुरा
१९. गणेशपर्ण
२०. थडोली — (१९-२०) छात्र संख्या अत्यल्प होने के कारण बन्द कर दिया गया।
२१. निमेडा

तहसील निवाई

२२.	अमरपुरा	
२३.	भरथेली	छात्र संख्या अत्यल्प होने के कारण बन्द कर दिया गया।
२४.	बस्सी	
२५.	करीरिया	
२६.	बारहेडा	
२७.	देवपुरा	छात्र संख्या अत्यल्प होने के कारण बन्द कर दिया गया।
२८.	चोरपुरा	
२९.	झुझारपुरा	
३०.	भुरट्या	
३१.	झिलाय कन्या पाठशाला	

तहसील उनियारा

३२.	गोठडा माजी	
३३.	देवपुरा कलां	छात्र संख्या अत्यल्प होने के कारण बन्द कर दिया गया।
३४.	गुदल्या	
३५.	रानीपुरा	
३६.	विजयनगर	छात्र संख्या अत्यल्प होने के कारण बन्द कर दिया गया।
३७.	ननया गांव	

तहसील मालपुर

३८.	हिस्सामपुरा	
३९.	दूनी कन्या पाठशाला	
४०.	नौशीरदा कन्या पाठशाला	
४१.	कडीला	सन् ५४-५५ से पूर्व स्थापित पाठशाला कडीला को बोर्ड की बुनियादी शिक्षा योजना के अन्तर्गत आदर्श बुनियादी पाठशाला का रूप दिया गया:—१२ अगस्त, १९५६।

———

परिशिष्ट "ब"

१७ जौलाई ५४ से अब तक खोले गये औषधालयों की सूची

तहसील मालपुर

१.	नगर	
२.	बूढा देवल	
३.	पोरली	
४.	चावडिया	
५.	मालपुरा	
६.	चान्दसेन	

तहसील टोडारायसिंह

७.	मासू	तारीख २६-७-५६ से बन्द ।
८.	भावंता	
९.	उनियार खुर्द	तारीख २६-११-५५ से बन्द ।
१०.	हमीरपुर	

तहसील निवाई

११.	बडागांव	
१२.	जामडोली	
१३.	लुहारा	
१४.	राहोली	

तहसील दूनी

१५.	आवा	
१६.	राजमहल	

तहसील उनियारा

१७.	पलई	ता० १९-७-५६ से पलई से सूंथडा स्थानान्तरित किया गया ।

शुद्धि-पत्र

कार्य-विवरण दिनांक २५ सितम्बर, १९५९

इस कार्य विवरण के पृष्ठ १४३ व १४४ पर क्रमानुसार शीर्षक व शीर्ष में शब्द व अंक "अधिक अनुदान के लिये मांग संख्या २७—न्याय-प्रशासन" के स्थान पर कृपया "अधिक अनुदान के लिये मांग संख्या ६४ —न्याय-प्रशासन" पढ़ें।